राष्ट्र-निर्माण और शिक्षा की गुणवत्ता के गौरवपूर्ण 135 वर्ष

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

QUOT RAMI TOT ARBORES

यावत्यः शाखास्तावन्तो वृक्षाः

संकल्पना

चतुर्थ अंक

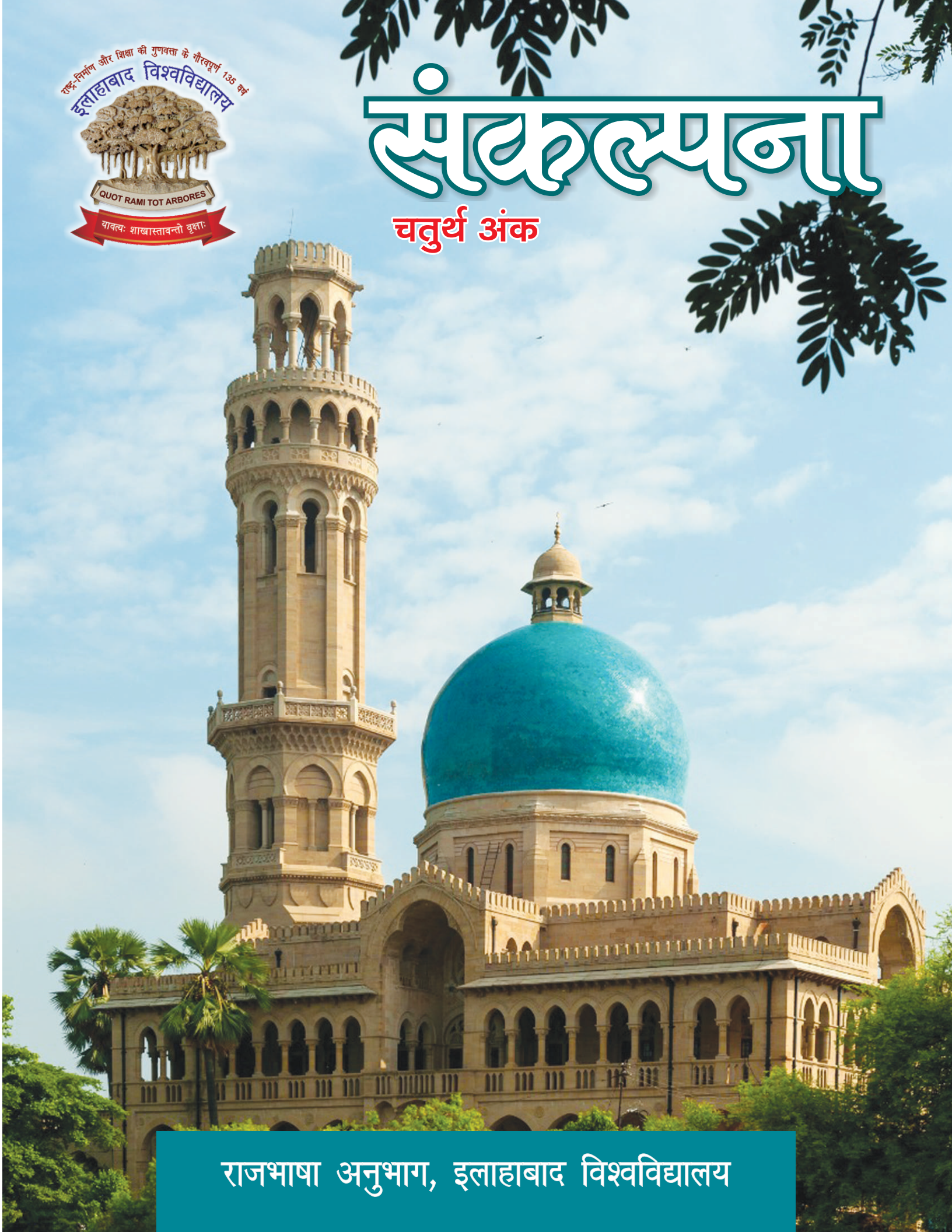

राजभाषा अनुभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

केन्द्रीय सांस्कृतिक समिति
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
UNIVERSITY OF ALLAHABAD
QUOT RAMI TOT ARBORES
सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़,
प्रो. पंकज कुमार
प्रो. एन. के. शुक्ला

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय
समारोह
सहयोग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय
प्रमाण-पत्र
सरकार

अंक – 4

संकल्पना

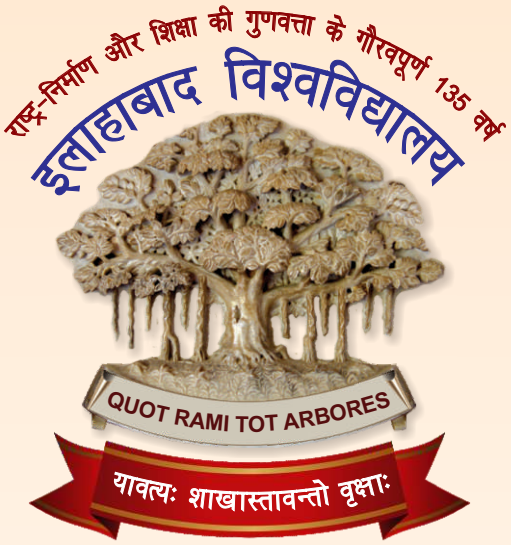

संपादक

प्रो० संतोष भदौरिया

संयोजक, राजभाषा कार्यान्वयन समिति

एवं

निदेशक, गांधी विचार एवं शांति अध्ययन संस्थान

प्रकाशक

राजभाषा अनुभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

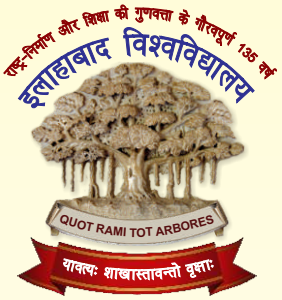

राष्ट्र-निर्माण और शिक्षा की गुणवत्ता के गौरवपूर्ण 135 वर्ष
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
QUOT RAMI TOT ARBORES
यावत्यः शाखास्तावन्तो वृक्षाः

संकल्पना परिवार

संरक्षक

प्रो0 संगीता श्रीवास्तव
माननीया कुलपति

प्रधान–संपादक

प्रो0 एन.के.शुक्ल
कुलसचिव एवं अध्यक्ष
राजभाषा कार्यान्वयन समिति

संपादक

प्रो0 संतोष भदौरिया
संयोजक, राजभाषा कार्यान्वयन समिति
एवं
निदेशक, गांधी विचार एवं शांति अध्ययन संस्थान

संपादक–मण्डल

डॉ. रतन कुमारी वर्मा
डॉ. आशुतोष पार्थेश्वर
डॉ. अमृता
डॉ. सुनील कुमार सुधांशु
डॉ. जर्नादन
डॉ. सुरभि त्रिपाठी
श्री देवेश कुमार गोस्वामी

कला–संकल्पना

प्रो0 अजय जैतली

अनुवाद/विशेष सहयोग

हरिओम कुमार

अनुक्रम

क्रमांक		पृष्ठ सं0
1	शुभकामना संदेश – माननीय मंत्री, शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता, भारत सरकार	05
2	शुभकामना संदेश – माननीय कुलाधिपति, इ.वि.वि.	07
3	शुभकामना संदेश – माननीया कुलपति, इ.वि.वि.	09
4	शुभकामना संदेश – अध्यक्ष, रा.का. समिति	11
5	संपादकीय	13
6	हिंदी और उसका विश्व	14
7	वैश्विक पर्यावरण एवं ई–ऑफिस	17
8	अपनी भाषा में सुनता हूँ अपूर्व ऐश्वर्य की पुकार	20
9	राजभाषा हिंदी में प्राकृतिक भाषा संसाधन की चुनौतियाँ	23
10	अंतरराष्ट्रीय हिंदी का शिक्षण : समस्याएं और समाधान	26
11	कंप्यूटर – अनुवाद : प्रविधि, प्रक्रिया और प्रयोजन	31
12	प्रशासन में नवाचार और हिंदी	34
13	ई–शासन एवं भारतीय भाषाएं : प्रयास, प्रगति और व्यवहार	37
14	प्रौद्योगिकी तो साथ है, अब हिंदी वाले जोश दिखाएं	41
15	प्रशासनिक अनुवाद : आवश्यकता और आयाम	45
16	हिंदी का मीडिया और मीडिया की हिंदी	51
17	भारत में मशीन अनुवाद का विकास	54
18	देवनागरी लिपि के मानकीकरण से जुड़े कुछ प्रश्न	59
19	वर्तमान दौर में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में ई–शासन : चुनौतियाँ और संभावनाएँ	62

संदेश

धर्मेन्द्र प्रधान
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
Dharmendra Pradhan

मंत्री
शिक्षा; कौशल विकास
और उद्यमशीलता
भारत सरकार

Minister
Education; Skill Development
& Entrepreneurship
Government of India

संदेश

मनुष्य के भावों, विचारों, अनुभवों एवं आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही सम्भव है। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य ने ज्ञान-विज्ञान सहित सभी क्षेत्रों में प्रगति सुनिश्चित की है। किसी भी सुदृढ़, सक्षम एवं मजबूत राष्ट्र की पहचान इस बात से होती है कि उसकी अपनी भाषा कितनी व्यापक एवं समर्थ है।

मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवादी वर्चस्व के विरुद्ध राष्ट्रीयता की भावना को लेकर विकसित हुई हिन्दी भाषा ने तमाम चुनौतियों एवं संकटों पर पार पाते हुए आज विश्वपटल पर अपना गौरवपूर्ण स्थान निर्मित किया है। अपनी व्यापकता एवं उदारता के कारण हिन्दी हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूरक है। हिन्दी भाषा में सृजित रचनात्मक एवं ज्ञानात्मक साहित्य किसी भी अन्य वैश्विक भाषा से कमतर नहीं है। हिन्दी भाषा की संरचना एवं प्रकृति इतनी उदार है कि वह दूसरी भाषा के गुण-धर्म एवं संरचना तथा युग-सापेक्ष हुए तकनीकी परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को विकसित करती हुई, उन्हें आत्मसात कर लेती है। हिन्दी के इसी गुण की ओर संकेत करते हुए वरिष्ठ हिन्दी कवि गिरिजा कुमार माथुर ने लिखा है –

"सागर में मिलती धाराएँ, हिन्दी सबकी संगम है,
शब्द, नाद, लिपि से भी आगे, एक भरोसा अनुपम है।
गंगा-कावेरी की धारा, साथ मिलाती हिन्दी है,
पूर्व-पश्चिम, कमल-पंखुरी, सेतु बनाती हिन्दी है।।"

हिन्दी की इस सामासिक एवं समावेशी प्रकृति के कारण ही संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत हमें यह दायित्व सौंपा है कि हम हिन्दी के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करें और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली एवं पदों को आत्मसात करते हुए, संस्कृत और अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि को सुनिश्चित करें।

संविधान द्वारा प्रदत्त इस दायित्व का हमें उत्कृष्टता से निर्वहन करना है। साथ ही, सूचना तकनीक के वर्तमान दौर में हिन्दी को हमें विभिन्न 'ई-टूल्स' के साथ भी जोड़ना है। मैं हिन्दी दिवस के इस पावन अवसर पर शिक्षा मंत्रालय और उससे सम्बद्ध सभी कार्यालयों से आह्वान करता हूँ कि वे हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओं की समृद्धि एवं विकास के लिए पूर्ण निष्ठा एवं प्रतिबद्धता से कार्य करें।

हिन्दी दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ !

जय हिन्द !
नई दिल्ली
14 सितम्बर, 2021

धर्मेन्द्र

(धर्मेन्द्र प्रधान)

MOE - Room No. 3, 'C' Wing, 3rd Floor, Shastri Bhavan, New Delhi-110 115, Phone : 91-11-23782387, Fax : 91-11-23382365
MSDE - Room No. 516, 5th Floor, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001, Phone : 91-11-23465810, Fax : 011-23465825
E-mail : minister.sm@gov.in, minister-msde@gov.in

इलाहाबाद विश्वविद्यालय
University of Allahabad

आशीष कुमार चौहान
Ashish Kumar Chauhan
कुलाधिपति
Chancellor

संदेश

किसी भी राष्ट्र की पहचान के लिए उसकी भौगोलिक सीमा, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रभाषा महत्वपूर्ण कारक हैं। भारत बहुभाषा भाषियों का देश है और हिंदी विभिन्न भाषाओं के बीच सेतु का काम करती है। यह भारत की विविधता में एकता और अखंडता की अवधारणा को मूर्त रूप देने में सर्वाधिक सक्षम भाषा है। इसलिए भारत के संविधान में भारत सरकार को हिंदी भाषा के विकास और प्रचार - प्रसार इस प्रकार से करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

अतः हिंदी का प्रचार- प्रसार करना हमारा संवैधानिक दायित्व होने के साथ-साथ नैतिक कर्तव्य भी है। हमारा विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक दायित्वों के साथ-साथ राजभाषा संबंधी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन सफलतापूर्वक कर रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी संस्थान,विभाग,केन्द्र एवं संघटक महाविद्यालय के सहयोग से हम राजभाषा के कार्यान्वयन की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का राजभाषा अनुभाग इस हेतु लगातार प्रयासरत है ।

मुझे विश्वास है कि इसी निष्ठा और भावना से कार्य करते हुए हम भविष्य में और अधिक राजभाषा कार्यान्वयन और ई-शासन को सक्रियता के साथ पूर्णतः लागू कर सकेंगे।

मुझे अति प्रसन्नता है कि 'ई-शासन और हिंदी' पर केंद्रित राजभाषा गृह पत्रिका 'संकल्पना' का प्रकाशन किया जा रहा है। इस पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं।

आशीष चौहान

(आशीष कुमार चौहान)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

सीनेट हाउस, प्रयागराज (उ.प्र.)- 211 002, भारत

(संसद के अधिनियम 2005 द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

University of Allahabad

Senate House, Prayagraj (U.P.)- 211 002, India

(A Central University established by an Act of Parliament in 2005)

Professor Sangita Srivastava
Vice-Chancellor

प्रोफ़ेसर संगीता श्रीवास्तव
कुलपति

शुभकामना संदेश

मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजभाषा अनुभाग की गृह पत्रिका 'संकल्पना' के माध्यम से आप तक पहुंचने और अपनी बात कहने का अवसर मिला।

देश में सूचना प्रौद्योगिकी की असाधारण प्रगति के फलस्वरुप शैक्षणिक एवं आर्थिक गतिविधियों में क्रांतिकारी बदलाव आया है। देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में भी कंप्यूटर साक्षरता तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में शैक्षिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की गति भी तेज हुई है । इसके चलते देश को ही नहीं बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी अपना कारोबार बढ़ाने के लिए हिंदी भाषा को साथ लेना अनिवार्य होता जा रहा है। इस प्रकार, हिंदी ने भारत की संपर्क भाषा के रूप में अपने को सहज स्थापित कर लिया है।

सरकारी कार्यालयों में भी हिंदी के कामकाज में वृद्धि हुई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अपनी शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों के साथ-साथ राजभाषा कार्यान्वयन एवं हिंदी प्रचार- प्रसार के क्षेत्र में उत्कृष्टता की संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

हिंदी में कार्य हेतु समुचित वातावरण के निर्माण के लिए अनेक प्रयास इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे हैं। 'संकल्पना' उन्हीं प्रयासों की एक कड़ी के रूप में आपके सामने है ।

राजभाषा अनुभाग की गृह पत्रिका 'संकल्पना' हर बार नवीन विषयों, तथ्यों और आलेखों से समृद्ध होती है। यह जानकर अच्छा लगा कि तकनीक केंद्रित इस युग में 'संकल्पना' ई -शासन और हिंदी पर केंद्रित है ।

मुझे आशा है कि यह प्रयास राजभाषा के कार्यों की सार्थकता को सुनिश्चित करेगा । इस कार्य हेतु मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं ।

संगीता श्रीवास्तव

(प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव)

Residence / आवास:
18/22, Clive Road, Civil Lines, Prayagraj-211 001 /
18/22, क्लाइव रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज-211 001

Camp Office / शिविर कार्यालय:
Tele. / दूरभाष : (0532) 2545020
: (0532) 2545733

Main Office / मुख्य कार्यालय:
Tele. / दूरभाष : (0532) 2461089, 2461157
e-mail / ई-मेल : vcoffice@allduniv.ac.in
: vcoffice.uoa@gmail.com

इलाहाबाद विश्वविद्यालय
University of Allahabad

आचार्य एन0 के0 शुक्ल
Prof. N.K. Shukla
कुलसचिव
Registrar

Tel. : Off. (0532) 2461083
Fax : (0532) 2461009
Mob. : 09415214363
e-mail : registraraualld@gmail.com
: nkshukla@allduniv.ac.in
: nksjkiapt@gmail.com

15 फरवरी, 2022

संदेश

मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे विश्वविद्यालय की राजभाषा गृह पत्रिका 'संकल्पना' का ये अंक 'ई-शासन और हिंदी' पर केन्द्रित है।

भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर, 1949 को 'हिंदी' को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया। परिणामस्वरूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा 'हिंदी' एवं लिपि 'देवनागरी' होगी।

हिंदी के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से हमारा विश्वविद्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित है। हिंदी कार्यान्वयन हमारी नैतिक जिम्मेदारी के साथ-साथ संवैधानिक दायित्व भी है। आज का युग तकनीकी का युग है। हिंदी प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न ई-टूल्स आज उपलब्ध हैं। हमें इन टूल्स का प्रयोग कर तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी को समृद्ध बनाना है। हमारे विश्वविद्यालय का राजभाषा अनुभाग, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार वर्ष भर सक्रिय रहता है। यह पत्रिका भी उसी सक्रियता का एक प्रमाण है।

मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि ई-शासन के विभिन्न प्रावधानों, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने आदि की जानकारी के लिए गृह पत्रिका 'संकल्पना' उपयोगी साबित होगी।

मैं राजभाषा अनुभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को गृह पत्रिका 'संकल्पना' के प्रकाशन के लिए बधाई एवं दायित्वपूर्ण सक्रियता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

शुभकामनाओं सहित....

तरेन्द्र कुमार शुक्ल

(आचार्य एन0 के0 शुक्ल)
अध्यक्ष
राजभाषा का. समिति

संपादकीय

प्रोफेसर संतोष भदौरिया
Prof. Santosh Bhadauria
संयोजक
राजभाषा कार्यान्वयन समिति

राजभाषा अनुभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

इक्कीसवीं सदी तकनीक के विस्तार की सदी है। इसी सदी में हिंदी ने तकनीक से प्रगाढ़ दोस्ती कायम की है। हिंदी जब से तकनीक से जुड़ी है, उसकी उपयोगिता और महत्ता पहले से ज्यादा बढ़ गई है। तकनीक के आदिम रूप से दोस्ती कायम करने के कारण ही विभिन्न भाषाएं मुद्रण कला से जुड़ी और साहित्य,छापखाना के माध्यम से आमजन तक पहुँचा। 1980 के दशक में हिंदुस्तान में कंप्यूटर के अनुप्रयोग से भाषाई स्तर पर अवसर के नए द्वार खुले। हिंदी भी कंप्यूटर से जुड़ी। यह गौर करने की बात है कि भारत में 1990 के दशक में शुरू हुई भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने संचार की प्रक्रिया को तेज किया। हिंदी अनेकरूपा हुई। शुरुआती दौर में हिंदी ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए रोमन लिपि का सहारा लिया जो आज भी चलन में है, किंतु तकनीक में हो रहे नए आविष्कारों ने देवनागरी में अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए हैं। आज यूनिकोड फॉन्ट के प्रयोग से तकनीक की दुनिया में हिंदी का मानक रूप काफी कुछ स्थिर हुआ है।

दरअसल तकनीक आधारित जिस तरह की दुनिया का निर्माण हो रहा है, उसमें समाज के विभिन्न उपादान भी तकनीकी उपक्रमों से तेजी से जुड रहे हैं। प्रशासनिक क्षेत्र के विविध उपक्रमों में 'ई–शासन' ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। 'ई–शासन' आज के समय की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि 'ई–शासन' का बहुधा प्रयोग कोई अचानक से प्रकट हुई बात या पहल है। भारत में इसकी शुरुआत 1970 के दशक के दौरान चुनाव, जनगणना, कर प्रशासन आदि से संबंधित तथ्यों के संकलन तथा गणना आदि कार्यों के प्रबंधन के लिये हो चुकी थी। 1970 के दशक में ही तकनीकी शिक्षा हेतु अनेक इदारों की स्थापना हुई। केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों ने तकनीकी मंत्रालयों की स्थापना की। जिसे भारत में 'ई–गवर्नेंस' की दिशा में पहला बड़ा कदम माना गया, क्योंकि इनमें 'सूचना' और 'संचार' को केंद्र में रखा गया। इसके ठीक सात साल बाद सन 1977 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने देश के सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिये 'जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम' की शुरुआत की। ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में सन 1987 में स्थापित राष्ट्रीय उपग्रह–आधारित कंप्यूटर नेटवर्क (NICNET) एक प्रभावी और महत्त्वपूर्ण कदम था। इन सबका समेकित असर यह हुआ कि सूचना,संचार और तकनीक (आई.सी.टी.) के साझेपन को तेजी से प्रयोग में लाया जाने लगा। हालांकि तब तक 'ई–शासन' में अंग्रेजी का बोलबाला था।

गौरतलब है कि हिंदी पट्टी में समावेशी शासन व्यवस्था को त्वरित और युक्तिसंगत ढंग से निष्पादित करने के लिए हिंदी में कार्य करने की आवश्यकता है। जो कि कठिन जरूर है पर असंभव नहीं है। इसी ध्येय को धारण कर राजभाषा अनुभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गृह पत्रिका 'संकल्पना' का यह अंक 'ई–शासन और हिंदी' पर केंद्रित है। इस अंक की योजना इस मंशा के साथ बनाई गई है कि 'ई–शासन' को सरलता और सहजता के साथ समझा जा सके। 'ई–शासन' की कार्यवाहियां समुचित ढंग से निष्पादित हो सकें। 'ई–शासन' को हिंदी से जोड़कर उसे प्रभावी रूप से प्रयोग में लाया जा सके तथा 'ई–शासन और हिंदी' संबंधी व्यवहारिक चुनौतियों से आसानी से निपटा जा सके।

इस अंक में यह कोशिश भी शामिल है कि इस विषय से संबंधित विशेषज्ञों के लेखों के माध्यम से 'ई–शासन' के उद्देश्यों को हासिल करने और विशेषकर हिंदी के स्तर पर कुछ नई चीजें जानने को मिले। 'ई–शासन और हिंदी' के अंतर्संबंध को सही ढंग से व्याख्यायित किया जा सके। यह भी उल्लेखनीय है कि इस अंक में न केवल विषय केंद्रित महत्वपूर्ण लेख हैं बल्कि हिंदी भाषा की महत्ता से जुड़ी हुईं कुछ बेहतरीन कविताएं भी शामिल हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि राजभाषा अनुभाग की गृह पत्रिका 'संकल्पना' का चौथा अंक भी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होगा। इस अंक के लिए मिले रचनात्मक सहयोग के लिये हम लेखक साथियों का आभार व्यक्त करते हैं।हमें यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि विश्वविद्यालय की वर्तमान प्रथम महिला कुलपति माननीय प्रो. संगीता श्रीवास्तव जी की प्रेरणा और प्रोत्साहन इसके इस रूप में प्रकाशित होने में सहायक रहा है। हमेशा की तरह आप सभी सुधीजनों के सुझावों का स्वागत है।

संतोष भदौरिया

हिंदी और उसका विश्व

प्रो. शम्भुनाथ

दुनिया के देश दो वजहों से हिंदी की जरूरत महसूस करने लगे हैं। एक, वे भारत को जानना चाहते हैं। दूसरे, उन्हें हिंदी एक बड़ी संभावनाओं वाले बाजार तक पहुंचाने वाली भाषा नजर आती है। अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर पिछले कुछ वर्षों से हिंदी एक सीखी जाने वाली जरूरी भाषा के रूप में देखी जाने लगी है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान,रूस, कोरिया, श्रीलंका जैसे देशों में हिंदी सीखने के लिए उत्सुकता बढ़ी है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान जैसे मुल्क में भी हिंदी की पढ़ाई शुरू हो रही है। भारत के विभिन्न राज्यों के लोग इन दिनों दूसरे देशों में हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदी सिनेमा और गीत–संगीत में हिंदी को फैलने का मौका मिला है। इधर दुनिया भर में फैले भारत के लोगों में सांस्कृतिक आत्मपहचान के संरक्षण की भावना भी काम कर रही है। लक्षित किया जा सकता है कि भारत और शेष विश्व में हिंदी की महत्ता नए सिरे से बढ़ी है। निश्चित ही इसी अनुपात में हिंदी में उदार, समावेशी और विकसित 'विजन' की जरूरत भी बढ़ी है।

हो सकता है कि विश्व के तमाम देशों में हिंदी सीखने को लेखक बढ़ी उत्सुकता के पीछे उन देशों के अपने हित हों। वे हिंदी बोलकर हमारी आत्मीयता और विश्वास पाना चाहते हों, ताकि बेहतर ढंग से अपनी जीवन पद्धति, विश्वदृष्टि और माल का प्रचार–प्रसार कर सकें। किसी अंग्रेज या चीनी को हम जब अच्छी हिंदी बोलते सुनते हैं, हमारा उसके प्रति दृष्टिकोण सहसा सकारात्मक हो जाता है। हमारे मन से हर दूरी गल जाती है । एक बार पहले भी 18वीं–19वीं सदी में भारत की भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों के अध्ययन की गहरी रुचि पश्चिमवासियों में बढ़ी है। निश्चित ही इस बार भी हमारे महान साहित्य ग्रंथों में रुचि की वजह से हिंदी सीखने–सिखाने की योजना नहीं बना रहे हैं। फिर भी, भले बाजार और कूटनीति की वजहों से ही हिंदी का उपयोग बढ़ा हो, इस मामले का थोड़ा–बहुत संबंध सभ्यताओं के संवाद से जरूर है। इसलिए आज हिंदी सभ्यताओं के बीच संवाद की भाषा है।

अंग्रेजी में आत्मविमुग्ध रहने वाले देश अब जिन एशियाई भाषाओं को सीखना जरूरी समझते हैं,उनमें हिंदी सबसे ऊपर है। सिर्फ अमेरिका में जिन एशियाई भाषाओं को सिखाने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किये जाने हैं, उनमें रूसी, चीनी, अरबी, उर्दू आदि के साथ हिंदी भी है। हिंदी भारत के बाजार की सबसे सफल चुलबुली भाषा है। यह दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली समझी जाने वाली भाषा है। इससे आगे बढ़कर यह कहा जाना चाहिए की बहु भारतीय देश में हिंदी की भूमिका पुल बनने की है। यह सब को जोड़ने वाली भाषा है। हिंदी मे मनुष्यता को 'हम' और 'वे' में बांटने की शिक्षा कभी नहीं दी। इसीलिए यह आदमी को जितना 'इमोशनली एजुकेट' कर सकती है, शायद दुनिया की कम भाषाएं ऐसा करती हों।

हिंदी को भारत में सम्मान की नजर से देखा जाए, इसका एक माध्यम के रूप में विकास हर क्षेत्र में हो और विश्व में यह एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित हो यह किसी बड़े संघर्ष से कम नहीं है। संपूर्ण तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि आज स्थितियां जटिल हो चुकी हैं। क्या भूमंडलीकरण ने हिंदी और हिंदी साहित्य के लिए दुनिया के दरवाजे पहले से ज्यादा बंद कर दिए हैं ? निश्चित ही 21वीं सदी में अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, खासकर छोटी भाषाओं पर ज्यादा संकट है।

19वीं सदी में जो अंग्रेजी आ रही थी, वह फ्रेंच क्रांति के बाद के तर्क –वितर्क का एक उच्च संसार लेकर आ रही थी। अंग्रेजी पढ़े–लिखे लोग तब अंग्रेजी पढ़–लिखकर अपनी–अपनी राष्ट्रीय भाषा की उन्नति में लगे थे और राष्ट्रीय जन जागरण में शामिल होते थे। 21वीं सदी की अंग्रेजी लालच, छिछलेपन और उपभोक्तावाद का एक कुत्सित संसार लेकर आ रही है। यह पढ़े –लिखे व्यक्ति को अपनी मातृभाषा और आमजन से विच्छिन्न करती है। यह एक बड़ा मुश्किल दौर है। अंग्रेजी के सामने आज किसी दूसरी भाषा के प्रचार–प्रसार और उन्नति के बारे में सोचना बड़ा कठिन है। अंग्रेजी आर्थिक सत्ता ही नहीं, सांस्कृतिक सत्ता भी बन रही है। आज हिंदी सहित सभी भारतीय या एशियाई भाषाओं, यहां तक कि अंग्रेजी से इतर यूरोपीय भाषाओं में भी अपने अस्तित्व को लेकर बेचैनी है। क्या सभ्यता जैसे–जैसे बढ़ती जाएगी, देशी राष्ट्रीय भाषाओं का, संस्कृतियों का ह्रास होगा?

ऐसी चुनौती की स्थिति में हमें विश्व के विभिन्न मंचों से हिंदी के स्थान, महत्व और आत्मसम्मान का सवाल अधिक संगठित होकर उठाना होगा। निश्चित ही बाजार के आश्रय के बिना किसी भाषा का विकास नहीं हो सकता। लेकिन किसी भी भाषा को बाजार के हवाले कर निश्चित नहीं हुआ जा सकता। बाजार चाहता है कि सिर्फ उसकी भाषा चले । वह एक भाषा, एक स्वाद और एकरूपता चाहता है। आज हिंदी को सिर्फ बाजार की भाषा नहीं, उच्च शिक्षा,

ज्ञान–विज्ञान, कला–साहित्य की भाषा और करोड़ों लोगों की मातृभाषा के रूप में भी विकसित करने की जरूरत है। इसमें नई पीढ़ीयों के लिए पर्याप्त आकर्षण होना चाहिए, क्योंकि हिंदी को भविष्य में उन्हीं के साथ विकसित होना है। हिंदी पेट की भाषा ही नहीं, दिलोदिमाग की भाषा भी है। इसीलिए लेखकों, शिक्षकों और अन्य बुद्धिजीवियों की भी आज एक बड़ी निर्णायक भूमिका है।

आज बढ़िया या चमक–दमक वाली ऊंची जगहों पर हिंदी बोलने में बहुतों को आत्मग्लानि का बोध होता है। चालीस करोड़ लोगों की भाषा सीखना, इसमें बोलना और इसमें अनुसंधान करना गौरव की बात होनी चाहिए। आज कुछ दंभी व्यक्तियों की नजर में ज्ञान का अर्थ सिकुड़ कर रह गया है अंग्रेजी का ज्ञान या अंग्रेजी में ज्ञान। बड़े–बड़े विशेषज्ञ या विद्वान अपनी मातृभाषा छोड़कर अंग्रेजी में लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें अधिक कमाई और अधिक प्रसिद्धि है। वह ऐसा भले करें, क्योंकि हमारा अंग्रेजी से विरोध नहीं है, किंतु उन्हें अपनी अपनी राष्ट्रीय भाषा में भी लिखना चाहिए। ज्ञान और विज्ञान को यदि मुट्ठी भर लोगों के एकाधिकार से बाहर निकालकर सर्वव्यापक बनाना है तो दुनिया की छोटी–छोटी भाषाओं को भी ज्ञान–विज्ञान से समृद्ध करना होगा।

यही वह अवसर है, जब संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने की कोशिश में पूरा जोर लगा देना चाहिए। यह उन सारी एशियाई आवाजों का सम्मान होगा जो औपनिवेशिक दुष्चक्र में हमेशा हाशिये पर फेंकी गई हैं। हिंदी के लिए उठी आवाज को हिंदी राष्ट्रवाद या हिंदी साम्राज्यवाद समझना गलतफहमी है। औपनिवेशिक हैंगओवर के शिकार व्यक्ति ही हिंदी के प्रचार–प्रसार के कार्य को हिंदी उन्माद कहते हैं। उनके विचार से अंग्रेजी उदारवाद की भाषा है और हिंदी संकीर्णता की। हिंदी के बारे में परंपरागत ढंग से सोचने वाले कुछ हिंदी सेवियों में हिंदी राष्ट्रवादी उन्माद हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे उन्माद गलत है, बार–बार आत्मधिक्कार भी गलत है। दरअसल, समाज की प्रगतिशील ताकतें जब उत्थानशील सांस्कृतिक संरक्षण की जिम्मेदारी से विमुख होती हैं, तभी अंध–राष्ट्रवादी तत्वों को कूदने का मौका मिलता है।

हमें इस पर सोचना होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का सम्मान कैसे बढ़ेगा, यदि खुद हिंदी वाले इसे सम्मान और विकास की नजरों से नहीं देखेंगे। हिंदी की सच्ची सेवा हो, हिंदी का सेवन ना हो। हिंदी पढ़ने, सुनने और देखने की संस्कृति हो हिंदी को बाहर की ताकत तभी मिलेगी, जब भीतर से मजबूत होगी और इसकी अखंडता के साथ विविधता की रक्षा की जाएगी। हिंदी को सिर्फ हिंदी क्षेत्र की भाषा समझना गलत है। हिंदी का प्रचार–प्रचार दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व में है ही। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हिंदी में उपलब्ध विराट अनुवाद भंडार के आकर्षण और दुनिया में फैले भारतवंशियों एवं प्रवासियों की वजह से अब हिंदी का प्रसार विश्व व्यापक है। हिंदी का विकास और प्रचार–प्रसार सिर्फ हिंदी क्षेत्र के लोगों द्वारा ही नहीं हिंदीतर विश्व के हिंदी प्रेमियों और शिक्षकों द्वारा भी हो रहा है। उनके कार्यों में गति आएगी। तभी हिंदी अधिक व्यापक रूप से विश्व भाषा के रूप में स्वीकृत होगी। हमें देवनागरी लिपि को जरूर महत्व देना चाहिए, लेकिन कहीं यदि रोमन में ही हिंदी लिखी पढ़ी जा रही हो तो उससे भी आपत्ति क्यों। हिंदी के 'कंसेप्ट' को व्यापक करते हुए लिपि, भाषा और उच्चारण तीनों स्तरों पर इसकी विविधता का सम्मान करना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा शर्त यह हो सकती है कि हिंदी की बुनियादी भाषिक प्रकृति से छेड़छाड़ न हो। निश्चित ही हिंदी में अंग्रेजी शब्दों का अंधाधुंध मिश्रण गलत है। इसे यह तर्क देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखिए–अंग्रेजी ने कैसे–कैसे शब्दों को अपना लिया है! हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों के अंधाधुंध मिश्रण से हिंदी की बहुस्रोतपरकता की क्षति हो रही है–या मिश्रण एकायामी हो गया है। यह हिंदी का हिंदीकरण है। हम जानते हैं कि हिंदी पहले भी क्षेत्रीय की जगह संपूर्ण भारत की अभिव्यक्ति और वैश्विक अभिव्यक्ति की भाषा थी, आज भी है।

हिंदी 21वीं सदी की दो बड़ी चुनौतियों–नई टेक्नोलॉजी और बाजार का सफलतापूर्वक सामना कर रही है। यह जरूर है कि हाल के वर्षों में जो सूचना विस्फोट हुआ है, ज्ञान के नए संसार अस्तित्व में आए हैं, हिंदी के शैक्षिक संसार को इस विकास से अभी अपना व्यापक तालमेल बैठाना बाकी है। हिंदी के मामले में भाषा प्रौद्योगिकी के धीमे विकास के कारण जो तकनीकी दिवालियापन बना हुआ है, उससे मुक्ति पानी होगी। हमारे देश के किसी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अब तक लैंग्वेज लैब नहीं है–अत्याधुनिक शिक्षक सुविधाएं नहीं हैं और हिंदी विद्यार्थी 75 साल पुरानी पद्धति से हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। हमें हिंदी को 21वीं सदी में पहुंचाने के लिए निश्चित ही अभी अपने घर से ही बहुत कुछ करना बाकी है। कहना न होगा कि हिंदी के संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनने से सिर्फ हिंदी नहीं, सभी भारतीय भाषाओं की एकता, प्रतिष्ठा और महत्ता बढ़ेगी। इसी से अंग्रेजी का वर्चस्व घटेगा। भारतीय भाषाओं की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और आम जन का आत्मविश्वास बढ़ेगा।

हिंदी को विश्व भाषा का दर्जा देने और संयुक्त राष्ट्र

की भाषा बनाने का प्रश्न व्यापक सामाजिक चिंताओं से जुड़ा हुआ है। यह हिंदी परिवार की 48 भाषाओं, उप–भाषाओं, बोलियों से हिंदी की अखंडता, हिंदी–उर्दू अंर्तसंबंध ओर दूसरी भारतीय भाषाओं से 'इंटरेक्शन' और मेलमिलाप के प्रश्नों से भी जुड़ा है। वे उत्पीड़ित समुदाय, जो अब तक मूक या हाशिये पर रहे हैं, उनके मानवाधिकार से ये प्रश्न जुड़ा हुआ है। निश्चय ही हिंदी का रिश्तों की मिठास की भाषा के रूप में कम महत्व नहीं है। आज के 'विकास' में भारतीय भाषाओं की कोई भूमिका नहीं हो सकती, ऐसा सोचना एक भ्रम है। बल्कि यह विकास मानवीय और जनतांत्रिक तभी होगा, जब भारतीय भाषाओं के जरिए आएगा। हिंदी कुछ खास राज्यों या एक जाति की भाषा न होकर एक विश्व भाषा है। इसमें इतना खुलापन, सर्वग्राह्यता और विश्वबोध है कि इसे एक विश्व भाषा कहा जा सकता है।

(पूर्व आचार्य, कलकत्ता विश्वविद्यालय एवं निदेशक, भारतीय भाषा परिषद)

मातृभाषा

भाषाओं के यशोगान के बीच
भाषाओं के सौंदर्य के बीच
भाषाओं की स्पर्धा के बीच
भाषाओं के सीमांकन के बीच
भाषाओं की भीड़ के बीच

मौन मेरी मातृभाषा है.....

–श्रुति कुशवाहा

देश और घर

हिंदी मेरा देश है
भोजपुरी मेरा घर
..मैं दोनों को प्यार करता हूं
और देखिए न मेरी मुश्किल
पिछले साठ बरसों से
दोनों को दोनों में
खोज रहा हूं।

– केदारनाथ सिंह

'ज्यादा पढ़ने से लड़कियाँ खराब हो जाती हैं'

सीढ़ियों पर पड़े सुखे पत्ते,
जलाशय में सड़ रहे पानी,
उम्र की सिलवटों को पार कर रहे हैं,
सभ्यताओं के छोर से लेकर
सांस्कृतिक विरासत की ओर तक
मै उस आदमी की शिनाखघ्त में लगा हूँ,
जिसने पहली बार यह कहा –
'ज्यादा पढ़ने से लड़कियाँ खघ्राब हो जाती हैं,
नजरें झुकाकर चला करो,
जमाना क्या सोचेगा!'
मै दरिया के इस छोर से देखता रहा,
उसने बस इतना ही कहा –
'घूँघट होता ही इसीलिए है,
जब औरत रोए तो उसे कोई देख न सके!'
संवेदनाएं कच्चे घड़े में डाल कर दफन कर दी गईं
बहू– बेटियों के धर्म का चोला
सर से सरक कर
कमर पर बंधी करधन की जगह में
तब्दील होने को बेताब
सदियाँ बीतने को हो चली
वह आदमी जब भी हाथ की पकड़ में आता है
उसका चेहरा बदल जाता है
अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए
पुरुषवादी हो जाता है
धर्म का रक्षक बन तलवार निकाल कर
खड़ा हो जाता है सामने
महत्त्वाकांक्षी सोच को उभारने,
डर बनाए रखने के लिए
घूँघट और चारदीवारी में कैद कर
ज्ञान के संसाधनों पर पहरा लगा कर
आज वह कई संप्रदायों में दिखने लगा है
उसके चेहरे,
अब बदल गए हैं।

–जुगेश कुमार गुप्ता
शोध छात्र, हिंदी विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

वैश्विक पर्यावरण एवं ई-ऑफिस

डॉ. राजीव कुमार रावत

हम सबने बचपन से ही अपने चारों ओर पूजा–पाठ, यज्ञ, हवन, कथाओं, नमाजों, गिरजाघरों से गुंजायमान स्तुतियों, अजानों, प्रार्थनाओं की मिली जुली आवाजों के साथ जीवन के कोलाहल में प्रवेश किया है जो कि हमारा नैतिक संस्कार और जीवन दर्शन का आधार बनी हैं। यह एक बिडम्बना ही है कि शांत होने का उपदेश भी शोर मचाकर दिया जाता है। भारत देश के विषय में कहा गया है कि हमारा देश शांति प्रिय देश है और मानवता के इतिहास में हमने कभी किसी देश पर कोई आक्रमण नहीं किया है और न किसी का कुछ बलात् छीना है और समस्त जीवों में अपने जैसा ही जीवन मानते हुए 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' का व्यवहार किया है। इस भूमि के संसाधनों का उतना ही उपभोग करने और लोक कल्याणार्थ देने का जीवन दर्शन हमें शास्त्रों से मिला है। यहाँ हमें उतना ही लेना है जितना हमारे जीवन के लिए आवश्यक हो और उसे भी इसी प्रकृति को लौटाना है जैसे कि मधुमक्खी फूलों से पराग लेती है और संसार को शहद देती है। प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर संग्रह करने की शिक्षा भारत के गुरुकुलों की नहीं रही है क्योंकि यहाँ तो चक्रवर्ती सम्राटों को भी 'त्येन त्यक्तेन भुंजिथाः' का अनुशासन सिखाया जाता था और उनसे अपेक्षा की जाती थी कि राज्य का भोग भी त्याग के साथ करना है। संपूर्ण ब्रह्माण्ड को एक इकाई के रुप में पूज्य माना गया है और इसलिए अपने तन, मन, कर्म से प्राकृतिक अस्तित्व की पूर्णता के शांति स्वरूप की कामना की गई है। परंपरा रही है कि किसी भी अनुष्ठान या सभा के बाद इस प्रकार शांति पाठ किया जाता है।

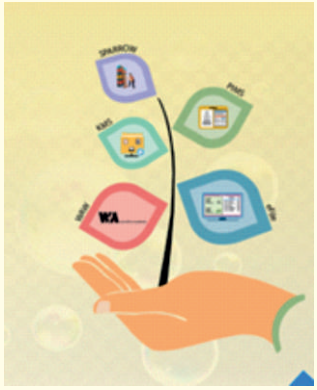

ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः
पृथिवी शान्तिरापः
शान्तिरोषधयः शान्तिः।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः
सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

यजुर्वेद के इस शांति पाठ मंत्र में ऋषि सृष्टि के समस्त तत्वों व कारकों से शांति बनाये रखने की प्रार्थना करते है। इसमें यह गया है कि द्युलोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हों, जल में शांति हो, औषध में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो, विश्व में शांति हो, सभी देवतागणों में शांति हो, ब्रह्म में शांति हो, सब में शांति हो, चारों और शांति हो, शांति हो, शांति हो, शांति हो। वैसे तो इस मंत्र के जरिये कुल मिलाकर जगत के समस्त जीवों, वनस्पतियों और प्रकृति में शांति बनी रहे इसकी प्रार्थना की गई है, परंतु विशेषकर हिंदू संप्रदाय के लोग अपने किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्य, संस्कार, यज्ञ आदि के समापन पर इस शांति पाठ के मंत्रों का मंत्रोच्चारण करते हैं।

आज पूरे विश्व में भौतिक वाद विकास की चरम सीमाओं को छू रहा है किंतु जीवन में शांति का अभाव भी स्पष्ट नजर आता है और चहुंओर भौतिकवाद का कोलाहल है, घर छोटे हैं किंतु सोफे और डबलबैड, डाइनिंग टेबल आदि फर्नीचर से लबालब भरे हुए हैं, घर में चहलकदमी करने के लिए भूलभुलैयां जैसे मोड़ लेने पड़ते हैं। पश्चिमी सभ्यता की होड़ में हमने इस भौतिक संग्रह में प्रकृति के साथ अनाचार किया है, अंधाधुंध पेड़ काटे हैं, जंगलों का नाश किया है, प्राकृतिक कुँए, तालाब, पोखर, झील, नदियों को पाटते हुए स्वार्थांध होकर कागज, फर्नीचर, भवनों, सजावटी सामानों, अस्त्रों एवं उपकरणों से अपने आसपास को अशांत कबाड़खाना बना लिया है और अपनी वेश–भूषा और भाषा का उपहास उड़ाते हुए उसका विनाश किया है। इसके विपरीत भारतीय जीवन परंपरा में निजी और अपने आसपास की शांति, जीवन शैली, जीवन–दर्शन, भाषा, भूषा, आहार–विहार को विशेष महत्व दिया गया है। यह शांति अंग्रेजी के साइलेंस या पिन ड्रॉप साइलेंस का पर्याय नहीं हैं अपितु जीवन के गहरे अर्थों में अप्राकृतिक कोलाहल एवं अप्रिय अपूर्णताओं से ऊपर उठकर स्व प्रकृतिस्थ होने की साधना की ओर इंगित करती है। जीवन के पल–प्रतिपल को प्रकृति के नाद की लय में जीने को ही जीवन माना गया है और इस लयात्मक संतुलन से न छेड़ने का परामर्श हमारे सभी ग्रंथों में दिया गया है जिससे हम पूर्णता के ही उपासक बनें और अंततः पूर्णता को ही प्राप्त हों क्योंकि हम पूर्ण के अंश हैं, और पूर्णता प्राप्ति ही जीवन का ध्येय है, इस प्रकृति से पृथक हमारा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। प्रश्न उठता है कि अब हमें प्रकृति को उसके पूर्ववत् संतुलन

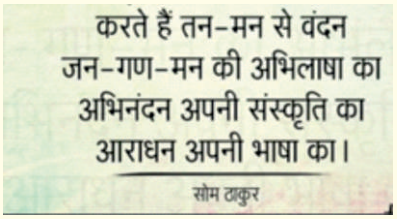

के स्तर पर लाने के लिए क्या करना चाहिए। इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण पहल हमारी प्राकृतिक वनस्पतियों, पेड़, पौधों एवं जंगलों को बचाने की हो सकती है। हमें अपने जीवन व्यवहार में उन कार्यों की पद्धति में बदलाव लाना होगा जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का नाश होता है और इन आदतों में सबसे महत्वपूर्ण है कागज का उपयोग। हमें अपने घर, कार्यालय, पारिवारिक, सामाजिक और अंततः राष्ट्रीय और फिर वैश्विक स्तर पर कागज और इसके सह–उत्पादों की खपत को लगभग शून्य पर लाना होगा। कागज की सबसे अधिक खपत हमारे कार्यालयों में होती है और वहां खपत को कम करने के लिए आज हमारे पास रामवाण के रुप में ई–ऑफिस की प्रक्रिया का सूत्रपात हो चुका है–जिसे अब अपनी आदतों में बदलाव लाकर राष्ट्रीय जीवन पद्धति बनाना है। भारत सरकार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के तत्त्वावधान में देश में इस प्रणाली का सूत्रपात किया गया है। ई–ऑफिस प्लेटफार्म पर हिंदी में कार्य करने के लिए https://eoffice-gov-in/downloads/eFileFilm-mp4 लिंक पर एक वीडियो रखी गई है जिसको देख समझकर आसानी से कार्यालय में हिंदी ऑफिस प्रणाली को अपनाया जा सकता है और हिंदी में काम किया जा सकता है।

हिंदी में कामकाज को ई–ऑफिस प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है और ई–ऑफिस को देश के अनेक मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों में लागू करने के आदेश दिए हैं। इस के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म पर हिंदी में कार्यालयीन काम–काज करना भी बहुत आसान है। देश में देश की राजभाषा हिंदी में कामकाज नहीं होता था क्योंकि पहले से फाइलों में सब कागज अंग्रेजी में हैं। नए कार्मिकों को सब कुछ अंग्रेजी की पुरानी फाइलों से ही संदर्भ सामग्री मिलती है, इसलिए सब कुछ अंग्रेजी में ही सीखकर चलता रहता है। ई–ऑफिस के आगमन से राजभाषा हिंदी की प्रगति की भी संभावनाएं प्रबल हुई हैं। अब जो काम हिंदी में होगा, वह ई–ऑफिस में हिंदी में ही सरंक्षित रहेगा और आगे के लिए मिसाल बनेगा। कागज की खपत कम होगी और सरकारी कामकाज हिंदी में होगा। इससे न कि देश के पेड़–पौधे–जंगल बचेंगे बल्कि संविधान निर्माताओं की मंशा भी पूरी होगी कि देश का काम–काज देश की भाषा हिंदी में हो। इस प्रणाली में सामान्य जनता अपनी भाषा में निर्धारित कागजपत्रों को अपलोड कर सकती है, प्रश्न पूछ सकती है, सूचना अधिकार के तहत आवेदन कर सकती है और उसकी रसीद भी अपनी भाषा में प्राप्त करती है। देश के अनेक राज्यों में गाँव पंचायत से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सतर्कता आयोग आदि संवैधानिक पदों तक शिकायतें सीधे ई–ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही पहुँच रही हैं जिससे लोकतंत्र में जनता की सीधी भागेदारी भी बढ़ रही है और सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का वास्तविक प्रयोग भी बढ़ रहा है। हिंदी में प्राप्त शिकायतों का उत्तर राजभाषा नियम 5 के प्रावधानों के तहत सरकारी कार्यालयों को हिंदी में ही देने के नियम को धरातल पर साकार होते देखा जा सकता है।

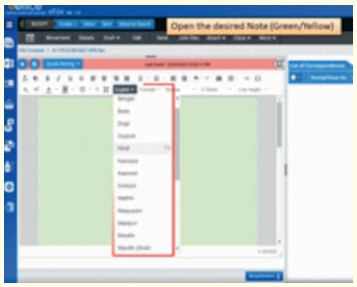

कोरोना कालखण्ड मानवता के इतिहास में क्रूरतम अध्याय के रूप में चिरकाल तक स्मरणीय रहेगा किंतु यह मानव जिजीविषा है कि वह संकट में भी अवसर तलाश लेता है। इस संकट काल में जहाँ एक दूसरे स्थान पर आना–जाना निषेध था और आपस में मिलना–जुलना संभव नहीं था तब प्रौद्योगिकी की सहायता से ई–मीटिंग और ई–ऑफिस की संकल्पना फलीभूत हुई है। ई–ऑफिस एक एकीकृत फाइल और रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली है, जो आतंरिक डाटा के सुगम उपयोग के साथ सामग्री प्रबंधन को सरल बनाती है। यह एप्लीकेशन फाइल की ट्रैकिंग और अभिलेखीय डेटा को आसानी से उपलब्ध कराता है। सिस्टम और डाटा पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखता है। इसमें काम करने में कोई भी भाषाई बाध्यता नही है इसलिए हिंदी में प्रारम्भ किए गए फाइल के नियमित कार्यों को स्वचलित बनाती है और नीचे से चल रहे हिंदी के कागज पर फिर ऊपर तक हिंदी में ही टिप्पणियाँ, अभ्युक्तियाँ लिखने का प्रयास सभी करते हैं जिससे हिंदी के काम काज में भी आशातीत वृद्धि हुई है। अनेक कार्यालयों ने अपने काम इस पद्धति से बखूबी निपटाए हैं।

आगे के वर्षों में यह एक शोध का विषय अवश्य हो सकता है कि कोरोना काल में देश में ईंधन की खपत में कितनी कमी हुई और इससे मानव जीवन के अतिरिक्त, अन्य पक्षों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कितनी लाभ–हानि हुई है। देखने में आया है कि कुछ समय की अफरातफरी के बाद इस महामारी के दौर में कार्यालय पद्धितियों में ई–आफिस के प्रयोग में वृद्धि हुई है। इस पहल से निश्चित ही वाहन, ईंधन,

समय आदि के व्यय कम हुए हैं साथ ही कार्यालयों में कागज की खपत कम हुई है और ई आफिस की प्रक्रिया में हिंदी पत्राचार, टिप्पणियों, पत्रों की संख्या भी बढ़ी है।

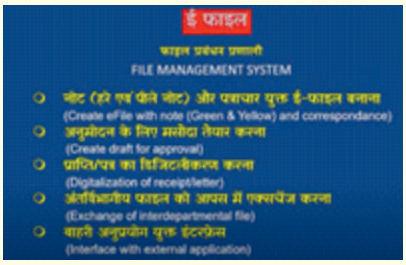

इस विषय में यदि एक विभाग ही लें और मात्र रेलवे की बात करें तो कागज बचाकर पेड़ों को सरंक्षित करने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने तकरीबन तीन साल पहले एक अभिनव पहल की थी जो आज साकार हो चुकी है। यह पहल थी सभी फाइलों और पत्रों का आदान प्रदान ई ऑफिस यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से करना। एम्पलाइज ई ऑफिस की परिकल्पना को साकार करने के लिए विभाग की ओर से एम्पलॉइज को ट्रेनिंग दी गई है। रेलटेल की मदद से 1528 कार्मिकों को ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही उत्तर पश्चिम रेलवे में ई ऑफिस पर 54 हजार इलेक्ट्रॉनिक फाइल अपलोड की जा चुकी है साथ ही चार लाख डॉक्यूमेंट्स को भी इस पर प्रोसेस किया जा चुका है। पुराने रिकॉर्ड को भी ऑनलाइन ई ऑफिस प्लेटफार्म पर लाने के लिए इनका डिजिटाइजेशन कर उन्हें स्कैन किया जा चुका है।

2018 में हुई थी शुरुआत गौरतलब है कि रेलवे बोर्ड ने चरणबद्ध तरीके से 2018 में ई ऑफिस की शुरुआत रेलटेल के सहयोग से की थी। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 24 मार्च 2019 को प्रधान कार्यालय जयपुर और 23 अप्रेल 2019 को जोधपुर मंडल में ई ऑफिस का आरंभ किया और अब पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे पर ई–ऑफिस में ही काम करने की पक्रिया पूरी हो चुकी है। व्यवहारिक तौर पर यह देखा गया है कि इससे राजभाषा हिंदी में भी काम काज का प्रतिशत अच्छा खासा बढ़ा है।

ई–आफिस की पहल के प्रत्यक्ष लाभों में देखा जा रहा है कि इससे विभागों के और अंततः देश के राजस्व की बचत हो रही है। कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आई है क्योंकि किसी भी समय कंप्यूटर पर फाइलों के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि वे किस अधिकारी के पास हैं। इससे जवाबदेही तय करना संभव हुआ है और किए गए कार्य की जिम्मेदारी की निगरानी करना आसान है। ई–आफिस कार्यप्रणाली में किसी भी कार्यालय में सूचनाओं की सुरक्षा बढ़ी है और उनके आदान प्रदान में तीव्रता आई है साथ ही कार्मिकों के समय और भागदौड़ की बचत हुई है। इस प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि इससे सरकारी कार्यालयों में आमतौर पर सुने जाने वाली बात कि फाइल नहीं मिल रही, खो गई , जल गई आदि बहानों से अब जनता को धोखा नहीं दिया जा सकता।

अंततः इसका दूरगामी लाभ यह होगा कि हमारी धरती हरी–भरी रहेगी। वनस्पतियों को भी नया जीवन मिल रहा है, जंगल क्षेत्र बढ़ेगा तो विविध जैविक प्रजातियों का जीवन भी सुरक्षित रहेगा और मानव मन में सभी जीवों के प्रति संवेदना का भाव प्रबल होगा जब उसे मशीनों का कोलाहल नही बल्कि प्राकृतिक संगीत का वातावरण अपने चारों ओर मिलेगा। ई–ऑफिस प्रणाली में कामकाज बढ़ने से हिंदी एवं भारतीय भाषाओं का सरकारी कामकाज में व्यवहार भी बढ़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में यह और आवश्यक है कि ऐसे प्रयासों को शुद्ध अंतःकरण से अपनाया जाए जिनसे देश की भाषाओं एवं संस्कृतियों की रक्षा हो। अब उच्च शिक्षा में भी हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के द्वार खुल चुके हैं और छात्र अपनी मातृभाषा के माध्यम से भी अभियंता एवं चिकित्सक, व्यवसायी, उद्यमी बन सकते हैं तो हम अपने प्रयासों से भाषा ही नहीं देश बल्कि धरती के वन, जंगल, पेड़–पौधों के रूप में प्राकृतिक संपदाओं को बचाकर भी वैश्विक पर्यावरण की शुद्धता एवं सरंक्षण में सहभागी बन सकते हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर
खड़गपुर 721302
मो0 9564156315, 9641049944
e-mail: dr.rajeev.rawat@gmail.com

भाषा

भाषा यानी केवल जीभ नहीं। भाषा यानी मन और माथा भी। एक का नहीं, एक बड़े समुदाय का मन और माथा जो अपने आसपास के और दूर के भी संसार को देखने–परखने–बरतने का संस्कार अपने में सहज संजो लेता है। ये संस्कार बहुत कुछ उस समाज की मिट्टी, पानी, हवा में अंकुरित होते हैं, पलते–बढ़ते हैं और यदि उनमें से कुछ मुरझाते भी हैं तो उनकी सूखी पत्तियां वहीं गिरती हैं, उसी मिट्टी में खाद बनाती हैं। इस खाद यानी असफलता की ठोकरों के अनुभव से भी समाज नया कुछ सीखता है।

–अनुपम मिश्र

अपनी भाषा में सुनता हूँ अपूर्व ऐश्वर्य की पुकार

डॉ. छबिल कुमार मेहेर

''अपनी ही भाषा में जनमा
मैं सुनता हूँ उसके अपूर्व ऐश्वर्य की पुकार
वह गूँजती है मिट्टी की गंध लिए
उसी के आस्वाद में खोलता हूँ चेतना का द्वार ।''

– लीलाधर मंडलोई

1.

आजाद हुए 75 वर्ष बीत गये और तब से लेकर आज तक हम (भारतवासी) लोगों ने अपने देश की प्रगति के लिए न जाने कितनी कसमें खाईं, कितने वादे किए, कितने नियम बनाए, कितने दल बनाए–कहना या गिनना मुश्किल नहीं तो शर्मनाक जरूर है। कितने महान् युगद्रष्टा विद्वानों के अथक प्रयास से भारतीय संविधान को तैयार किया गया और उसमें कितनी गंभीर, महत्वपूर्ण और जरूरी बातों को सूत्रबद्ध किया गया। और परिणाम...? भाषाई संकल्पनाओं पर ध्यान दिया जाए तो भाषा के मामले में आज भी गुलाम है भारत। बाहोश पूरा देश ही बेहोश है। पराई भाषा की चमक–दमक, मोह–माया में पड़कर अपनी ही भाषा की शक्ति, ऊर्जा, सम्पन्नता और अस्मिता को आज हमने भुला दिया है। पश्चिम के रंग में रँगकर अपने आपको कब तक आधुनिक और विकसित कहलाते रहेंगे? उधार ली हुई आधुनिकता से बेहतर है क्यों न अपनी ही परम्परा में स्वकीय आधुनिकता की तलाश करें। काव्य–पुरुष अज्ञेय की यह चिन्ता अप्रासंगिक नहीं है कि 'हमारे साहित्य में न तो हमें अपनी अनास्था दिखती है, न अपनी आस्था दिखती है, न अपनी चिन्ता दिखती है। पश्चिम की चिन्ता, पश्चिम की अनास्था, पश्चिम का त्रास हमको दिखता है और उस आधार पर हम अपने को आधुनिक मानते हैं। हमारी क्या चिन्ता होनी चाहिए, इसकी भी कोई चिन्ता हमको नहीं है।' पराई भाषा को घर में बिठाकर अपनी भाषा को बेघर कर दिया है। विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ठीक ही कहा था :

घर कइनु बाहिर, बाहिर कइनु घर,
पर कइनु आपन, आपन कइनु पर ।

हिन्दी को भारतीय आधुनिक भाषाओं की 'मणि' और प्रान्तीय भाषाओं को 'रानी' के रूप में माननेवाली विश्वकवि रवीन्द्रनाथ जी की यह सामासिक और समावेशी सांस्कृतिक कल्पना कितनी सुन्दर है 'आधुनिक भारत की संस्कृति एक विकसित शतदल कमल के समान है, जिसका एक–एक दल, एक–एक प्रान्तीय भाषा और उसका साहित्य, संस्कृति है। किसी एक को मिटा देने से उस कमल की शोभा ही नष्ट हो जाएगी। हम चाहते हैं कि भारत की सब प्रान्तीय बोलियाँ, जिनमें सुन्दर साहित्य की सृष्टि हुई है, अपने–अपने घर में (प्रान्त में) रानी बनकर रहें, प्रान्त के जनगण की हार्दिक चिन्ता की प्रकाश भूमि स्वरूप कविता की भाषा होकर रहें और आधुनिक भाषाओं के हार की मध्य मणि 'हिन्दी' भारत–भारती होकर विराजती रहे।' कहने को तो आधुनिक भाषाओं की 'मध्य मणि' है 'हिन्दी', परन्तु आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद हमारे लिए आज भी सपना बनकर रह गई है 'राष्ट्रभाषा हिन्दी'। राजभाषा हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप अपने हक और प्रतिष्ठा पाने के लिए आज भी प्रतीक्षारत है। निश्चित रूप से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जीवित रखने के लिए, उसकी अखण्ड राष्ट्रीय भावना को परिपुष्ट करने हेतु हिन्दी को बचाना होगा। इसे राष्ट्रभाषा का उचित सम्मान देना होगा। जब वह हमारे देश की राष्ट्रभाषा बनेगी तब जाकर वह राष्ट्रसंघ में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करने में कामयाब होगी, आज भी हम सभी की तमन्ना है कि हिन्दी संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश पाकर विश्वभाषा के रूप में समस्त मानव जाति की सेवा की ओर अग्रसर हो और भारतीय संस्कृति का मूलमंत्र 'वसुधैव कुटुम्बकम' विश्व के समक्ष प्रस्तुत करके 'एक विश्व, एक मानव परिवार' की भावना का संचार करे–इसी में हिन्दी की प्रासंगिकता और सार्थकता निहित है।

जो समृद्ध विरासत हमारे पास है उसको आगे बढ़ाने के बजाय पाश्चात्य संस्कृति की पूँछ पकड़ने की अद्‌भुत आदत डाल ली है हमने। अब भी समझ नहीं आई कि शिक्षा का माध्यम 'अँग्रेजी' होने से हमारी बौद्धिक चेतना जीवन से कटकर दूर हो गई है, हम अपनी ही जनता से अलग–थलग पड़ गए हैं, जाति के महत्वपूर्ण पक्षों का विकास रुक गया है? और पिछले सत्तर वर्षों में अगर हमने कुछ सीखा है तो केवल रटना...विरासत को भूलना और भूलते ही चले जाना। इससे तो और बदतर स्थिति है 'राजभाषा हिन्दी' की। राजभाषा हिन्दी के नाम पर कितना कमाया और कितना कोसा जा रहा है यह कहने की भी चीज नहीं रही। उधर सरकार भाषाई प्रगति के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है : प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, पुरस्कार, प्रकाशन, प्रसारण, प्रचार। फिर हिन्दी दिवस, तिमाही हिन्दी बैठकें, हिन्दी कार्यशालाएँ तो खड़ी हैं ही अपनी–अपनी जगह पर और खड़ी रहेंगी सदियों तक अपनी सार्थकता और उपयोगिता प्रमाणित करने के लिए। कविवर रघुवीर सहाय

ने तो बहुत पहले कह दिया था कि 'हिन्दी का प्रश्न अब हिन्दी का प्रश्न नहीं रह गया है हम हार चुके हैं।' आज हम सब इस यथार्थ को स्वीकार कर रहे हैं। तमाम तामझाम के बावजूद सत्ता पोषित राजभाषा हिन्दी की स्थिति चिन्ताजनक है। वह दिन प्रति दिन कृत्रिम, प्राणहीन, यांत्रिक और बोझिल होती जा रही है, जिसे मानक बनाकर सत्ता, संस्था व प्रतिष्ठानों द्वारा पेश किया जा रहा है। यह एक निष्प्राण कर्मकांड, रस्म अदायगी भर रह गयी है। अगर समय रहते इसके कारण का पता लगाकर उसका समुचित निदान न किया जाए तो स्थिति और विकट होती जाएगी। देश के अधिकतर विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभागों के लिए हिन्दी केवल एक विषय है। अत्याधुनिकों की दृष्टि में हिन्दी प्रतिभाहीन छात्र–छात्राओं का एक विवश विकल्प मात्र है। यहाँ पर जरूरत है हिन्दी को एक आधुनिक भाषा के रूप में नये ढंग की अध्ययन–पद्धति में ढालने की सृजनात्मक पहल की और तदनुसार नवीन पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक निर्माण की।

2.

भारत जैसे विशाल देश में अनेक भाषाओं और बोलियों के चलते हमारे संविधान ने यह विवेकपूर्ण निर्देश दिया है कि सरकारी कामकाज की भाषा में हिन्दी को अपनाया जाए। ऐसे में संविधान के कुछेक अनुच्छेदों की मार्फत हिन्दी आज 'राजकाज की भाषा' बन गई है। परन्तु राष्ट्र की भाषा के रूप हिन्दी को आज भी सर्वसम्मति नहीं मिल पाई है। 27 दिसम्बर, 1917 को कलकत्ता में कही गयी गाँधी जी की यह उक्ति आज भी धूल चाट रही है : 'आज की पहली और सबसे बड़ी समाज–सेवा यह है कि हम अपनी देशी भाषाओं की ओर मुड़ें और हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करें। हमें अपनी सभी प्रादेशिक कार्रवाइयाँ अपनी–अपनी भाषाओं में चलानी चाहिए तथा हमारी राष्ट्रीय कार्रवाइयों की भाषा हिन्दी होनी चाहिए।' उनकी सेवा–भावाना से अनुप्राणित काका कालेलकर ने हिन्दी भाषा के सेवा धर्म को रेखांकित करते हुए कहा था कि 'हम सबका धर्म सेवा धर्म है और हिन्दी इस सेवा धर्म का माध्यम है... हमने हिन्दी के माध्यम से आजादी से पहले और आजाद होने के बाद भी समूचे राष्ट्र की सेवा की है और अब इसी हिन्दी के माध्यम से विश्व की, सारी मानवता की सेवा करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं।' परन्तु समय के बदलाव के चलते आज इसे हमने भुला दिया है।

जब तक जनता दिल से हिन्दी को नहीं अपनायेगी तब तक हिन्दी ऐसे ही दर–दर की ठोकरें खाती फिरती रहेगी। संवैधानिक रूप से जिस प्रकार हिन्दी 'राजभाषा' है उसी प्रकार आम जनता को भी चाहिए कि वह हिन्दी को 'राष्ट्रभाषा' का सम्मान दे...तभी बात बनेगी। क्योंकि जनता की चित्तवृत्ति और लोक चेतना से जुड़कर ही भाषा फलती–फूलती है इसके विपरीत नियम, विनियम से बँधकर वह कुम्हलाने लगती है। इतना ही नहीं एक ऐसा समय भी आ जाता है जब उसकी प्रयोजनीयता पर भी प्रश्न चिह्न खड़े हो जाते हैं। अकारण नहीं कि आज दुनिया की 50 प्रतिशत भाषाएँ विलुप्तता के कगार पर खड़ी हैं और हर 14 दिन में दुनिया की एक बोलनेवाली भाषा मर रही है। कहने की जरूरत नहीं कि भाषा का मरना प्रकारान्तर से जाति और संस्कृति का मरना ही है, क्योंकि सभ्यता और संस्कृतियों की जातीय स्मृति भाषा में ही जीवित रहती है। न जाने कितनी बार चिल्ला–चिल्लाकर कहा जा चुका है कि देश की पहचान होती है राष्ट्रभाषा...राष्ट्र की बुनियाद होती है राष्ट्रभाषा...किसी भी राष्ट्र की विशिष्ट वाणी होती है राष्ट्रभाषा। देश की संस्कृति की गूँज, जनता की चित्तवृत्ति की छवि और लोकरंग की सच्ची प्रतिच्छवि सिर्फ अपनी भाषा, निज भाषा, राष्ट्रभाषा में ही स्पष्ट दिखाई देती है। बहुत पहले पाश्चात्य विचारक हॉवेल ने स्पष्ट कर दिया था 'किसी भी देश और समाज के चरित्र को समझने की कसौटी केवल एक है और वह यह कि उस देश और समाज का भाषा से सरोकार क्या है।' बकौल भारतेन्दु :

निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल।

भारतेन्दु के सन्देश की व्याख्या पं. प्रतापनारायण मिश्र ने इन शब्दों में की है :

सब मिलि बोलो एक जवान
हिन्दी–हिन्दू–हिन्दुस्तान।

चिन्ता की बात यह है कि हिन्दी के विरोध में भारतीय भाषाओं को खड़ा किया जा रहा है। हिन्दी भाषा पर विचार करने का मतलब है भारतीय भाषाओं के विकास पर भी बात करना। अगर हिन्दी से देश की अन्य भाषाओं को रंचमात्र भी क्षति पहुँचने की आशंका होती तो गुजराती भाषा–भाषी राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने और दक्षिण में उसके प्रचार के लिए प्रयास नहीं किया होता, ओड़िशा और असम में उसके प्रसार के लिए भरपूर चेष्टा नहीं की होती और तमिल के यशस्वी लेखक और देश के सुविख्यात नेता श्री राजगोपालाचारी ने अपने राज्य में हिन्दी विरोधी आन्दोलन के होते हुए भी, हिन्दी प्रचार के लिए अनवरत चेष्टा नहीं की होती। सुभाषचन्द्र बोस ने इसी सन्दर्भ में कहा था कि हिन्दी के विरोध का कोई भी आन्दोलन राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। स्वतंत्रता के पहले कन्याकुमारी से हिमाचल को एकता के सूत्र में पिरोकर

हिन्दी ने एक महती भूमिका अदा की थी, परन्तु स्वातंत्र्योत्तर काल में हमारी हिन्दी गंदी राजनीति का शिकार हो गई। परिणामस्वरूप हिन्दी का पूर्ण विकास नहीं हो पाया जितना कि अपेक्षित था। आखिर वजह क्या है? निश्चित रूप से प्राक् स्वातंत्र्य काल का हमारा हिन्दी–प्रेम, समर्पण, हमारी आत्मीयता, निष्ठा आदि सबके सब स्वतंत्रता परवर्ती काल में स्वार्थसिद्धि और कार्यसिद्धि तक सीमित हो गई। साहित्य में राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक चेतना क्रमशः क्षीण होती गई। एक वर्ग के अनुसार हिन्दी स्वयंपूर्ण, सर्वसमर्थ और सर्वाधिक समृद्ध भाषा है। दूसरे वर्ग के अनुसार हिन्दी अनुवाद और राजकाज की भाषा है। कुछ विद्वज्जनों का तो यह भी कहना है कि शिक्षा की माध्यम भाषा बनने की सार्मथ्य हिन्दी में नहीं है। जब कि सच्चाई यह है कि हिन्दी आज देश के करीब करोड़ों लोगों द्वारा बोली, समझी और लिखी जाती है। हिन्दी जानने वाले व्यक्ति देश के किसी भी कोने में जाकर हिन्दी बोलकर अपना काम चला लेते हैं। फिर सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीयता की दृष्टि से आज हिन्दी बोलने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। अपनी भाषा का महत्व एवं उसकी पराकाष्ठा स्वतःसिद्ध है। संस्कृतिचेता अज्ञेय जी के शब्दों में 'अपने स्वभाव व अपनी प्रादेशिक स्थिति के कारण हिन्दी में निरन्तर एक सांस्कृतिक केन्द्रान्मुखता रही है।' यदि हिन्दी राष्ट्र की भाषा होगी तो साहित्य का विस्तार भी राष्ट्रीय होगा। आज की यह राजभाषा कल की राष्ट्रभाषा भी बने हमारी चेतना और चिन्तना सहज रूप से हिन्दी के साथ जुड़ जाए...और हम सब भारतीय संस्कृति के मूलमंत्र 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना के प्रसार पथ पर अग्रसर होंगे।

सी–100, विश्वविद्यालय परिसर
डॉक्टर हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय
सागर, मध्यप्रदेश, पिन–470003
मोबाइल : 8989154228
ई–मेलः meherchhabilakumar@gmail.com

'भाषा'

(1) 'अपनी भाषा'
करो अपनी भाषा पर प्यार।
जिसके बिना मूक रहते तुम, रुकते सब व्यवहार।।

जिसमें पुत्र पिता कहता है, पतनी प्राणाधार,
और प्रकट करते हो जिसमें तुम निज निखिल विचार।
बढ़ायो बस उसका विस्तार।
करो अपनी भाषा पर प्यार।।

भाषा विना व्यर्थ ही जाता ईश्वरीय भी ज्ञान,
सब दानों से बहुत बड़ा है ईश्वर का यह दान।
असंख्यक हैं इसके उपकार।
करो अपनी भाषा पर प्यार।।

यही पूर्वजों का देती है तुमको ज्ञान–प्रसाद,
और तुमहारा भी भविष्य को देगी शुभ संवाद।
बनाओ इसे गले का हार।
करो अपनी भाषा पर प्यार।।

2. 'मेरी भाषा'
मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं,
मेरे रोम रोम में मानो सुधा–स्रोत तब बहते हैं ।
सब कुछ छूट जाय मैं अपनी भाषा कभी न छोड़ूंगा,
वह मेरी माता है उससे नाता कैसे तोड़ूंगा ।।
कहीं अकेला भी हूँगा मैं तो भी सोच न लाऊंगा,
अपनी भाषा में अपनों के गीत वहाँ भी गाऊंगा।।
मुझे एक संगिनी वहाँ भी अनायास मिल जावेगी,
मेरा साथ प्रतिध्वनि देगी कली कली खिल जावेगी ।।
मेरा दुर्लभ देश आज यदि अवनति से आक्रान्त हुआ,
अंधकार में मार्ग भूलकर भटक रहा है भ्रान्त हुआ।
तो भी भय की बात नहीं है भाषा पार लगावेगी,
अपने मधुर स्निग्ध, नाद से उन्नत भाव जगावेगी।।

–मैथिलीशरण गुप्त

राजभाषा हिंदी में प्राकृतिक भाषा संसाधन की चुनौतियाँ

डॉ. शैलेश मरजी कदम
डॉ. प्रिया शैलेश कदम

1. प्रस्तावना:–

प्राकृतिक भाषा मानव जीवन का अभिन्न अंग है। मानव के बीच संवाद स्थापित करने और उनको लिपिबद्ध करने का यह एक प्रमुख साधन है। भाषाविज्ञान में इसे व्यवस्थाओं की व्यवस्था कहा गया है। अभिकलनात्मक भाषाविज्ञान इस शक्ति को आत्मसात करने के लिए प्रयत्नशील है और इसके लिए वह प्राकृतिक भाषा संसाधन का सहारा लेता है। प्राकृतिक भाषा संसाधन अभिकलनात्मक भाषाविज्ञान का ही एक अंग है। प्राकृतिक भाषा संसाधन प्राकृतिक भाषा के विश्लेषण की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संगणक को जो सूचनाएं दी जाती है उन सूचनाओं को संगणक की भाषा में नियमबद्ध किया जाता है। प्राकृतिक भाषा संसाधन का मुख्य उद्देश्य है भाष्य विज्ञान की मदद से प्राकृतिक भाषा का विश्लेषण एवं निर्माण करना।

प्राकृतिक भाषा संसाधन के विकास की यात्रा सन–1940 से आज तक चली आ रही है किन्तु आज भी कई ऐसी चुनौतियां है जो हिंदी के मूल रूप को तकनीकी से जोड़ने में बाधक बन रही है। प्राकृतिक भाषा संसाधन के क्षेत्र में हिंदी को तकनीकी रूप से जोड़ने के लिए जिन प्रणालियों का निर्माण किया गया है उनके संदर्भ में प्रस्तुत आलेख में चर्चा की गई है। भाषा और तकनीकी दोनों को एक साथ जोड़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य है मशीनी अनुवाद। किसी भी भाषा को अन्य भाषा–भाषी तक संप्रेषित करने का एकमात्र माध्यम अनुवाद है। आजकल लोगों के हाथ में मोबाइल जैसे उपकरण आने से किताबों से या शब्दकोश से मदद लेकर अनुवाद को करने में समय गँवाने से ज्यादा मोबाइल में गूगल तथा गूगल ट्रांसलेट पर अनुवाद करके देखना अधिक आसान है। मशीनी अनुवाद के प्रणाली में शब्दभाव विसंदिग्धिकरण (WORD SENSE DISAMBIGUATION), बहुशब्दीय अभिव्यक्ति अभिज्ञान (MULTIWORD EXPRESSION RECOGNITION), नाम पद अभिज्ञान (NAME ENTITY RECOGNISER), संवेदना विश्लेषक (SENTIMENT ANALYSIS), वाक से पाठ (SPEECH TO TEXT) आदि टूल्स का भी महत्त्व होता है। इन टूल्स के निर्माण के लिए काफी विस्तृत डाटा और कार्पस का प्रयोग होता है। लेकिन भाषा अपने आपमें एक विशाल संकल्पना है, जिसमें बोलने वाले व्यक्ति की भावनाओं और संदर्भ के अनुसार भाषा का अर्थ भी परिवर्तित होता रहता है। इस बदलते अर्थ को मानव मस्तिष्क समझ लेता है किन्तु मशीन इसे समझने में कई बार असमर्थ होती है इसी असमर्थता के कारण भाषा और तकनीकी की दूरी अभी भी कायम है । इसलिए प्रस्तुत शोध पत्र में प्राकृतिक भाषा संसाधन के समक्ष हिंदी भाषा के संसाधन में जो चुनौतियां हैं उन पर चर्चा की गई है ।

2.शब्दभाव विसंदिग्धिकरण:– (WORD SENSE DISAMBIGUATION) अभिकलनात्मक भाषाविज्ञान के अंतर्गत भाषा मनोवैज्ञानिकों और संगणक वैज्ञानिकों के समक्ष हिंदी भाषा के प्राकृतिक भाषा संसाधन की यह एक खुली चुनौती है । हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें कई शब्द ऐसे हैं जिनका स्वरूप एक जैसा प्रतीत होता है किन्तु उनका आशय, संदर्भ और भाव अलग–अलग होता है । जब एक ही शब्द वाक्य में कई अर्थों में प्रयुक्त होता है तब प्राकृतिक भाषा संसाधन में कठिनाई आती है । मनुष्य के मस्तिष्क में इस प्रकार की योग्यता होती है तथा भाषा की समझ होती है कि भाषा में आने वाले अनेकार्थी शब्दों का संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण कर सके किंतु संगणक में इस तरह की क्षमता नहीं होती। इसलिए प्राकृतिक भाषा संसाधन के लिए यह एक चुनौती है कि किस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द का सही भाव समझ सके; वैसे देखा जाए तो शब्दकोश और कॉरपस एनोटेशन के जरिए इस समस्या का हल निकाल सकते हैं किंतु इसमें भी यह समस्या है कि हर शब्दकोश और थिसारस शब्द के उस अर्थ को बताते है जिस अर्थ को डाटा के रूप में संगृहीत किया गया हो कभी – कभी डाटा में संदर्भ के अनुसार अर्थ नहीं होने के कारण भाषा अर्थपूर्ण होने के बजे हास्यास्पद हो जाती है ।

उदाहरण : C&DAC पुणे के अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप द्वारा विकसित मंत्र–राजभाषा (Mantara& Machine Assisted Translation Tool) एक मशीन संबंधी अनुवाद सिस्टम है जो राजभाषा के प्रशासनिक, वित्तीय, कृषि, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य क्षेत्रों के दस्तावेजों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता है। मंत्र इस सिस्टम में विभिन्न डोमेन में अनुवाद किया गया उसमें एक ही प्रकार का वाक्य आउटपुट में दिखाया जाता है।

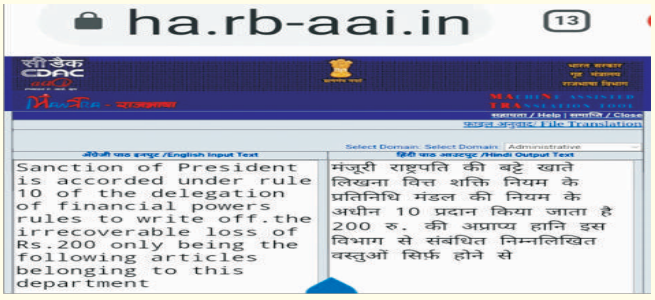

उपर्युक्त चित्र में दर्शाया गया उदाहरण एक प्रशासनिक पत्र का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद है जिसमें कई गलतियाँ है । उपर्युक्त चित्र में दिए अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अनुवाद इस प्रकार होना चाहिए था – 'राष्ट्रपति वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 10 के अधीन रु. 200 (दो सौ रूपए) की नावसूली हानि की राशि को, जो इस विभाग की निम्नलिखित वस्तुओं की कीमत है, बट्टे खाते में डालने की मंजूरी देते हैं।' यदि मंत्र–राजभाषा जैसे नामांकित सिस्टम से गलती हो सकती है तो अन्य प्रणालियों के संदर्भ में क्या होगा इसका अंदाजा लगाना ही काफी है।

उदाहरणार्थ– 2.: Complete your exercise इस वाक्य का मंत्र राजभाषा सिस्टम में जब अनुवाद किया गया तब शिक्षा Education का डोमेन चुना गया, शिक्षा के संदर्भ ने Exercise शब्द का अर्थ व्यायाम या लिखने पढ़ने का कार्य भी हो सकता है । इसी प्रकार हेल्थ के डोमेन में तो एक्सरसाइज शब्द का अर्थ व्यायाम होने की संभावना 99% होगी किंतु यह सभी जगह एक ही प्रकार का अनुवाद दिखाता है ।

जैसे (–) वाक्य : Complete your exercise-

हेल्थ केयर डोमेन में अनुवाद :आपके कार्य पूरा करें ।

जनरल डोमेन में : आपके कार्य पूरा करें ।

शिक्षा डोमेन में : आपके कार्य पूरा करें ।

उदाहरण– 3 : It is requested that he may be medically examined- इस अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद इस प्रकार होगा (:) अनुरोध/निवेदन है कि उनकी डॉक्टरी जांच करें। किन्तु मंत्र–राजभाषा के अंतर्गत हेल्थ केयर डोमेन में जो अनुवाद आउटपुट के रूप में सामने आया वह इस प्रकार है, 'यह निवेदन किया जाता है कि वह डॉक्टरी रूप में स्वास्थ्य परीक्षा की जाए'। आगे अकादमिक डोमेन में भी आउटपुट के रूप में यही अनुवाद दिखाया जाता है जबकि इसका अनुवाद इस प्रकार होना चाहिए था–अनुरोध है कि उनकी डॉक्टरी जांच करें ।

3. बहुशब्दीय अभिव्यक्ति अभिज्ञानः (MULTIWORD EXPRESSION RECOGNITION)

वैसे देखा जाए तो राजभाषा की यह विशेषता है कि वह एकार्थक होती है संदिग्धार्थक शब्दों का प्रयोग उसमे नहीं किया जाता लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ विशिष्ट मुहावरों का विशिष्ट अर्थ होता है। ऐसी अभिव्यक्ति में छुपे सही अर्थ को पहचानना संगणक या अन्य मशीन को कभी–कभी संभव नहीं हो पाता। हिंदी के मुहावरे जो कई शब्द मिलकर एक घटक का काम करते हैं जैसे– पाठ पढ़ाना, गुरु जी ने कल छात्रों को अच्छा पाठ पढ़ाया और लता ने गीता को कल अच्छा पाठ पढ़ाया, पाठ पढ़ाना इस मुहावरे का शिक्षा के डोमेन के रूप में अर्थ होगा पढ़ाना लेकिन सामान्य तौर पर इसका अर्थ होगा सजा देना।

इसी प्रकार हाथ साफ करना, सरिता ने श्याम के घर हाथ साफ किए। मुहावरों के संदर्भ में भी मुहावरा शब्दकोश उपलब्ध है परंतु वाक्य में मुहावरा जब प्रयुक्त किया जाता है तब वह किसी एक विशेष संदर्भ के साथ अर्थ को दर्शाता है।

4. नाम पद अभिज्ञानक : (NAME ENTITY RECOGNISER)

नाम पद अभिज्ञानक से तात्पर्य है कि ऐसे नाम पद खोजना जो एक ही घटक के अंतर्गत आते हो इसमें पाठ के अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति या किसी संस्था का नाम भी हो सकता है। यह टूल व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानता है इससे व्याकरणिक सूचना मिलती है (:) उदाहरण– श्याम सुंदर लड़की के साथ गया था। यदि संगणक के डेटाबेस में ऐसे शब्द पदों को एक ही घटक या एंटिटी के रूप में संग्रहित किया होगा तो संगणक इसे एक ही घटक के रूप में दिखाएगा वरना हर शब्द के लिए वह शब्दकोश और थीसारस की मदद या कॉरपस की मदद से अलग–अलग परिणाम देगा ।

उदाहरणः पेपर्स भारत को भेजने है । इस वाक्य में भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भारत देश का नाम है यह समझाना संगणक के लिए एक चुनौती है । क्योंकि गूगल में भारत को इंडिया ही अनुवादित किया है ।

उदाहरणः मनीषा को संतोष मिला । इस वाक्य में संतोष व्यक्तिवाचक संज्ञा है या 'संतुष्टि (SATISFACTION)' शब्द है यह समझाना मुश्किल हो जाता है ।

इस समस्या से निपटने के लिए भाषा वैज्ञानिकों का कहना है कि नाम के पूर्व पूर्वपद लगाया जाए फिर संदिग्धार्थाकता नष्ट हो जाएगी किन्तु ऐसा करना भाषा को हास्यास्पद भी बना सकता है जैसे– उपर्युक्त वाक्य 'मनीषा को संतोष मिला' का परिवर्तन इस प्रकार होगा सुश्री मनीषा को श्रीमान संतोष मिले ।

5. वाक से पाठ– (SPEECH TO TEXT)

इस प्रणाली की मदद से आप बोलकर भी टाइप कर सकते है । इस प्रणाली में भी संगृहीत डेटा के बाहर का शब्द आता है तो वह शब्द टाइप नहीं होता या उससे जुडा अन्य शब्द टाइप हो जाता है जिससे कभी–कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है । इसीप्रकार इस प्रणाली में जब आप टाइप करते है तब विरामचिह्न नहीं टाइप होते वे बाद में मैन्युअली टाइप करने पड़ते हैं, जिससे समय काफी लग जाता है।

6. निष्कर्ष :

हिंदी को तकनीकी से जोड़ने का अर्थ है राजभाषा हिंदी को

विश्वभाषा हिंदी बनाने का प्रयास यदि तकनीकी के क्षेत्र में भाषा के मूल रूप को हानि पहुचाने लगे तो यह उसके लिए चिंता का विषय बन सकता है। हिंदी के मातृभाषा–भाषी या उसके जानकार भारतीय लोग उसके मूल रूप से परिचित होते है तकनीकी की ऐसी गलतियों को वह स्वयं सुधार कर समझ भी सकते है किन्तु विश्वभाषा की इस कगार पर हिंदी के इस तकनीकी रूप को समझना विदेशियों के लिए कठिन होगा । यही नहीं बल्कि गलत अर्थ के साथ हिंदी उन तक पहुंचेगी इसलिए आज आवश्यकता है कि भाषा वैज्ञानिकों और संगणक वैज्ञानिकों द्वारा इन चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान कार्य को बढ़ावा दिया जाय ।

7. संदर्भ ग्रंथ :

1. प्रशासनिक अनुवाद (–) विविध प्रकार की प्रशासनिक सामग्री का अनुवाद (–) पाठ्यसामग्री (–) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, प्रकाशन (–) जून 2011.

2. Sangal, Rajeev And Bendre, S.M. (Editor). (2004) Proceeding of the International Conference on Natural Language Processing (ICON&2004), Allied Publishers Private limited,

3. Sangal, Rajeev, Bendre, S.M. And Amitab Mukhergi (Editor).(2005) Proceeding of the International Conference on Natural Language Processing (ICON&2005), Allied Publishers Private limited.

3. www.cdac.edu.in

4. www.rajbhasha.gov.in

(लेखक, सहायक प्रोफेसर, महात्मा गांधी अर्न्तराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा। मो0 9423643576)
(लेखिका, प्राचार्य, बोधिसत्व डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर पब्लिक स्कूल, पलगांव। मो0 8483008566)

'भाषा'

मेरी भाषा के लोग
मेरी सड़क के लोग हैं
सड़क के लोग सारी दुनिया के लोग

पिछली रात मैंने एक सपना देखा
कि दुनिया के सारे लोग
एक बस में बैठे हैं
और हिंदी बोल रहे हैं
फिर वह पीली–सी बस
हवा में गायब हो गई
और मेरे पास बच गई सिर्फ मेरी हिंदी
जो अंतिम सिक्के की तरह
हमेशा बच जाती है मेरे पास
हर मुश्किल में
विज्ञापन

कहती वह कुछ नहीं
पर बिना कहे भी जानती है मेरी जीभ
कि उसकी खाल पर चोटों के
कितने निशान हैं
कि आती नहीं नींद उसकी कई संज्ञाओं को
दुखते हैं अक्सर कई विशेषण
पर इन सबके बीच
असंख्य होठों पर
एक छोटी–सी खुशी से थरथराती रहती है यह !

तुम झाँक आओ सारे सरकारी कार्यालय
पूछ लो मेज से
दीवारों से पूछ लो
छान डालो फाइलों के ऊँचे–ऊँचे
मनहूस पहाड़
कहीं मिलेगा ही नहीं
इसका एक भी अक्षर
और यह नहीं जानती इसके लिए
अगर ईश्वर को नहीं
तो फिर किसे धन्यवाद दे !
मेरा अनुरोध है –
भरे चौराहे पर करबद्ध अनुरोध –
कि राज नहीं – भाषा
भाषा – भाषा – सिर्फ भाषा रहने दो
मेरी भाषा को ।

इसमें भरा है
पास–पड़ोस और दूर–दराज की
इतनी आवाजों का बूँद–बूँद अर्क
कि मैं जब भी इसे बोलता हूँ
तो कहीं गहरे
अरबी तुर्की बांग्ला तेलुगु
यहाँ तक कि एक पत्ती के
हिलने की आवाज भी
सब बोलता हूँ जरा–जरा
जब बोलता हूँ हिंदी
पर जब भी बोलता हूँ
यह लगता है –
पूरे व्याकरण में
एक कारक की बेचौनी हूँ
एक तद्भव का दुख
तत्सम के पड़ोस में।

–केदारनाथ सिंह

अंतरराष्ट्रीय हिंदी का शिक्षण समस्याएं और समाधान

प्रो0 वी.रा.जगन्नाथन

प्रस्तुत लेख में हिंदी शिक्षण विशेषकर विदेशों में हिंदी शिक्षण की स्थिति के बारे में चर्चा की गई है। पाठ्यक्रमों में मानकीकरण और विशेषज्ञता के पाठ्यक्रमों का अभाव प्रमुख समस्याएं हैं। अगर हम हिंदी को सही मायने में अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना चाहते हैं, तो हमें शिक्षण के स्तर को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। आलेख में भाषा प्रौद्योगिकी के नियमों को अपनाने पर बल दिया गया है।

1. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते महत्व और उभरती नई भूमिकाओं के कारण हिंदी शिक्षण के क्षेत्र में विस्तार अवश्य हुआ है, लेकिन स्तरीयता की दृष्टि से या उद्देश्यों की पूर्ति के संदर्भ में कोई विशेष प्रगति दिखाई नहीं देती। हिंदी के प्रयोग विस्तार और नई प्रकार्यात्मक दृष्टि के बावजूद भारतीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में, कुछेक अपवादों को छोड़कर वही पुरानी लीक है। विदेशी भाषा के रूप में विद्वानों के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण कुछ जगह नव–प्रवर्तन के आसार मिलते हैं, लेकिन अन्य विश्वविद्यालयों को इसका लाभ नहीं मिलता। भारत के स्कूली शिक्षण में अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों की तर्ज पर परस्परता– आधारित शिक्षण आदि नए उपागम अपनाए गए हैं। लेकिन वस्तु या लक्ष्य की दृष्टि से इनमें भी कोई नई दृष्टि नहीं दिखाई देती।

भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में हम सब में एक मत है। मातृभाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास, जिसमें भाषिक क्षमता का विकास और मूल्यों की स्थापना शामिल हैं। यहां लक्ष्य के संदर्भ में विधि से ज्यादा वस्तु का महत्व है। द्वितीय भाषा और विदेशी भाषा के रूप में शिक्षण की दृष्टि से वस्तु के ही समान विधि का भी प्राधान्य है, क्योंकि नई भाषा के अधिगम में नई भाषा व्यवस्था के अर्जन के साथ–साथ मातृभाषा का प्रभाव भी आड़े आता है। वस्तु का निर्धारण भाषा शिक्षण के उद्देश्यों से होता है। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य है अर्जित भाषा के माध्यम से उस भाषा समुदाय से सांस्कृतिक सामंजस्य स्थापित करना और उसे अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। सामाजिक प्रयोजनों की दृष्टि से सीमित व्यवहार भी उद्देश्य का अंग है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में साहित्य और संस्कृति के अतिरिक्त विविध प्रयोजनपरक संदर्भों में व्यवहार इसके लक्ष्य हैं विदेशी भाषा के रूप में भाषा शिक्षण का उद्देश्य है उस भाषा से एक नई संस्कृति के अंगों का परिचय प्राप्त करना और पर्यटन जैसे सीमित प्रयोजनों द्वारा उस भाषिक समुदाय से भावात्मक संबंध स्थापित करना, जिससे अध्येता दो विभिन्न संस्कृतियों के बीच सेतु बन सकें।

सिकुड़ते हुए विश्व में बढ़ता हुआ प्रवासी भारत (इंडियन डायस्पोरा) एक रोचक तथ्य है। प्रवासी जगत के दो घटक हैं। एक ओर वह भारतीय मूल के गिरमिटिया हैं, जिनके पूर्वज डेढ़ सौ वर्ष पूर्व भारत से निकलकर फिजी, मारीशस, गयाना, त्रिनिडाड, दक्षिण अफ्रीका, सुरीनाम आदि देशों में जा बसे। कुछ देशों में वर्तमान पीढ़ियाँ अपने पूर्वजों की भाषा को लील चुकी हैं और शेष देशों में भाषाई क्षरण या भाषा ह्रास के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। यद्यपि ये उन देशों के नागरिक हैं, जो अपनी जड़ों के प्रति जागरूक हैं। यह भी कहा जा सकता है कि वह अपनी अस्मिता की सुरक्षा की तलाश से प्रेरित होकर भारत की ओर दृष्टिगत होते हैं। हिंदी न केवल उनकी अस्मिता की एक पहचान है,बल्कि अस्मिता की सुरक्षा के लिए अपनाए गए धार्मिक अनुष्ठान, मीडिया के कार्यकलाप और सृजनात्मक अभिव्यक्ति के प्रयोजनों का माध्यम भी है। प्रवासी भारत का दूसरा प्रमुख घटक वे भारतीय हैं जो पिछले दो–एक दशकों में रोजगार या नौकरी की तलाश में इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा आदि देशों में जा बसे हैं। उनकी पीढ़ी में भाषा ह्रास का प्रश्न नहीं है,उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर चाहिए। उनकी अगली पीढ़ी को अपने माता–पिता की भाषा सीखने का मौका ना मिले, तो भारतीय संस्कृति से उनके विमुख होने का खतरा है। इन दोनों घटकों की आवश्यकताओं के मूल में सूत्र है उनकी सांस्कृतिक विरासत। इस कारण प्रवासी जगत के लिए भाषा शिक्षण की एक नई विधि संकल्पना सामने आई है, जिसे विरासत की भाषा का शिक्षण कहा जाता है।

हिंदी के अध्यक्षों के विभिन्न वर्गों के प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि सबके लिए एक पाठ्यक्रम या एक ही पुस्तक समुच्चय पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सबके सीखने के उद्देश्य और लक्ष्य भिन्न है। पिछले लगभग सौ साल की अवधि में भाषा शिक्षण की कई विधियां अस्तित्व में आई हैं– प्रत्यक्ष विधि, संरचनात्मक विधि, संप्रेषणपरक शिक्षण और प्राकृतिक भाषा शिक्षण विधि। इन विधियों की प्रगति में मूलभूत अंतर होने के कारण इन सब के लिए निर्मित शिक्षण सामग्री का स्वरूप दिन होगा। अब हम अध्ययनों के विभिन्न

वर्गों का विधियों से गुणा करें, तो अनुमान कर सकते हैं कि सभी वर्गों के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री के निर्माण और पाठ्यक्रम का आयोजन कभी संपन्न नहीं हो सकता। लेकिन हमें हिंदी को अत्यंत संपन्न आधुनिक, अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना हो, तो उसके शिक्षण की विभिन्न समस्याओं का आकलन करना होगा और उनके निवारण के उपाय भी करने होंगे। इस आलेख में प्रमुखता विदेशों में हिंदी शिक्षण पर ही बल दिया गया है।

2. **हिंदी शिक्षण की समस्याएं :** विदेशी भाषा के शिक्षण की कई समस्याएं हो सकती हैं। प्रशासनिक व्यवस्था, अभिरुचि आदि समस्याओं को छोड़ कर हम यहां केवल उन्हीं प्रमुख समस्याओं की चर्चा करेंगे जिनका शैक्षिक समाधान संभव हो।

(अ) विधि और पाठ्य सामग्री का सवाल– यह सवाल अध्येता वर्गों से जुड़ता है। विरासत भाषा शिक्षण में स्वांतः सुखाय, अनौपचारिक शिक्षण की व्यवस्था भी है, जैसे मारीशस की 'बैठका' का। दूसरी और व्यवस्थित औपचारिक उच्च शिक्षा का क्षेत्र है, जहां छात्र अपनी स्नातक स्तरीय उपाधि के लिए नियत क्रेडिटों के अर्जन के लिए विधिवत अध्ययन करते हैं और परीक्षा में बैठते हैं। यह शिक्षा प्रारंभिक स्तर से शोध उपाधि के स्तर तक कई वर्षों की हो सकती है। इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत शिक्षण, स्व शिक्षण, दूर– शिक्षण आदि पद्धतियां भी प्रचलित हैं।

औपचारिक शिक्षण के संदर्भ में विदेशी विश्वविद्यालय स्थानीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानीय रूप से सामग्री का निर्माण करते हैं और भारत से भी उच्च–स्तरीय पाठ्य पुस्तकें मंगाने का यत्न करते हैं। शेष स्थितियों में उपयुक्त पाठ्यसामग्री का अभाव है। भारत में भी विविध विधियों के संदर्भ में उपयोगी सामग्री के निर्माण की सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है। अच्छी पाठ्यसामग्री का निर्माण विशेष संगत दृश्य –श्रव्य सामग्री के साथ अत्यंत श्रमसाध्य और व्यवसाध्य व्यापार है । इस कारण वे विश्वविद्यालय यह कार्य अपने हाथ में लें नहीं सकते, जिनके यहां छात्रों की संख्या सीमित होती है। अच्छे पाठ्यक्रम का अभाव छात्रों की संख्या को भी प्रभावित करता है। यह देखा गया है कि व्यक्तिगत रूचि से अनौपचारिक व्यवस्था में सीखने के इच्छुक व्यक्ति रोचकता की कमी और उपयोगिता के अभाव में बीच में ही अपना अध्ययन छोड़ जाते हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि सभी वर्गो के अध्येता के लिए रोचक ढंग से और वैज्ञानिक रूप में तैयार में तैयार की गई पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराया जाए और उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। दूसरे शब्दों में, विविध उद्श्यों की पूर्ति के लिए पाठ्यपुस्तकों और सहायक सामग्री का विशाल संग्रह तैयार हो, जिसमें से अध्येता अपने मतलब की पुस्तकें चुन सकें।

(आ) मानकीकरण का अभाव दूरस्थ शिक्षा में, विशेषकर भाषा जैसे मानविकी के विषय में, अवधि के अनुपात में उपलब्धि के स्तर का निर्धारण कठिन कार्य है। लेकिन आधुनिक शिक्षाविदों, विशेषकर दूर शिक्षाविदों ने लक्ष्य के परिमाणन के तरीके विकसित किए हैं। इसका मूलमंत्र है क्रेडिट, जो अवधि सापेक्ष है। विश्वविद्यालय या विद्यालय भाषा शिक्षण के लिए जो अवधि नियत करे, उसी अनुपात में छात्र को क्रेडिट मिलेंगे। क्रेडिट और लक्ष्य प्राप्ति में भी तालमेल है। जो छात्र उच्चारण में दो क्रेडिट हासिल करें, उनमें स्वर्ग व्यंजनों का उच्चारण, सही अनुष्ठान में वाक्योच्चारण, सहज गति से वाहन आदि कौशल में लगभग समान दक्षता होनी चाहिए। यही बात लिपि– वर्तनी, वाक्य बोलना (मौखिक अभिव्यक्ति) और अन्य घटकों पर भी लागू होगी। इस तरह पहले वर्ष के प्रारंभिक पाठ्यक्रम में 16 क्रेडिट प्राप्त करने वाले छात्रों की भाषाई दक्षता समान स्तर की होगी, भले ही वे भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से अध्ययन करें या चीन या यूरोपीय विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हैं। जब लक्ष्य का क्रेडिट पद्धति के अनुसार मानकीकरण हो जाए, तो तदनुरुप पाठ्य सामग्री का विकास किया जाना होगा और सब जगह लगभग समान परीक्षा पद्धति भी अपनाई जानी चाहिए।

मानकीकृत पाठ्यक्रम से छात्रों को लाभ मिलेगा। उन्हें किसी भी विश्वविद्यालय से किए हुए पाठ्यक्रम का पूरा लाभ मिलेगा और उनका समय नष्ट नहीं होगा। साथ ही, छात्र विभिन्न विश्वविद्यालयों से अपनी पसंद के विषय चुनकर अपनी उपाधि के लिए आवश्यक क्रेडिट अर्जित कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर त्रिनिडाड में तीसरे वर्ष हिंदी के अध्ययन की सुविधा ना हो, तो छात्र किसी अमेरिकी या यूरोपीय विश्वविद्यालय से दो–एक वैकल्पिक हिंदी पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर सकेगा। इस तरह मानकीकृत पाठ्यक्रमों की व्यवस्था प्रवासी भारतीयों की एक बड़ी आवश्यकताओं को भी पूर्ति करेगी।

मानकीकरण का उद्देश्य पाठ्य पुस्तकों का निश्चय नहीं, बल्कि उसका बल लक्ष्य निर्धारण और अनुरूप उपलब्धि पर है। अतः पाठ्यपुस्तक कोई भी हो सकती हैं, बशर्ते वे अध्ययन की लक्ष्य पूर्ति के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसकी विस्तृत चर्चा अगले प्रकरण में करेंगे।

(इ) स्थानीयकरण : आवश्यकता और संभावनाएं– व्यक्ति लक्ष्य भाषा के साथ सभी का तादात्म्य स्थापित कर सकता है, जब उसके परिचित प्रवेश के संज्ञान और उसकी

अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। मारीशस का छात्र हिंदी के माध्यम से दिल्ली के चावड़ी बाजार या मुंबई के जुहू बीच के परिदृश्य का प्रावधान नहीं कर सकेगा। पोर्ट लुई या शामारल की चर्चा उसे भाषा को आत्मसात करने में सहायता देगी। यही बात उच्च शिक्षा पर लागू होगी। कनाडा में आधुनिक काव्य का अध्ययन करने वाले छात्र स्थानीय कवियों के काव्य संग्रह का अध्ययन करें, तो अधिक सार्थक होगा। यह उनकी अपनी अभिव्यक्ति है, इसमें उनकी अपनी अस्मिता झलकती है।

सार्थक भाषा शिक्षण के लिए स्थानीयकरण अनिवार्य शर्त है क्योंकि अध्यक्षों की आवश्यकताएं अपनी धरती से जुड़ी हैं। यूरोप के विश्वविद्यालय अपने उच्च पाठ्यक्रम में अनुवाद या कोसीकला को अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहेंगे, जिससे उन्हें प्रशिक्षित कार्यकर्ता मिल जाएं। विदेशी विश्वविद्यालय हिंदी तथा मातृभाषा के तुलनात्मक व्यतिरेकी की अध्ययन पर बल देना चाहेंगे, क्योंकि इससे भाषिक चिंतन का विकास होता है। मीडिया के लिए लेखन निश्चित रूप से स्थानीय अध्ययन ही हो सकता है और भारतीय पाठ्यक्रम अन्य देशों में लागू नहीं किया जा सकता है।

यह सारे स्थानीय पाठ्यक्रम मानकीकरण के प्रति में तैयार किए जा सकते हैं, जिससे हिंदी भाषा का वाड्मय समृद्ध संपन्न हो सके। मानकीकृत पाठ्यक्रमों के अंतर्गत नए स्थानीय पाठ्यक्रम तैयार हो जाएं, तो प्रवासी भारत के सूत्र जुड़ेंगे, क्योंकि हमें अन्य देशों से संबंधित पाठ्यक्रमों को अध्ययन का अवसर मिल सकेगा।

(ई) विशेषज्ञता का विकास– भारतीय विश्वविद्यालयों में पिछली शताब्दी के अंत तक एम. ए. हिंदी का पाठ्यक्रम एक जैसा था। गद्य, पद्य, साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र आदि विषय पढ़ाए जाते थे और आगे जीवन में अध्यापन के अलावा और कहीं इनका उपयोग नहीं होता था। पिछले 10–15 वर्षों से प्रयोजनमूलक हिंदी की संकल्पना ने जोर पकड़ा है और अब लखनऊ, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद आदि कुछ विश्वविद्यालयों ने आजीविका– उन्मुख नए पाठ्यक्रमों को एम. ए. तथा बी. ए. के स्तर पर स्थान दिया।

आज हम अनुभव कर रहे हैं कि भाषा के अध्ययन के विभिन्न आयाम हैं और साहित्य तथा समीक्षा का अध्ययन उनमें से एक है। अनुवाद, कोष निर्माण, पत्रकारिता तथा संपादन मीडिया के लिए लेखन और कार्यक्रम प्रस्तुति, विज्ञापन, डबिंग तथा टाइटल लेखन आदि कई कार्य क्षेत्र हैं, जिनमें प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है। प्रयोजनपरक क्षेत्रों में प्रशासन, विधि, वाणिज्य–व्यापार आदि क्षेत्रों में हिंदी में काम करने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। शैक्षिक दृष्टि से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कलाएं आदि क्षेत्रों में मौलिक लेखन तथा अनुवाद के माध्यम से वाड्मय विस्तार की अनंत संभावनाएं हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में संपादन, प्रोग्रामन, फॉन्ट निर्माण आदि क्षेत्रों में बहुत कुछ करना बाकी है।

इन सभी क्षेत्रों में स्तरीय पाठ्यक्रमों का विकास भारत के संदर्भ में भी अपेक्षित है। अन्य देश स्थानीयकरण की प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार इन पाठ्यक्रमों को अपना सकेंगे। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह पाठ्यक्रम उपलब्ध हो सकेंगे ,तो छात्र अपनी रूचि और आवश्यकता के अनुसार अपना विशेषज्ञता का क्षेत्र चुन सकेंगे।

(उ) विशेषीकृत शिक्षा और प्रशिक्षण– स्तरीय पाठ्यक्रमों के निर्माण के साथ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की भी आवश्यकता है। यू. के. के विश्वविद्यालयों से कई विशेषीकृत भाषा शिक्षण के पाठ्यक्रम हैं' जैसे ''सुदूर पूर्व के एशियाई देशों में अंग्रेजी भाषा शिक्षण में एम.ए.।'' भारत में न सिर्फ ऐसे पाठ्यक्रमों का अभाव है, बल्कि संभवतः इसकी आवश्यकता भी नहीं समझी जाती है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद विदेशों में अध्यापन के लिए अध्यापकों का चयन कर उन्हें कई देशों में भेजता है। कुछ ऐसे भी अध्यापक चुने जाते हैं, जो भाषा शिक्षण या प्रशिक्षण की समस्याओं से वार्षिक भी नहीं होते। चयन के बाद उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है।

अध्यापकों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि विदेशों में कैसे पढ़ाएं, समस्याओं के निवारण के लिए सुधारात्मक सामग्री का निर्माण कैसे करें, स्थानीय रूप से दृश्य–श्रव्य साधनों का विकास कैसे करें आदि। क्रेडिट पद्धति से उन्हें सही ढंग से परीक्षण करना भी आना चाहिए, जिससे स्तरीयता कायम की जा सके।

(ऊ) प्रौद्योगिकी का प्रयोग– संरचनात्मक भाषा विज्ञान की यह मान्यता थी कि भाषा मूलतः मौखिक अभिव्यक्ति है और लेखन मात्र उसका प्रतिरूप है। वह अन्य सामाजिक व्यवहारों की तरह वाक् व्यापार है, जिसका हम प्रत्यक्षतः संदर्शन कर सकते हैं। इन मान्यता के कारण पिछले 60–70 वर्ष से भाषा शिक्षण के लिए दृश्य– श्रव्य साधनों के प्रयोग पर बल दिया जाता रहा है और अंग्रेजी तथा यूरोपीय भाषाओं के लिए विपुल सामग्री उपलब्ध है।

प्रौद्योगिकी ने गत 30 – 40 वर्षों में अत्यंत तीव्र गति से विकास किया है। हम जब तक ग्रामफोन रिकार्डों के लिए अभ्यस्त हुए, तब तक टेप रिकॉर्डर ने उसे अपदस्थ कर

दिया। इसी क्रम में डी.वी.डी. ने टेप को पीछे धकेल दिया। यह भी एक कारण है कि हमारे पास अत्याधुनिक तकनीकों के लिए उपयुक्त सामग्री नहीं है। लेकिन उच्चारण तो उच्चारण है, भले वह ग्रामफोन रिकार्ड से सुनाई दे या डी. वी.डी. से। इस दौड़ में हिंदी पीछे रह गई है। आज भी हमारे पास हिंदी के मानक उच्चारण का कोई प्राधिकृत प्रारूप नहीं है।

हिंदी में वर्तनी, वर्णमाला, शब्दार्थ आदि क्षेत्र में मानकीकरण का अभाव है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मानकीकरण का प्रयास अनुपालन के अभाव में 'शो पीस' बनकर रह गया है, क्योंकि कोई उसे मानने को बाध्य नहीं है। हिंदी का कोई समाचार पत्र यह निर्णय कर लेता है कि वह चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं करेगा। ऐसे मर्जी के मालिकों को वश में करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हमें संगठित कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पर ही बल देना होगा, क्योंकि वह भाषा के मानक रूप से विचलन को रोकने का सफल साधन है। मानकीकरण का अभाव भाषा के विकास में बाधक हैं, कंप्यूटर पर उसका एकमात्र समाधान है।

3. साध्य और साधन

समस्याओं की चर्चा में हमने भाषा शिक्षण की एक प्रमुख तथा विशिष्ट समस्याओं का उल्लेख नहीं किया क्योंकि वह शैक्षिक प्रगति का नहीं है भौतिक है। औपचारिक कार्यक्रम सीमित लोगों के लिए सीमित स्थान में आयोजित किए जाते हैं। जैसे भारत में चीनी या जापानी सीखने के इच्छुक देश के कोने–कोने में हो सकते हैं, लेकिन शिक्षण की व्यवस्था मुश्किल से दर्जन भर स्थानों में संभव हो पाती है। इसी प्रकार अमेरिका में हिंदी सीखने के इच्छुक लाखों में हो सकते हैं, क्योंकि वहां के प्रवासी भारतीयों के लिए सांस्कृतिक स्तर पर संपर्क भाषा है, सांस्कृतिक सेतु है। लंदन या शिकागो में हिंदी के मनोरंजन कार्यक्रमों या फिल्मों की बढ़ती मांग इसका परिचायक है। चाहे जितनी कोशिश कर लें, हम औपचारिक शिक्षा के माध्यम से इन तक पहुंच नहीं सकते। पहुंच का विस्तार कर भी लें, हर अध्येता की रूचि के अनुरूप शिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं करा सकते।

सूचना प्रौद्योगिकी ने इस युग में कई युगांतरकारी स्थितियां पैदा की हैं। इसकी दो बड़ी विशेषताओं ने इसे शिक्षा (जिसे शिक्षा जिसे दूर शिक्षा भी कह सकते हैं) के लिए उत्तम साधन बना दिया है। यह विशेषताएं हैं व्यक्तिगत पहुंच और आवश्यकतानुसार तुरंत सूचना की उपलब्धता। गूगल जैसे खोज यंत्रों ने हमारे पुस्तकालय अध्ययन कार्य को 10 गुना सुगम बना दिया है। आज छोटे बच्चे भी सुंदर परियोजना तैयार कर ले लेते हैं, जो पहले विश्वविद्यालय के शोध छात्रों के लिए भी संभव नहीं था। सूचना प्रौद्योगिकी का भाषा के विश्लेषण, शोध और शिक्षण के कार्यक्रमों को भाषा प्रौद्योगिकी का नाम दिया जा सकता है और वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने भाषा प्रौद्योगिकी का एम. ए. का पाठ्यक्रम विकसित किया है। भाषा प्रौद्योगिकी का व्यवहारिक पक्ष है मशीनी अनुवाद। 'वर्डनेट' जैसे कंप्यूटर के शब्द संग्रहों और शब्दकोशो का निर्माण, जो आजीविका का अवसर प्रदान करते हैं।

पत्राचार पर आधारित दूर शिक्षा के कार्यक्रम में भाषा के मौखिक और दृश्य –प्रधान साधनों का उपयोग संभव नहीं तो व्ययसाध्य हैं। अतः प्रायः यह सवाल उठाया जाता है कि क्या हम वास्तव में दूर शिक्षा प्रणाली से भाषा के अध्ययन का प्रभावी पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में एक और हमें ध्वनि, चित्र, चलचित्र, आरेख आदि के उपयोग की संभावना है, दूसरी और उन्नत प्रौद्योगिकी अध्येताओं को परस्परता का भी लाभ प्रदान करती है।

कंप्यूटर आधारित भाषा अध्ययन का कार्यक्रम मात्र स्व–शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि इसका औपचारिक स्थितियों में भी स्व–शिक्षण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, दूर शिक्षा के कार्यक्रमों को भी औपचारिक स्तर पर संगठित किया जा सकता है। 'ऑनलाइन' कार्यक्रमों में वार्ता कक्ष, दूर गोष्ठी (टेली कांफ्रेंसिंग) आदि के माध्यम से कक्षा का परिवेश निर्मित किया जा सकता है। इनके उपयोग से दृश्य मान कक्षा (वर्चुअल क्लासरूम) का आयोजन किया जा सकता है जो छात्रों का साक्षात कक्षा में उपस्थित रहने का आभास देगा, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हों। ये भी महंगे साधन है। अंकीय रेडियो को कम्प्यूटर से जोड़ने पर हम विश्व के किसी भी स्थान में बसे छात्रों को संबोधित कर सकते हैं, यह सुलभ साधन है, बल्कि विभिन्न माध्यमों के उपयोग का अवसर देकर छात्रों में अंकीय विभाजन (डिजिटल डिलाइट) की खाई को पाट सकती है।

निष्कर्ष

जब से 'ऑनलाइन' शब्द से परिचय हुआ हिंदी की हर संस्था अपना कार्यक्रम बनाने की योजना बनाती है। इनके कार्यक्रम लिपि, उच्चारण के परिचय से आगे नहीं बढ़ पाता। हर संस्था का इस तरह का कार्यक्रम बनाना साधनों का अपव्यय है।

सुझाव है कि 'ऑनलाइन' कार्यक्रमों का एक दीर्घकालीन, केंद्रीकृत तथा योजनाबद्ध कार्यक्रम बने और विभिन्न संस्थाओं के बीच सुनिश्चित कार्य विभाजन हो। इसी प्रकार हर संस्था उपलब्ध सामग्री में से अपना 'पैकेज'

चुनकर अपने शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करे। हिंदी से संबंधित विभिन्न संस्थाओं में परस्पर होड़ के कारण यह योजना किसी एक संस्था को न सौपीं जाए, बल्कि संस्थाओं के प्रतिनिधियों की प्रतिभागिता संयुक्त एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय का गठन किया जाए, जो कंप्यूटर आधारित स्व–शिक्षण या औपचारिक दूर शिक्षण के कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

कहते हैं कि बूंद–बूंद से घड़ा भरता है। कंप्यूटर तथा सूचना संजाल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप दो–तीन पन्ने की सामग्री से ही अपना कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि करते जा सकते हैं और निरंतर उसमें संशोधन और संवर्धन कर सकते हैं। हिंदी के तथा अन्य भारतीय भाषाओं के लिए विकास का यही रास्ता आज युग की मांग है।

(पूर्व आचार्य एवं अधिष्ठाता, इग्नू, नई दिल्ली)

भारत माता के माथे की बिंदी है हिंदी

ऐसी है मेरी हिंदी
जन जन की भाषा है हिंदी
भारत की आशा है हिंदी
जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है
वो मजबूत धागा है हिंदी।
हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी
एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी
जिसके गर्भ से रोज नई कोपलें फूटती हैं
ऐसी कामधेनु धरा है हिंदी।।
जिसने गुलामी में क्रांति की आग जलाई
ऐसे वीरों की प्रसूता है हिंदी
जिसके बिना हिंद थम जाय
ऐसी जीवन रेखा है हिंदी।।
जिसने काल को जीत लिया है
ऐसी कालजायी भाषा है हिंदी
सरल शब्दों में कहा जाए तो
जीवन की परिभाषा है हिंदी। ।

–शाल्वी सिंह
बी.कॉम (द्वितीय वर्ष)
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

'भाषा'

कुछ लोगों के पास मखमल की भाषा थी
उन्होंने थोड़ी खादी मिलाकर इसे राजनीति की भाषा बना दी

खद्दर की भाषा में बात करते करते
कुछ लोग कुर्सी की भाषा तक जा पहुँचे
कुछ फिर भी निरे सूत से कच्चे थे
उनकी भाषा कच्ची भले हो, लेकिन सच्ची थी

वहीं कुछ बहुत कोशिशों पर भी नायलॉन ही बने रहे
रेशमी भाषा वाली जहीन ध्वनियां मद्धम होती गईं
जालीदार भाषा वाले अचानक बढ़ गए
ये जल्द आते और बहुत जल्द छन जाते
कुछ ऊनी भी थे जो बीच बीच में भर जाते ऊष्मा
कुछ भाषाएं हमेशा टाट की तरह रही
उबाऊ लेकिन भरोसेमंद
भाषाओं की अपनी बुनावट थी अपने रंग
भाषा केवल शब्द अर्थ नहीं
भाषा की त्वचा भी थी
भाषा का व्यापार भी था

खबर तो ये भी है कि
भाषा और कपड़ों के विशेषज्ञ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े थे ।

–श्रुति कुशवाहा

कंप्यूटर – अनुवाद : प्रविधि, प्रक्रिया और प्रयोजन

डॉ. पूरनचंद टंडन

आज का युग संचार तथा विचार का युग है। तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे भारत का वर्चस्व तेजी से बढ़ रहा है। प्रचार–प्रसार माध्यमों का तेजी हो रहा सामाजीकरण तथा जनमानस पर निरंतर बढ़ रहा कंप्यूटरीकरण का प्रभाव इसके मूल में है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कंप्यूटर का महत्व एक कल्पवृक्ष से कम नहीं, जिससे व्यावसायिक–वाणिज्यिक, जनसंचार, शिक्षा, चिकित्सा आदि कई क्षेत्र लाभांवित हुए हैं। 'कंप्यूटर' शब्द की परिभाषा देते हुए कहा गया है – "Computer means any electronic magnetic device or system which performs logical arithmetic, and memory functions by manipurations of electronic or optical impulses, and includes all input, output, processing, storage, computer software or communication facilities which are connected or related to the computer in a computer system or computer networks." अर्थात् कंप्यूटर एक ऐसा इलैक्ट्रॉनिक, चुम्बकीय, प्रकाशीय तरंगों के अभिचालनों द्वारा तर्कसंगत अंकगणितीय और स्मृति फलन के रूप में कार्य करता है, और इसके अंतर्गत सभी निवेश, उत्पाद, प्रकमण, भंडारण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या संचार सुविधाएँ भी हैं जो किसी कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित हों।

कंप्यूटरीकरण की इस बढ़ती गति ने दैनिक जीवन के समस्त क्रियाकलापों से लेकर कार्यालयी, वित्तीय, सौन्दर्यशास्त्रीय, साज–सज्जापरक, गणितीय, सांख्यिकीय आदि अनेक क्षेत्रों में तो सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है, साथ ही अनुवाद के क्षेत्र में भी अपनी सम्भावनाएँ सुनिश्चित कर ली हैं। आज अंग्रेजी–हिन्दी और इसी प्रकार अन्य भारतीय भाषाओं के परस्पर अनुवाद की सम्भावनाएँ भी कंप्यूटर पर खोज ली गई हैं। कंप्यूटर–अनुवाद, उसकी प्रक्रिया और प्रविधि पर विचार करने से पूर्व संक्षेप में अनुवाद के स्वरूप और स्त्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद के रूपांतन की प्रक्रिया पर दृष्टिपात करना समीचीन होगा।

हिंदी में 'अनुवाद' शब्द अंग्रेजी के 'Translation' शब्द के पर्याय रूप में व्यवहृत होता है। 'Translation' शब्द के मूल में फ्रांसीसी शब्द 'Transferre' और लैटिन शब्द Trans-Latum हैं। Transferre/Translation शब्द–परिवहन अर्थात् स्थानांतरण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आज एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में प्रयुक्त करना अनुवाद कहलाता है। इसमें मूल भाषा के अर्थ को लक्ष्यभाषा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। अनुवादक को मूल भाषा के कथ्य को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना होता है।

'स्त्रोत भाषा' से 'लक्ष्य भाषा' में अनुवाद का यह कार्य सुनने में चाहे सरल लगे किंतु व्यावहारिक धरातल पर अत्यंत कठिन और जोखिम भरा है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक भाषा का विकास विशेष निजी परिस्थितियों में होता है। एक भाषा की ध्वन्यात्मक, शाब्दिक, रूपात्मक, वाक्यात्मक, लोकोक्ति और मुहावरे विषयक विशेष्ताएँ दूसरी भाषा की तत्व संबंधी विशेषताओं से भिन्न होती हैं। अतः यह कतई आवश्यक नहीं कि मूल भाषा की किसी अभिव्यक्ति से, पूर्णतः समान अभिव्यक्ति, लक्ष्य भाषा के शब्द और अर्थ दोनों पर हो ही जाए। यहाँ पूर्णतः समान अभिव्यक्ति से तात्पर्य है कि स्त्रोत भाषा कि किसी रचना को पढ़कर स्त्रोत भाषा–भाषी जो अर्थ (अभिधार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ) ग्रहण करें, लक्ष्यभाषा में किए गए उसके अनुवाद को पढ़कर भी वही अर्थ (अभिधार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ) ग्रहण करें। प्रायः ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि स्त्रोत भाषा की अभिव्यक्ति से जो अर्थ व्यक्ति होता है वह लक्ष्य भाषा की अभिव्यक्ति से व्यक्त होने वाले अर्थ की तुलना में या तो विस्तृत होता है या संकुचित अथवा कुछ भिन्न होता है, साथ ही दोनों भाषाओं की अभिव्यक्ति की इकाईयों जैसे शब्द, शब्दबंध, पद, पदबंध, वाक्यांश, उपवाक्य, लोकोक्ति, मुहावरे आदि प्रसंग सहाचर्य भी सदा समान नहीं होते – हो भी नहीं सकते। इसी कारण स्त्रोत भाषा में प्राप्त अभिव्यक्ति–पक्ष और अर्थ–पक्ष के तालमेल को ठीक उसी रूप में लक्ष्य भाषा में ला पाना सदा संभव नहीं होता। वास्तविकता तो यह है कि अनुवाद में दोनों भाषाओं की समानता एक समझौता मात्र है। वे मात्र एक–दूसरे के निकट होती हैं। समानता की यह निकटता जितनी अधिक होती है, अनुवाद उतना ही अच्छा और सफल होता है।

'कंप्यूटर–अनुवाद' से अभिप्राय अनुवाद–प्रक्रिया के उस चरण से हैं जिसमें स्त्रोत भाषिक पाठ के सम्प्रेष्य अर्थ को कंप्यूटर प्रणाली के जरिए लक्ष्य भाषिक पाठ में रूपांतरित किया जाता है। कंप्यूटर–अनुवाद की प्रक्रिया मानव आश्रित मशीनी अनुवाद है, जिसमें अनुवाद की जाने वाली सामग्री को इनपुट के रूप में कंप्यूटर प्रणाली में डाला जाता है। कंप्यूटर की भीतरी प्रणाली, दोनों भाषाओं के संचित शब्दों, मुहावरों और व्याकरणिक नियमों का उपयोग करते हुए स्वतः उस स्त्रोत भाषा की सामग्री का दूसरी अर्थात् लक्ष्य भाषा में अनुवाद करती है। जो आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है।

कंप्यूटर प्रणाली द्वारा अनुवाद की यह प्रक्रिया उतनी सहज नहीं है जितनी मनुष्य द्वारा अपनी बौद्धिक शक्ति के उपयोग द्वारा संभव है। अनुवाद मूल रूप से एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है, जिसका स्थान कोई मशीन या कंप्यूटर नहीं ले सकता, क्योंकि प्रत्येक भाषा अर्थ अभिव्यक्ति और प्रभाव की दृष्टि से अपना विशिष्ट महत्व रखती है। सामान्य या तकनीकी क्षेत्र में तो यह अनुवाद कार्य अपेक्षाकृत सरल है किंतु साहित्यिक क्षेत्र यथा कविता, कहानी, नाटक आदि क्षेत्रों में अत्यंत दुःसाध्य कार्य है। साहित्यिक क्षेत्र में शब्दों का चुनाव अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाता है। उसमें प्रयुक्त शब्द कोशीय या सामान्य अर्थ के अतिरिक्त अपनी ध्वनि से कुछ और अर्थ भी देते हैं। उदाहरण के लिए 'A man is known by his company' का अनुवाद मानव अनुवादक 'मनुष्य अपनी संगत से पहचाना जाता है ' के रूप में करेगा, लेकिन कंप्यूटर प्रणाली के लिए इस वाक्य में प्रयुक्त 'Company' शब्द के लिए 'संगत' अर्थ के साथ–साथ 'कंपनी' अर्थ भी उतना ही स्वीकार्य है। मनुष्य ही विभिन्न प्रकार के सांसारिक अनुभवों और क्रियाकलापों से जुड़े रहने के कारण अनुवाद के समय शब्दों के ध्वन्यात्मक अर्थ को समझने में सक्षम होता है, लेकिन इसी सांसारिक ज्ञान और संस्कार को सूत्रबद्ध कर कंप्यूटर के लिए इस ध्वन्यात्मक अर्थ को ग्राह्य रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

प्राकृतिक भाषा की द्विअर्थकता भी कंप्यूटर–अनुवाद–प्रणाली की सहजता में बाधक है। विषय और प्रसंग के अनुसार एक ही शब्द अलग–अलग अर्थ व्यवहृत करता है। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी शब्द 'Treatment' को ही लें। यह तीन विभिन्न प्रसंगों में तीन भिन्न अर्थ व्यक्त करता है :–

1. Treatment of Cancer कैंसर का इलाज
2. Treatment subject matter विषयवस्तु का प्रतिपादन
3. Treatment of servant नौकर के साथ व्यवहार

कंप्यूटर प्रणाली का 'स्मृतिकोश' मानव मस्तिषक की भाँति संदर्भों से जुड़कर भाषिक अभिव्यक्तियों का सही चुनाव कर अभीष्ट अर्थ को प्रकट करने में असमर्थ होता है। वह तो उसी अर्थ को व्यक्त करेगा जो उसके स्मृति कोश में सुरक्षित है। स्त्रोत भाषा के द्विअर्थक शब्द का संदर्भानुकूल सही निर्वचन कंप्यूटर द्वारा तभी संभव है जब उनसे जुड़े सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाषिक नियमों को खोज कर उन्हें कंप्यूटर प्रणाली में डाला जाए। इस प्रकार कंप्यूटर–अनुवाद की यह प्रक्रिया भी मानव केंद्रित है, जिसकी सफलता मानव अनुवाद के विभिन्न सोपानों पर निर्भर है।

कंप्यूटर–अनुवाद की प्रक्रिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव अनुवाद प्रक्रिया की धुरी पर केंद्रित है। मानव अनुवादक सर्वप्रथम विश्लेषण प्रक्रिया के अंतर्गत बाह्य स्तर पर स्थिर भाषिक संरचना का विश्लेषण करते हुए उसका गहन अर्थबोध करता है। अर्थात् वाक्य की विभिन्न कोटियों (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि को पहचान कर उनके पारस्परिक संबंधों के बीच तारतम्य निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए 'Vijay frightens Geeta' वाक्य की दो व्याकरणिक कोटियाँ संभव हैं। एक में विजय, कर्ता के रूप में (सक्रिय प्राणी के रूप में) कार्य करता है और दूसरे क्रिया के साधन रूप में प्रयुक्त होगा। इस आधार पर हिंदी में इसके दो समानार्थी संदेश संभव हैं –

1. विजय गीता को डराता है।
2. गीता विजय से डरती है।

विश्लेषण के पश्चात् ही अनुवादक पाठ के संदर्भ के अनुरूप सही आर्थ का चुनाव करता है। कंप्यूटर–अनुवाद की प्रक्रिया में विश्लेषण कार्य Parser (पद अन्वय) करता है। पॉरसर कंप्यूटर प्रणाली का वह हिस्सा है जो वाक्य के विभिन्न पदों को व्याकरणिक रूप यथा संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि में विभक्त करता है तथा वाक्य के विभिन्न घटकों (कर्ता, कर्म आदि) के बीच प्रकार्यात्मक संबंधों की पहचान

करता है।

विश्लेषण से प्राप्त अर्थबोध का लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति के धरातल पर पुनर्विन्यास करने हेतु अनवाद के अंतरण प्रक्रिया से गुजरता है। पुनर्विन्यास की इस प्रक्रिया में दोनों भाषाओं के शब्दों, वाक्यों और अर्थों में तालमेल बिठाते हुए अनुवादक अभिप्रेत अर्थ के अनुरूप दोनों भाषाओं के मुहावरे या लोकोक्तियों का निर्धारण करता है। उदाहरण के लिए हिन्दी की लोकोक्ति 'नाच न जाने आँगन टेढ़ा' के अंग्रेजी अनुवाद 'A bad carpenter quarrel with his tools' में न तो नाच का प्रसंग है, न ही आँगन और न ही उसके टेढ़े होने को संदर्भ, किंतु अभीष्ट अर्थ के धरातल पर य दोनों अभिव्यक्तियाँ एकमूल्य हैं। समानार्थी शब्द प्रदान कर अंतरण की यह प्रक्रिया कंप्यूटर–अनुवाद में Transfer Lexicon संपन्न करता है।

अनुवाद–प्रक्रिया के अंतिम सोपान पुनर्गठन में स्त्रोत–भाषा के रचनाविधान और शैली संस्कार को लक्ष्य–भाषा की प्रकृति के अनुरूप पुनर्गठित कर भाषिक अभिव्यक्ति का जामा पहनाया जाता है। अनूदित पाठ के रचयिता के रूप में अनुवादक पद्य में लिखी मूल कृति की काव्यात्मकता को सुरक्षित रखते हुए 'उसे गद्य में परिवर्तित कर सकता है। मूल संरचना के वाक्यों को संकुचित या विस्तृत रूप प्रदान कर सकता है, व्याकरणिक संरचना में भी हेर–फेर कर सकता है। कंप्यूटर प्रणाली में पुनर्गठन का कार्य जेनरेटर मॉडल पर निर्भर है। जेनरेटर, ट्रांसफार्मर लेक्सिकन से सामग्री प्राप्त कर स्त्रोत भाषा में शब्दों, पदबंधों और वाक्यों के लिए लक्ष्य भाषा में सामानार्थी शब्द, पदबंधों और वाक्यों का विधान करता है।'

कंप्यूटर –अनुवाद प्रणाली की संकल्पना का जन्म सन् 1950 के प्रथम दशक में सैनिक सूचनाओं के अनुवाद के लिए हुआ था, जो अपनी उपयोगिता और अद्‌भुत कार्यक्षमता के फलस्वरूप 1980 तक व्यापक रूप लेते हुए सरकारी प्रशासन, व्यापार और उद्योग में प्रयोग की जाने लगी। मशीनी अनुवाद प्रणाली को विकसित करने हेतु अनेक पद्धतियों का प्रयोग किया गया जिनमें तीन विशेष उल्लेखनीय हैं : 1. साक्षात् पद्धति 2. माध्यम भाषायी पद्धति, और 3. स्थानान्तरण पद्धति।

1. साक्षात् पद्धति : कंप्यूटर–अनुवाद प्रणाली की साक्षात् पद्धति में अनुवाद के लिए अपेक्षित दो भाषाओं को सीधे जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। प्रत्येक स्त्रोत–लक्ष्य भाषाओं के जोड़े के लिए अलग–अलग शब्द–कोश आवश्यक होंगे। यदि उन दो भाषाओं के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा के बीच में अनुवाद की जरूरत हैं तो प्रणाली को उस रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है।

2. माध्यक भाशायी पद्धति : माध्यम भाषायी प्रविधि या पद्धति में केवल द्विभाषायी युग्मों की तलाश नहीं होती बल्कि स्त्रोत भाषा के पाठ को पहले विश्लेषित करके माध्यम भाषा से जोड़ा जाता है। यह माध्यम भाषा वास्तविक भाषा न होकर ऐसी सार्वभौम निरपेक्ष भाषा होती है जिसमें वस्तुएँ, प्राणी, विचार और संबंध आदि विश्वज्ञान को संकल्पनाओं के प्रतीक रूप में निरूपित किया जाता है। तत्पश्चात् भाषा सर्जक इस माध्यम भाषा के प्रस्तुतीकरण को लक्ष्य भाषा के पाठ में रूपांतरित किया जाता है। इस प्रकार माध्यम भाषायी प्रविधि में स्त्रोत भाषा के पाठ की समझ के अनुरूप लक्ष्य भाषा में संरचनाएँ सृजित की जाती हैं। माध्यम भाषा इन घटकों के बीच एक सेतु की भूमिका निभाती है जो दोनों को एक–दूसरे से जोड़ती है।

3. स्थानान्तरण पद्धति : इस पद्धति में सर्वप्रथम विश्लेषक, स्त्रोत भाषिक पाठ के वाक्य का व्याकरणिक विश्लेषण कर उसकी एक सूक्ष्म अमूर्त संरचना निर्मित कर उसे एक विशेष प्रकार के प्रस्तुतीकरण के रूप में रखता है। इसी प्रस्तुतीकरण के आधार पर लक्ष्य भाषिक पाठ पुनर्गठित किया जाता है।

इस प्रकार आज कंप्यूटर–अनुवाद–तंत्र को सफल और बहुआयामी बनाने के लिए अनुवाद के लिए अपेक्षित भाषाओं की कुल अवधारणाओं को लेकर माध्यम भाषा को विकसित कर वाक्यात्मक संरचना से संबंधित स्थानान्तरण संबंधी नियमों को प्रविष्टि करने की अत्यधिक आवश्यकता है।

(लेखक–पूर्व विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं निदेशक, भारतीय अनुवाद परिषद, नई दिल्ली)

प्रशासन में नवाचार और हिंदी

प्रो. योगेंद्र प्रताप सिंह

जनता नवाचारों के प्रति सर्वदा उत्सुक रहती है। नवाचारों की उपयोगिता और सुलभता उसे आवश्यकता में बदल देती है। फतेह पुराने साधनों के स्थान पर हम नवाचारी साधनों का प्रयोग करने लगते हैं। प्राचीन साधन के स्थान पर नवीन साधन आवश्यकतानुसार नवीन परिपाटी को जन्म देते हैं। कार्यालयीन हिंदी में 1960 ईस्वी से कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण एवं वास्तु लिपि का अनिवार्य प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया। 1 मार्च, 1971 को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन किया और इसके अंतर्गत 1973 में दिल्ली मुख्यालय में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। अगले क्रम में 1974 से तीसरी श्रेणी के नीचे के कर्मचारियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के तथा कार्य प्रभावित कर्मचारियों को छोड़कर केंद्र सरकार के साथ–साथ केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रणधीन निगम, उपक्रमों, बैंकों आदि के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए हिंदी भाषा टंकण एवं आशुलिपिक प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया। 25 अक्टूबर 1983 को केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सरकारी उपक्रमों, राष्ट्रीय बैंकों में यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा हिंदी में कार्य को बढ़ावा देने तथा उपलब्ध द्विभाषी उपकरणों के प्रचार– प्रसार के उद्देश्य से राजभाषा विभाग में तकनीकी कक्ष की स्थापना की गई। राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी में कार्य पर अमृता को बढ़ाने हेतु 21 अगस्त 1985 को केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान का गठन किया गया।

कंप्यूटर पर कार्य करना सरल है, इसके लिए समय–समय पर अनेक प्रश्न किए गए। सीडैक और अन्य संस्थानों के माध्यम से हिंदी में कार्य हेतु अनेक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विकसित किए गए। 20 जून 2005 को हिंदी फांट, फांट कोड कनवर्टर, अंग्रेजी –हिंदी शब्दकोश, हिंदी वर्तनी शोधक को निशुल्क प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया। संगठन की सहायता से प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ स्तर की हिंदी स्वयं सीखने के लिए संगठन कार्यक्रम लीला हिंदी प्रबोध, लीला हिंदी प्रवीण और लीला हिंदी प्रज्ञा आदि विकसित और निशुल्क उपलब्ध कराए गए। इसी प्रकार 2005 से भारतीय भाषाओं में यह कार्यक्रम उपलब्ध कराया गया।

2006 से राष्ट्रीय शासन की योजना प्रारंभ की गई पुणे ग्रामीण योजना इलेक्ट्रॉनिक और सूचना तकनीकी विभाग द्वारा प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत निवारण हेतु लागू की गई। इस योजना का मूल उद्देश्य सरकार की सभी सेवाओं को पारदर्शिता और सुगमता के साथ जनसुलभ बनाना था। इसके लिए कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ केंद्र और राज्य स्तर पर आंकड़ा केंद्रों की स्थापना की गई। इसके लिए बड़े स्तर पर तकनीकी संचार और संसाधन की आवश्यकता थी। इस आसन को प्रभावी बनाने के लिए 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके तहत सभी विभागों, मंत्रालयों, संगठनों को दूर– संचार के साधनों से एक सूत्र में पिरोने और पारस्परिक सूचना आदान–प्रदान की आवश्यकता बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। क्लाउड कंप्यूटिंग के आविष्कार ने इसे और सुगम बना दिया। आज दिल पशुधन लाइन लाइन नवा चारों के साथ ही प्रशासन के आयाम उद्घाटित हो रहे हैं। इसका लाभ जनता नित्य उठा रही है।

ई–लेखन की सुविधा और हिंदीः कंप्यूटर पर देवनागरी के फोंट पहले से उपलब्ध थे फिर भी देवनागरी अक्षर में अंकित दस्तावेज दूसरे कंप्यूटर पर ले जाने पर अपठनीय हो जाते थे यदि उसमें संबंधित फॉन्ट पहले से न हो। देवनागरी बनाकर पहले कंप्यूटर पर सक्रिय करने पड़ते थे। वेबसाइट पर यह अक्षर किसी भी प्रकार पठनीय नहीं होते थे जब तक कि उन्हें जेपीजी या पीएनजी में न बदल दिया जाय। वर्ड अक्षरों की चावक ट्रिक कूट प्रक्रिया यूनिकोड ने समस्त कंप्यूटर कंप्यूटर संयोजन पर दुनिया की समस्त भाषाओं हेतु प्रयुक्त लिपियों के प्रयोग का मार्ग प्रशस्त कर दिया। फलस्वरूप प्रत्येक लिपियां और भाषाएं तकनीकी साधनों पर सुगम हो गई। तकनीकी साधनों पर बोलकर उंगलियों से और कुंजीपटल के सहारे अनेकों प्रकार से सूचनाओं के अंकन की सुविधा के कारण ही लेखन की प्रक्रिया तेज हो गई और अब कागज और कलम की अपरिहार्यता समाप्त हो गई है। ई–लेखन की विशिष्टता इस बात में है कि यहां लेखन पाठ और अंतर्पाठ के आंतरिक संबंधों पर टिका होता है। एक स्पर्श की संवेदना और संकेत पाठ को अन्य अंतर पाठ तक पहुंचा देती है। इसलिए यह प्रत्येक पाठ अथवा कथन दूसरे संबंधित प्रोक्ति से संबंध रहती है। यह सुविधाएं अब हिंदी के लिए सुलभ हैं जिसके कारण हिंदी का वर्तनीशोधक, व्याकरण संशोधक, शब्दकोश, समांतर कोश, शब्द विकल्प के सुझाव आदि की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं।

कार्यालयों में हिंदी का पारंपरिक रूप बनाम ई–लेखन की नवीन संभावना एवं चुनौतियांः– प्रशासन ने एक ओर जहां कागज एवम विशाल कर्मचारियों की संख्या पर निर्भरता को कम किया है वहीं पर पारदर्शिता एवं जन

सुविधाओं तक जनता की पहुंच को सुगम बनाया है। विभिन्न पदानुक्रम एवं व्यापक लिपिकीय ढांचे में दस्तावेजों की गतिशीलता के पारंपरिक व्यवहार को ई–पत्राचार की प्रक्रिया में स्थानांतरण कर दिया है। कार्यालय के लिपिक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पारंपरिक कार्यों परिवर्तन हुआ है। फलतः उक्त दोनों के स्थान पर तकनीकी दक्षता युक्त बहुभाषायी कार्य करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है। नवाचार के रूप में अपनाए जा रहे लेखन और ई पत्राचार (ईमेल) पत्राचार के कई घटक अथवा तत्व यथा प्रेषक, प्रेषिती, पत्रांक, दिनांक, विषय, पृष्ठांकन, पता, विषय वस्तु आदि की उपस्थिति का रूप अधिकांशतः, बदल चुका है।

ई–लेखन और एमएस वर्ड पर उपलब्ध शब्द संसाधन की चुनौतियों के कारण कार्यालय हिंदी में अनेक नवाचार उद्घाटित हो रहे हैं। बड़े–बड़े पतों और पदनाम के स्थान पर विशिष्ट पहचान वाले कुछ अक्षरों के ईमेल पते,ई प्रशासन के पत्राचार में नवाचार के रूप में उभर रहे हैं। पत्राचार में दिनांक एवं समय का स्वतः अंकित हो जाना पारंपरिक कार्यालय पत्रों में निर्धारित स्थान से स्वतः बदल रहा है। गूगल ड्राइव पर एक ही दस्तावेज में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपने टिप्पणी अंकन की सुविधा टिप्पण प्रक्रिया की नई संभावनाओं को संकेतित कर रही है। पत्र की प्रति को अग्रेषित करने और अनेक व्यक्तियों, संस्थाओं, विभागों को प्रेषित करने की सुविधा पृष्ठांकन के पारंपरिक रूप को प्रत्यक्ष चुनौती दे रहा है।

ई–पत्राचार में पत्र–आमेलन की सुविधा तथा पत्रावली प्रबंधन की अंकीय प्रक्रिया में कार्यालयी पत्रों के रखरखाव को अमूल परिवर्तित किया है। अंकीय हस्ताक्षर (डिजिटल सिगनेचर) पत्रावली की प्रमाणिकता कांची रे धीरे आधार बनता जा रहा है। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर कार्यक्रमों के व्यक्तिकरण की सुविधा ने पत्रावली के पारंपरिक रखरखाव की मानक प्रक्रिया के समक्ष बड़ी चुनौती प्रस्तुत की है। यूनिकोड की सुलभता ने राजभाषा हिंदी को उक्त सुविधाओं में समर्थ किया है। राजभाषा हिंदी के सचेत प्रयोगकर्ता और संस्थाएं इस अवसर और सुविधा का लाभ उठाकर पारंपरिक पत्र प्रारूप एवं मानक व्यवहारों की तरह इनको भी मानकीकरण कर, हिंदी को नई चुनौती के लिए प्रस्तुत कर सकती हैं जिस प्रकार कार्यालय व्यवहार से कुछ वर्ष पूर्व तार भेजने की प्रक्रिया को भारत सरकार ने समाप्त कर दिया, उसी प्रकार आने वाले समय में बहुत से पत्रों के प्रारूप भविष्य में निरर्थक हो जाएंगे। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज 7 दशकों के बाद भी जब भारत में सर्वाधिक कंप्यूटर खरीदे बेचे जाते हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्मित करने वाले सर्वाधिक भारत के ही लोग हैं तथा शीर्ष तकनीकी संस्थान भी हैं, फिर भी हमारे पास देवनागरी का शासन मानकीकृत कुंजीपटल नहीं है। मैंने कई बार कई विभिन्न मंचों से यह बात उठाई परंतु प्रशासन को उत्साह का अभाव और अधिकारियों द्वारा विषयानंतर किया जाने वाला इस क्षेत्र में बड़ी बाधा है।

पारम्परिक पक्ष में पत्रांक, दिनांक और पृष्ठांकन की अनिवार्यता और उपयोग पत्रों को विशिष्ट पहचान देते थे। अब तकनीकी युग में प्रत्येक पत्र अपने आप में विशिष्ट होता है चाहे पत्रांक पड़े अथवा नहीं। कार्यालयी व्यवहार में पत्राचार में अनेकरूपता दिखाई देती है। अभी पत्राचार एवं पत्रावलियों के मानक स्वरूप निर्धारित करने का प्रयास संभव नहीं हो सका है। राजभाषा विभाग को इस दिशा में तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

राजभाषा हिंदी के विकास की बड़ी बाधा : अनुवाद पर निर्भरता–

अनुवाद पर निर्भरता राजभाषा हिंदी के विकास में बड़ी बाधा है। शासन की प्रक्रिया में नित नए–नए शब्द प्रयोग होते हैं किंतु वह अंग्रेजी के अनुसार प्रसूत शब्द होते हैं। शासन की प्रणाली हमें उपनिवेश एक शासन की उत्तराधिकार में मिली है। अतः अपने शासकीय कार्य को चलाने के लिए हमने पुरानी व्यवस्था को यथावत स्वीकार कर लिया और आवश्यकतानुसार संवैधानिक निर्देशों के अनुसार दबे मन और धीमी गति से हिंदी को स्वीकार करते रहे। हिंदी को समर्थ करने की बजाय वर्षों तक अंग्रेजी से काम चलाते रहे और राजभाषा हिंदी में कार्य का किसी रूप में दबाव पड़ता था तो अनुवाद का आयाम लेकर पत्रावली के अनुदित पाठ तैयार कर लिए जाते थे। आज की कार्यालय हिंदी फर्स्ट उसी अंग्रेजी का अनुदित पाठ है।

देश में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी आंदोलन चला और भारतीय परंपरा के आलोक में देश अनुकूल साधनों का आविष्कार करते रहे। दुर्भाग्य रहा कि हमें आजादी के बाद भी शासन प्रक्रिया एवं संचालन में स्वदेशी आंदोलन की आवश्यकता तनुश्री और ना ही प्राचीन भारतीय गणतंत्र के अनुभवों का लाभ लेकर औपनिवेशिकतायुक्त युक्त भारतीय शासन प्रणाली का देशानुकूल अनुसंधान किया। आजादी के बाद पर्याप्त समय मिला तो भी हमने सच्चे मन से अंग्रेजी पाठों का आश्रय छोड़कर भारतीय भाषाओं की ताकत पर राजभाषा हिंदी को खड़ा नहीं होने दिया। इसलिए आज की राजभाषा हिंदी

अनुवादित जटिल बनी हुई है जिसमें अनुदित अशासकीय युक्तियां बेमेल भाषिक रूप में दिखाई देती हैं। यह पंक्तियां ऐसे वाक्य या वाक्यांश होते हैं जिसका प्रयोग कार्यालय हिंदी की पत्रावली और टिप्पणियों में होता है। यह पंक्तियां कई बार हिंदी से मेल नहीं खाती हैं और अबूझ पहेली की तरह बनी रहती है। इसकी भाषा को देखकर प्रत्यक्ष यह दिखाई देता है कि हम अंग्रेजी में सोचते हैं और हिंदी में लिखते हैं। फिर यह समस्या सदैव बनी रहती है कि मूल पाठ अंग्रेजी को माने या हिंदी को।

आवश्यकता है कि राजभाषा हिंदी को अनुवाद पर निर्भरता से दूर रखा जाए विगत वर्षों की महामारी में जनता को तकनीकी साधनों पर निर्भरता और तकनीकी साक्षरता को स्वतः बढ़ा दिया है। इससे ई प्रशासन और जनता के बीच की दूरी घटी है। वर्तमान सरकार ने भी सरकार की सुविधाओं को जनता के बीच ले जाने हेतु तकीनीकी संसाधनों के व्यापक स्तर पर प्रयोग का संकल्प लिया है। अतः अब व्यापक स्तर पर आवश्यकता है कि हम तीव्र गति से प्रशासनिक हिंदी और पत्रावली प्रारूपों के निर्माण में अनुवाद और अपना औपनिवेशिक आग्रहों से युक्त हों।

आज जब हम ई प्रशासन की प्रक्रिया और प्रारूप को स्वयं विकसित कर रहे हैं तो इसकी शब्दावली को भी खुद विकसित करें और वह भी हिंदी की प्रकृति और भारतीय भाषाओं की सामाजिक ताकत के आधार पर। इससे भारतीय भाषाओं में तादात्म्य में स्थापित होगा और आम भारतीयों में सौहार्द और आत्मीयता विकसित होगी। ई प्रशासन की संवेदनशीलता इस बात पर निर्भर है कि प्रशासनिक से पत्रावलियों को भारतीय जटिलता से बचाते हुए सहज सरल और भारतीय जनमानस के अनुकूल विकसित किया जाए। इससे हिंदी की प्रयोजनीयता बढ़ेगी और इसे जीवन शक्ति प्राप्त होगी।

14 सितंबर 1949 को जब संविधान सभा में राजभाषा के रूप में यह स्वीकार किया गया कि संघ की सरकारी भाषा देवनागरी लिपि में होगी और सरकारी काम–काज में देवनागरी अंकों के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय अंको का प्रयोग होगा। उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक मजबूत बना सकेगी। निश्चित तौर पर हम यह कह सकते हैं कि जब तक हमारी अंग्रेजी अनुवाद पर निर्भरता बनी रहेगी यह संभव हो सकेगा।

अंग्रेजी शब्दों की स्वीकार्यता : प्रशासन की हिंदी में तकनीकी मंच पर निर्भरता के कारण आज अंग्रेजी शब्दों को यथावत स्वीकार करने का आग्रह बढ़ता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि हम नए शब्दों के निर्माण और विकल्प में भारतीय भाषाओं से शब्द लेने के आग्रही नहीं है। हमें यह न भूलना चाहिए कि संविधान के निर्माण के समय हिंदी के दो रूपों यथा 'हिंदी और हिंदुस्तानी भाषा' पर व्यापक चर्चा हुई थी और मत विभाजन हुआ था जिसमें हिंदी की स्वीकार्यता बनी थी। अंग्रेजी भाषा के एक शब्द को स्वीकार करना अर्थात पूरे शब्द परिवार को स्वीकार करना है यह बात प्रत्येक भाषा चिंतक जानता है।

राजभाषा हिंदी को वर्तमान प्रशासन के परिवेश में भारतीय भाषाओं की ताकत पर बढ़ना होगा। प्रशासन में समस्त भारतीय भाषाओं के लोग हैं। भारतीय भाषाओं के शब्द और संस्कृत के धातु शब्द निर्माण की प्रक्रिया के साथ गढ़ जाते हैं। जिस प्रकार दो व्यक्तियों का लोकतंत्र होता है उसी प्रकार भाषाओं के लोकतंत्र की कल्पना की जाए तो विशाल बहुभाषी देश भारत में हिंदी भारतीय भाषाओं की ताकत पर राजभाषा के रूप में भाषिक नेतृत्व प्रदान करेगी। निश्चित तौर पर सभी भारतीय भाषाएं भारत की अद्वितीय संस्कृति संपदा हैं, इनकी शब्द संपदा पर अंकित होकर प्राचीन भारतीय गणतंत्रात्मक प्रणाली की प्रक्रिया और शब्दों से अपना संबंध जोड़कर प्रशासनिक भाषा हिंदी भारतीयता के स्वरूप को प्राप्त कर सकेगी।

ई–प्रशासन की पूर्णता नवीन प्रक्रिया के अनुसंधानकर्ता एवं प्रयोगकर्ता आप स्वयं भारतीय हैं। इस शासन प्रक्रिया के अन्वेषण हमें खुद करना है,अतः इसे शब्द भी हम भारतीयों को ही देना है। आज आवश्यकता है कि कार्यालयी हिंदी की प्रारूपण प्रक्रिया पर पुनर्विचार करें और मानक स्वरूप विकसित करें। इस वर्तमान परिवेश का लाभ उठाकर हम राजभाषा हिंदी के सर्वथा स्वदेशी रूप का अनुसंधान कर सकते हैं।

(हिंदी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय
सदस्य,हिंदी समिति,संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)

हिन्दी एक जीवन्त भाषा है।
इसमें बड़ी सुरम्यता और उदारता है।
–श्री के.आर. नारायणन

ई-शासन : भारतीय भाषाएं प्रयास, प्रगति और व्यवहार

कैप्टन प्रोफेसर मोहसिन अली खान

जैसे–जैसे मानवीय सभ्यताओं में हम नई–नई स्थितियों, पड़ावों में प्रवेश करते हुए, जीवन सापेक्ष अनेक कार्यों हेतु अनुसंधान कर रहे हैं, वैसे–वैसे हम सुलभता–कठिनाइयों से एक साथ जुड़ते भी जा रहे हैं। जहां सुलभता है, वहाँ कठिनाइयाँ अवश्य हैं, लेकिन कठिनाइयों के हल भी हम खोजकर अपनी सभ्यता को और अधिक विकसित करते जा रहे हैं। वर्तमान समय में हम नई से नई वस्तुस्थितियों को अपने जीवन में सम्मिलित करते जा रहे हैं। जीवन शैली को परिवर्तित, परिवर्धित करते जा रहे हैं। इन वस्तुस्थितियों का यदि हम आकलन करें तो पाया जा सकता है कि मानवीय सभ्यता के बढ़ते क्रम, विकास में एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय डिजिटलाइजेशन का जोड़ा है, जिसने न केवल जीवन जीने की पद्धति को विशेष बना तो दिया है, साथ ही हमें अधिक तार्किक, सुगम, ज्ञानानुशासन से युक्त, सकारात्मक, पारदर्शी, यथार्थवादी और द्रुत, गतिमान बना दिया है। डिजिटलाइजेशन ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को और अधिक संपन्न, सार्थक, उपयोगी, त्वरित बनाते हुए लोगों तक पहुंचने की एक सुविधा प्रदान की है और यह सुविधा अधिक से अधिक मात्रा में समाज को राष्ट्र को लाभ पहुंचा रही है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह युग ई–शासन प्रणाली का युग है और इस युग के अंतर्गत हम शासन–प्रशासन प्रणाली के माध्यम से बहुत कुछ सीधे तौर पर शासन का हिस्सा बन गए हैं और हमारा प्रतिभाग अधिक मात्रा में शासन–प्रशासन के साथ जुड़ चुका है।

''ई–गवर्नेंस में 'ई' का अर्थ 'इलेक्ट्रॉनिक' है। यूरोपीय परिषद ने ई–शासन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है–

सार्वजनिक कार्रवाई के तीन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग।

सार्वजनिक अधिकारियों और नागरिक समाज के बीच संबंध।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सभी चरणों में सार्वजनिक प्राधिकरणों का कामकाज (इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र)

सार्वजनिक सेवाओं (इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक सेवाओं) का प्रावधान।''

ई–शासन प्रणाली ने समाज को अधिक पारदर्शी, द्रुत सेवाओं का लाभ उठाने वाला सुगम तथा हरेक नागरिक की पहुंच के लिए आसान बना दिया है। अब हम अपने आवश्यक सरकारी, अर्धसरकारी दस्तावेजों के काम सीधे सरकारी कामकाज की ई–शासन प्रणाली के माध्यम से कर सकते हैं और सरकार भी इस शासन प्रणाली के माध्यम से निरंतर नागरिकों की सेवा में चौबीस घंटे उपस्थित हुई है। अपनी भागीदारी में उसने जनभागीदारी, लोक–केन्द्रीयकरण प्रवृत्ति को अधिक महत्व दिया है और यही लोकतांत्रीकरण की एक नवीन प्रणाली है। ई–शासन प्रणाली बहुत सी शासन की समस्याओं, कठिनाइयों और दूरस्थता को प्रशासन की बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया है। अधिक से अधिक जन–सहभागिता के कारण ई–शासन प्रणाली का महत्व निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। अब नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, बल्कि कार्यालय का समस्त कामकाज संबंधित पत्र, प्रमाण पत्र, तथा अन्य दस्तावेज ई–शासन प्रणाली के माध्यम से आदान–प्रदान किए जाते हैं, जो कि प्रामाणिक दस्तावेज माने जाते हैं। ई–शासन प्रणाली से भारतीय मानविकी शासन पद्धति को बहुत से लाभ हुए हैं, क्योंकि ई–शासन प्रणाली में कंप्यूटर, इंटरनेट के द्वारा कहीं पर भी कैसे भी प्रमाण पत्र तथा दस्तावेजों को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। ई– शासन प्रणाली से कार्य और सेवाओं में अधिक जागरूकता बढ़ने के साथ दक्षता भी बढ़ी है। दक्षता के साथ–साथ गतिशीलता, शीघ्रता का भी समावेश, शोध–निरंतरता के माध्यम से हमारे समक्ष मौजूद है। ई–शासन प्रणाली पहले पहल भले ही कुछ बाधाओं, समस्याओं, कठिनाइयों के माध्यम से प्रारंभ हुई हो या यूं कहा जा सकता है इसमें हमारे पास कई स्तरों पर इतने अच्छे प्रशिक्षु, तकनीक में दक्ष संचालक नहीं थे जो कि ई–शासन प्रणाली को सीधे जनता के बीच तेज गति में स्थापित कर दें। धीरे–धीरे हमने अपनी ई–शासन व्यवस्था में प्रशिक्षण को महत्व दिया और प्रशिक्षण के माध्यम से फिर सुधार लाया गया और ई–शासन प्रणाली तथा ई–प्रशासन की प्रणाली सीधे जनता को लाभान्वित करती रही। ई–शासन प्रणाली ने न केवल शासन के योजनों की पहुँच, फैलाव को विकसित, मजबूत और स्थापित किया, बल्कि आम जनता के जीवन को और अधिक समुन्नत, विकासशील, हितग्राही और लाभार्थी बनाते हुए उसे सीधे सामुदायिक विकास से जोड़ते हुए राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध किया। ई–शासन प्रणाली ने जहां हमें भ्रष्टाचार से मुक्त किया, वहीं सरकार में विश्वास बढ़ाने का एक माध्यम भी खोज निकाला। नागरिकों का अब सरकार में विश्वास अधिक बढ़ने लगा है, पहले बिचौलियों

के माध्यम से बहुत सारी परेशानियां नागरिकों, ग्राहकों को उठानी पड़ती थी, अब यह परेशानियां लगभग समाप्त होने की कगार पर है। इससे भ्रष्टाचार तो कम हुआ ही है साथ ही साथ इससे सरकार की प्रामाणिकता, आश्वासन, पारदर्शिता और शासन में सुधार को बहुत अधिक बढ़ावा मिला है। ई–शासन ने केवल सरकार के सरकारी पक्ष को ही सुगम, मजबूत, पारदर्शी नहीं बनाया है, बल्कि जनता के पक्ष को सरकार तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण साधन, अवसर, प्रतिभाग और तकनीक को खोज निकाला है। अब केवल शासन–प्रशासन से संबंधित दस्तावेज ही नागरिक प्राप्त नहीं कर सकता है, बल्कि जीवन के रोजमर्रा की छोटी–मोटी जानकारियां, छोटी–मोटी जरूरतें, छोटे–मोटे प्रमाणिक दस्तावेज सीधे ई–शासन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। चाहे वह टिकट बुक कराना हो, स्कूल, कॉलेजों का दाखिला या उसकी फीस भरना हो, या कोई प्रमाण पत्र बनवाना हो, यह सारी चीजें ई–शासन प्रणाली के माध्यम से अधिक कारगर सिद्ध हुई है। एक तरफ ई–शासन प्रणाली का एक लाभ और महत्व इसलिए भी रेखांकित करना आवश्यक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि इस शासन प्रणाली ने पेपर लेस शासन प्रणाली को बड़ा महत्व दिया है और जिससे पर्यावरण का हो रहा नुकसान कुछ प्रतिशत में कम हुआ है। इससे बहुत सा बेकार का पैसा खर्च होना बचा है तथा समय की भी बचत हुई है। ई–शासन प्रणाली ने शासन के नए माध्यमों को इजाद किया है और नए अवसरों का सृजन करते हुए आम नागरिकों को बहुत अधिक समावेशित शासन प्रणाली प्रदान की है, जिससे विविध सरकारी उद्देश्यों को पूर्ण किया जा रहा है।

भारत में ई–शासन प्रणाली की शुरुआत 2006 में की गई और तब से लेकर वर्तमान तक इसे विभिन्न श्रेणियों, स्तरों पर कार्यप्रणाली में सुधार लाया गया है। नागरिकों को ई–शासन प्रणाली माध्यम से जनसंवाद करने का एक विशेष बढ़ावा मिला है और सरकारी कामकाज का सीधा संबंध आम जनता से जुड़ गया है जो अत्यंत प्रभावकारी, मूल्यवान, पारदर्शी, त्वरित परिणामी और जनहित वाला है। भारत में बहुत सारे गांव और शहरों में ई–शासन केंद्र (ई–सेवा केंद्र) बनाए गए हैं, जिसमें लोग अलग–अलग तरह से सेवाएं दे रहे हैं और इन सेवाओं का लाभ सीधे जनता उठा रही है। ई–शासन प्रणाली ने जनहित गारंटी को अधिक महत्व देते हुए उसे कारगर सिद्ध किया है। अब सरकार के लिए भी ई–शासन प्रणाली की विकासशील पद्धति बहुत लाभप्रद सिद्ध हो रही है, क्योंकि अब जनता का सीधा टैक्स की शासन प्रणाली से सरकार तक पहुंच रहा है और यहां तक कि समस्त कार्य तथा न्यायालय के जितने भी मुकदमे हैं उनकी सारी सुनवाई भी ई–शासन प्रणाली के द्वारा की जा रही है। अब ऑनलाइन पद्धति से हर प्रकार के दस्तावेजों को बनाना आसान हो गया है जैसे– आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आधार कार्ड, ऑनलाइन राशन कार्ड, ऑनलाइन पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता कार्ड, प्रमाण पत्रों का सत्यापन, शासनादेश, न्यायालय के समस्त काम, मनरेगा के लिए आवेदन, ऑनलाइन आयकर रिटर्न फाइलिंग, स्पीड पोस्ट की जांच, शिक्षा का समस्त कामकाज, डिजिटल लॉकर, ऑनलाइन एफ.आई.आर इत्यादि के माध्यम से अब बहुत अधिक मात्रा में ई–शासन प्रणाली और जनता का आपसी गठबंधन जुड़ चुका है, जिससे शासन और जनता दोनों लाभान्वित हो रहे हैं।

परंतु अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ई–शासन प्रणाली में शासन और प्रशासन अपना दस्तावेजीकरण और दस्तावेज को भरने से लेकर प्राप्त करने तक की समस्त व्यवस्था डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जा रही है, लेकिन इस महत्वपूर्ण ई–शासन माध्यम के भाषा पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। ई–शासन प्रणाली व्यवस्था में भाषा की बहुत व्यापक भूमिका है। बिना भाषा और लिपि के ई–शासन प्रणाली को लागू करना और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत कठिन सिद्ध हो जाता है। देखने में आया है कि ई–शासन प्रणाली में अब भी अधिकांश रूप में अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि का अधिक प्रयोग निरंतर किया जा रहा है, इसके कुछ उदाहरण तर्क सहित भी दिए जा सकते हैं जिनको दर्शाना आवश्यक सिद्ध हो जाता है। ई–शासन प्रणाली या पद्धति को यदि हम हिंदी भाषा, त्रिभाषा सूत्र के तहत यदि उपयोग मिलाएंगे तो ही अधिक मात्रा में ई–शासन प्रणाली का लाभ अधिक जनता ग्रहण कर सकती है। परंतु बहुत सी ई–शासन पद्धतियां, तकनीक कौशल तो विकसित हो गई है, लेकिन उनके साथ अब भी पूर्णतया भाषा, लिपि को अब भी जोड़ा नहीं गया है। अब भी इस संदर्भ में भाषा अंग्रेजी और लिपि रोमन बनी हुई है। ई–शासन प्रणाली के अंतर्गत देखा जा सकता है कि बहुत सी वेबसाइट अंग्रेजी माध्यम में मौजूद हैं और उनकी जितनी भी योजनाएं बन रही हैं उनके बहुत सारे ड्राफ्ट अंग्रेजी और रोमन में ही बनाए जा रहे हैं, यद्यपि समानान्तर में हिन्दी का प्रयोग निरंतर हो रहा है, लेकिन पूर्णतया नहीं। संबन्धित विभाग की अधिकांशतः वेबसाइट हमें हिंदी में प्राप्त होती है जो अत्यंत सुगम, सहायक और कारगर सिद्ध होती है। आम जनता के लिए लाभप्रद है, ताकि आम जनता योजनाओं को सरलता से समझ सके कि वास्तव में सरकार और जनता के बीच किस प्रकार का शासन–संबंध बनाया जा रहा है।

केवल हिन्दी में ही ई–शासन प्रणाली का विकास नहीं किया जा रहा है, बल्कि भारत की संवैधानिक सूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं को भी इस दिशा में महत्वपूर्ण स्थान देते हुए ई–शासन प्रणाली का माध्यम बनाया जा रहा है। ई–शासन न अन्य राज्यों की भारतीय भाषाओं में भी मौजूद है जिसकी भाषाएं अंग्रेजी नहीं है। ये स्थिति एक सुखद अवस्था की ओर संकेत देती है तथा ई–शासन में भारतीय भाषाओं के उपयोग की दृष्टि को रेखांकित करती है। उदाहरण के रूप में मराठी में भी ई–शासन प्रणाली विधिवत रूप से हमें देखने को मिलती है जिसकी आधिकारिक वेबसाइट मराठी भाषा तथा देवनागरी लिपि में रचित है।

(डीपीआईएस) अर्थात भारतीय भाषाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास, इस वेबसाइट का उद्देश्य भारतीय भाषाओं को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ते हुए उन्हें विकसित करना तथा आम जनता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ई–प्रशासन को अधिक से अधिक समुन्नत बनाते हुए लोक–हितकारी जन–समाज के योग्य बनाना है ताकि नागरिक जुड़कर अपनी भाषा में उसका लाभ प्राप्त कर सकें, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में सुगमता का संचार माध्यमों डिजिटलाइजेशन सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयोग हो सके।

यहां कुछ बातें स्पष्ट हो जाएँ जो ई–शासन और भाषा की बाधा के संबंध में है। यह भाषा की बाधा डिजिटलाइजेशन द्वारा ई–शासन प्रणाली में देखी जा रही है। देखने में आया है कि ई–गवर्नेंस के योजना पत्र समस्त अंग्रेजी में हैं, जिसमें दिशा–निर्देश दिए गए हैं। अंग्रेजी और रोमन लिपि में। पॉलीसी भी अंग्रेजी में बनाई जाएगी तो कैसे वह आम जनता के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी? भाषा की बाधा ई–गवर्नेंस के साथ निरंतर बढ़ती चली जाएगी। पॉलिसी अथवा योजनाएं भी यदि हिंदी एवं देवनागरी लिपि में बनाई जाएंगी आम जनता के अवश्य बात समझ में आएगी जिससे एक तरफ सरकार की पारदर्शिता बढ़ेगी दूसरा आम जनता को लगेगा कि उन्हें अपने हितों के लिए किस तरह से ई–गवर्नेंस उपयोगी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि किसी भी योजना की समझ आम जनता में पैदा होनी चाहिए और वह तभी हो पाएगी जब वह त्रिभाषा सूत्र पर आधारित हो न कि अंग्रेजी या रोमन में। उदाहरण रूप में उत्तर प्रदेश चंदौली का लिया जा सकता है, जिसका ड्राफ्ट अँग्रेजी और रोमन में है, जबकि नागरिकों की सुगमता के लिए देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा में बनाया जा सकता है।

मेक इन इंडिया की संपूर्ण वेबसाइट अंग्रेजी में है और उनकी सारी नीतियां अंग्रेजी तथा रोमन में लिखी गई है। ये एक महत्वपूर्ण वेबसाइट है जिससे हम मेक इन इंडिया जैसे विकासशील कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आम जनता अंग्रेजी तथा रोमन के कारण मेक इन इंडिया के उद्देश्य को समझ नहीं पाती है और फिर वह बढ़ते भारत की मुख्य धारा से पिछड़ जाती है। ई–शासन की योजनाएं या पॉलिसी हिंदी में बनाई जाती या क्षेत्रीय भाषाओं में बनाई जाती तो अधिक से अधिक नागरिकों को उसका लाभ पहुंचता और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जनभागीदारी तथा सहभाग, गतिमानता तथा संपर्क अधिक मात्रा में हो पाता है।

इलेक्ट्रॉनिक ई–शासन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ई–क्रांति की वेबसाइट यद्यपि हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों में है, परंतु इसके अंतर्गत आने वाले कई विभागों जैसे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इंडिया, इन्वेस्टमेंट ग्रिड, पीएचडी स्कीम, ऑनलाइन सर्विस पोर्टल इत्यादि पर अभी भी अंग्रेजी माध्यम और रोमन लिपि का प्रयोग निरंतर किया जा रहा है। जिनकी भाषा अंग्रेजी और लिपि रोमन नहीं है। इससे प्रयोक्ताओं को कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। इसे भाषाई दृष्टि से और भी अधिक सरल बनाने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं, जिससे सभी को लाभ प्राप्त हो सके।

ई–क्रांति वेबसाइट पर विस्तृत मसौदे की रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा और रोमन लिपि में है।

CSC कॉमन सर्विस सेंटर जन सेवा केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट जो कि परिचालन में है और अपडेट भी है वह अंग्रेजी में और रोमन लिपि में है।

ई–क्रांति, ई–शासन प्रणाली को यदि एक विशेष प्रयोजन, लक्ष्य और योजना के तहत हम हिंदी भाषा के साथ अन्य भारतीय भाषाएं जिन प्रांतों के आधिकारिक भाषाएं संवैधानिक रूप में मौजूद हैं, उनमें यदि हम अपनी ई–प्रशासन प्रणाली को पूर्ण रूप से स्थापित करेंगे तो अधिक से अधिक मात्रा में नागरिकों को लाभ हो सकेगा। यह भी देखने में आया है कि बहुत सारी वेबसाइट अभी अंग्रेजी में मौजूद हैं, लेकिन अधिकांश वेबसाइट ऐसी हैं जिन्हें अंग्रेजी और हिंदी में परिचालित किया जा रहा है या भारतीय भाषा में और इससे भाषा की बाधा दूर हो रही है। यदि ई–शासन प्रणाली को जन–जन तक पहुंचना है तो भाषा की बाधा को दूर करते हुए पहुंचना होगा वरना ई–शासन प्रणाली जनता के हित के लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। यदि जनता और शासन–प्रशासन के बीच कोई पुल का काम करता है तो वह 'भाषा' है और 'भाषा' हिंदी हो या भारतीय प्रांतीय भाषा, दोनों ही रूपों में अधिक कारगर सिद्ध हो सकती है क्योंकि भारत की अधिकांश जनता या तो हिंदी जानती है या अपनी प्रांतीय भाषा को ठीक से समझ

पाती है। इस संदर्भ में वे नागरिक भी शामिल हो जाएंगे जो अंग्रेजी जानने वाले हैं। ये नागरिक अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी तथा प्रांतीय भारतीय भाषाओं का भी ज्ञान रखते हैं। इस तरह की परिस्थिति और परिप्रेक्ष्य में यदि हम अपनी भारतीय प्रांतीय भाषाओं और हिंदी भाषा पर अधिक बल देंगे तथा ई–शासन प्रणाली में अधिक से अधिक इनका इस्तेमाल करेंगे तो ही अपनी भारतीय भाषाओं के प्रयोग, उपयोग का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। तब ही ई–शासन प्रणाली बहुत अधिक मात्रा में कारगर सिद्ध हो सकती है और यह प्रयास सरकार का जनभागीदारी का एक बेहतरीन अवसर बन सकता है। आशान्वित स्थिति है कि इस दिशा में अभी और भी सक्रिय, सकारात्मक प्रयास चल रहे हैं तथा विविध क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता भारतीय भाषाओं को केंद्र मे रखकर निरंतर ई–शासन प्रणाली में भारतीय भाषाओं के पृष्ठों की रचना कर वृद्धि की जा रही है। कई स्तरों पर अभी और भी ऐसे गंभीर प्रयास करने शेष हैं, जिनसे ई–शासन और भारतीय भाषाओं के प्रयोग में गतिमानता, सक्रियता, जनसहयोग स्थापित हो सके। यदि भविष्य की योजना हेतु हिन्दी और भारतीय भाषाओं को ई–शासन के प्रयोग के लिए सकारात्मकता दिखाई जाए तो अवश्य नागरिक ई–शासन के प्रति अपना दायित्व निर्वाह करते हुए अपनी जनभागीदारी को बढ़ा पाएंगे, दूसरी तरफ सरकार भी जन–जन तक पहुँचकर अपनी नागरिक–धर्मिता की स्थिति को सुदृढ़ बना सकेगी। ई–शासन प्रणाली को जनता में लोकप्रिय, उपयोगी, सुलभ, सहज बनाने में केवल भारतीय भाषाओं का और हिन्दी, देवनागरी लिपि का ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, अब भी इस संदर्भ में अधिक प्रयासों की आवश्यकता है ।

संदर्भ–

1. https://www.drishtiias.com/hindi/to-the-points/paper2/e-governance-5
2. https://www.india.gov.in/hi/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%88 %E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C %E0%A4%A8%E0%A4%BE
3. https://raigad.gov.in/%E0%A4%88%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8/
4. https://www.meity.gov.in/hi/content/technology-development-indian-languages-tdil
5. https://cdn.s3waas.gov.in/s3555d6702c950ecb729a966504af0a635/uploads/2018/10/2018102688.pdf
6. https://www.makeinindia.com/home
7. https://voterportal.eci.gov.in/
8. http://www.indianrail.gov.in/enquiry/StaticPages/StaticEnquiry.jsp?StaticPage=index.html
9. https://www.csc.gov.in/

हिन्दी विभागाध्यक्ष एवं शोध निर्देशक
जे. एस. एम. महाविद्यालय, अलीबाग–रायगढ़
(महाराष्ट्र) पिन– 402201
ईमेल– khanhind01@gmail-com
मोबाईल– 9860657970

मातृभाषा

मेरी बोली के तमाम शब्द
टाई वाले स्कूल के सबसे अकेले कोने में
सकुचाये हुए से खड़े हैं.

वे विकास की धारा में बहते हुए
किनारों पर रेत से जमने लगे हैं.
मेरी बोली मेरे पुरखों के साथ
रेवड़ चराने चली गयी है
और अभी तक न रेवड़ वापिस लौटे हैं ना बोली.

जबकि उनकी प्रेमिकाएं आज भी
मेरी ही बोली में गाती हैं विरह का यह गीत
''काती रे बिछड़े हो–
जाणे मिलणा कधाड़ी प्यारूआ''

सुना है गर्मियों में वे लाहुल में थे
वे वापिस लौट रहे हैं पालमपुर की तरफ
अखरोट लेकर
''बत्ता मंझ टपरू कसेरा'' गाते हुए.

वे सूखे आम की पापड़ियाँ लेकर
कांगड़ा से चम्बा लौटेंगे
कुछ सफेद, कुछ काली
और कुछ धब्बों वाली भेडों के रेवड़ के साथ
अपनी बांसुरी पर
''कुंजू–चंचलों'' की धुन बजाते हुए.

वे गद्दी में बोलते–बतियाते हुए
देवदारों के नितांत वीराने में मिठास भर देंगे.

केदार बाबा मेरी भी जीभ अकड़नें लगी है
आत्मा दुखने लगी है
मैं भी अपनी भाषा में लौटना चाहता हूँ
ठीक उसी तरह–
जिस तरह बरसों पहले कह गए थे तुम.

––अशोक कुमार

प्रौद्योगिकी तो साथ है, अब हिन्दी वाले जोश दिखाएं

बालेन्दु शर्मा दाधीच

कुछ महीने पहले जब ई–कॉमर्स क्षेत्र की वैश्विक वेबसाइट अमेजॉन.कॉम के हिंदी संस्करण का लांच हुआ तो इसके पीछे का संदेश यह था कि प्रौद्योगिकी से किसी न किसी तरह जुड़े संस्थानों और सेवाओं के लिए हिंदी से दूर रहना अब एक जोखिम का काम बनता जा रहा है। अमेजॉन इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि उनकी कंपनी ने इंटरनेट पर उपभोक्ताओं की पसंद–नापसंद का सर्वेक्षण करवाया था जिससे यह स्पष्ट हुआ कि हर दस में से आठ लोग इंटरनेट पर खरीददारी के लिए अपनी भाषा का प्रयोग करना पसंद करते हैं। ऐसे में अमेजॉन तो क्या कोई भी ई–कॉमर्स कंपनी भारतीय भाषा–भाषियों के अथाह बाजार की उपेक्षा करने का जोखिम नहीं ले सकती। यह बात कमोबेश समूचे प्रौद्योगिकीय वातावरण पर लागू होती है। ई–कॉमर्स ही क्यों, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, क्लाउड, इंटरनेट–सेवाओं, ई–शिक्षा, ई–प्रशासन, वर्चुअल असिस्टेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा विश्लेषण, कृत्रिम मेधा आदि सभी अहम क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी को अधिक समय तक अनदेखा करना किसी भी संस्थान के हित में नहीं है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषाओं ने मजबूत जड़ें बनानी शुरू कर दी हैं। आने वाले वर्षों में यही भाषाएँ ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों ही स्तरों पर दबदबा बनाएंगी।

भारत में दस फीसदी लोग भी अंग्रेजी बोलते–समझते नहीं हैं। लेकिन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लंबे समय तक बाकी बचे हुए 90 फीसदी लोगों की उपेक्षा हुई है। तकनीक को शक्ति, विशेषकर आर्थिक शक्ति से जोड़कर देखा जाता रहा है और शायद इसीलिए ज्यादातर काम सिर्फ दस फीसदी लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता रहा। यह भी सही है कि हमारी भाषाओं का बाजार पहले इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अंग्रेजी में कारोबार अपने शीर्ष पर पहुँच चुका है, बल्कि ठहराव की स्थिति में है। अमेजॉन का उदाहरण लें तो उसे अपने 15 करोड़ पंजीकृत ग्राहकों से आगे बढ़ने के लिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की शरण में जाना ही होगा। अमेजॉन का लक्ष्य 50 करोड़ भारतीयों तक पहुँचने का है। अंग्रेजी भाषियों के जरिए तो यह संभव नहीं है। उनकी सीमित संख्या पिछली जनगणना से स्पष्ट हो चुकी है।

हकीकतन हिंदी में तकनीकी विकास अवश्वयंभावी है। और यह बदलाव तकनीकी कारणों की तुलना में आर्थिक – सामाजिक – राजनैतिक परिस्थितियों से अधिक प्रेरित है। वैश्विक स्तर पर भारत का आर्थिक तथा भू–राजनैतिक दृष्टि से मजबूत होकर उभरना और उसके साथ–साथ हमारे यहाँ पर उपभोक्ता का समृद्ध, सशक्त व जागरूक होना इसका अहम कारण है। आज जो देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत हैं और जहाँ पर बाजार है, वैश्विक परिदृश्य में उसका उतना ही महत्व है। विश्व बैंक के अनुसार इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3 की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करने जा रही है जो बड़े देशों में सर्वाधिक है। भारत फ्रांस को पीछे छोड़कर इसी साल दुनियां की छठीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आर्थिक ठहराव से चिंतित वैश्विक कंपनियों के लिए भारत संभावनाओं का नया स्रोत बनकर उभरा है। उन्हें बाजार की तलाश है और हम बाजार उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे में हर क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत की ओर आकर्षित हो रही हैं और तकनीकी कंपनियाँ इसका अपवाद नहीं है।

सीधे शब्दों में कहें तो भारत के पास अब संख्याबल भी है और खर्च करने के लिए पैसा भी। आम भारतीय की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बढ़ते–बढ़ते एक लाख 30 हजार रुपए के करीब जा पहुँची है। सन 2000–2001 में यह महज 16,173 रुपए हुआ करती थी। यानी आम भारतीय की आय औसतन हर छह साल में दोगुनी हो रही है। इधर शिक्षा का स्तर भी बेहतर हुआ है तथा तकनीकी जागरूकता भी बढ़ी है। आर्थिक क्षमता बढ़ने के साथ–साथ भारतीय नागरिकों की जरूरतें भी बढ़ी हैं और महत्वाकांक्षाएँ भी। बेहतर जीवनशैली की ओर उनकी यात्रा बाजार में मांग पैदा कर रही है। यह मांग तमाम क्षेत्रों में है, जिनमें तकनीकी उत्पाद और सेवाएँ भी शामिल हैं। बाजार मांग और सप्लाई के नियम के आधार पर चलता है। मांग पैदा हो रही है तो नए उत्पाद भी आएँगे और चूँकि बाजार में ग्राहक ही राजा है इसलिए सप्लायर को ग्राहक की जरूरतों के लिहाज से ढलना पड़ेगा। इस लिहाज से मैं हिंदी में तकनीकी विकास को लेकर आश्वस्त हूँ। किंतु इसका एक दूसरा पहलू भी है।

प्रश्न उठता है कि कंपनियों के स्तर पर तो ठीक है लेकिन अपने स्तर पर हम, यानी उपभोक्ता, इस स्थिति का कितना लाभ उठा रहे हैं। क्या हमारी आवश्यकताएँ मोबाइल फोन, कंप्यूटर आदि को खरीदने और संचार तथा ई–कॉमर्स जैसी सेवाओं के प्रयोग तक सीमित रहेंगी? सब कुछ बाजार के रहमोकरम पर नहीं छोड़ा जा सकता। तकनीकी कंपनियाँ अपनी ओर से उन तमाम क्षेत्रों में विकास करेंगी जो उनकी दृष्टि में आवश्यक हैं या प्रयोक्ता की बुनियादी जरूरत हैं। लेकिन इससे आगे वे तभी बढ़ेंगी जब हम उत्पादों को खरीदेंगे और इस्तेमाल करेंगे। मोबाईल और कम्प्यूटर को खरीदना तो एक बुनियादी जरूरत है लेकिन हम उनका कितना और कैसे उपभोग करते हैं, आगे का तकनीकी विकास इस पर निर्भर करेगा। अगर हम अपने आपको सिर्फ कन्टेन्ट के उपभोग तक सीमित रखते हैं, अर्थात् वीडियो आदि देखना, खबरें पढ़ना

और संगीत सुनना, तो उसकी बदौलत आप भविष्य में तकनीकी लिहाज से बहुत अधिक आगे जाने की उम्मीद नहीं लगा सकते। जरूरत इस बात की है कि आप इन संसाधनों का कितना उत्पादकतापूर्ण प्रयोग करते हैं। आप कितने तथा किस किस्म के सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, अपने प्रधान कामकाज में भारतीय भाषाओं में तकनीक का किस तरह प्रयोग करते हैं, आपकी उत्पादकता में इनसे किस तरह वृद्धि होती है, शिक्षण तथा सरकारी–गैर–सरकारी सेवाओं से जुड़े तकनीकी अनुप्रयोगों में आप कितनी दिलचस्पी रखते हैं आदि आदि। मैं यहाँ पर भाषा तकनीकों के गुणवत्तापूर्ण तथा उत्पादकतापूर्ण प्रयोग की बात कर रहा हूँ। चाहे जितना तकनीकी विकास हो जाए, यदि उपभोक्ता उसे समर्थन नहीं देंगे तो भारतीय भाषाएँ उस किस्म की तकनीकी सक्षमता प्राप्त नहीं कर सकेंगी जैसी हमारी आकांक्षा है।

आज हमारी भाषाओं में जो तकनीकी जागरूकता दिखाई दे रही है उसके पीछे नई पीढ़ी का सर्वाधिक योगदान है जिसके लिए तकनीक कोई हौवा नहीं है। लेकिन सब कुछ घटित नहीं हो चुका है। बहुत कुछ होना बाकी है।

भारत को तकनीकी दृष्टि से बड़ी शक्ति बनाने के लिए जिस तरह का उत्साह और दीवानगी होनी चाहिए थी, उस हद तक हम अभी नहीं पहुँचे हैं। भारतीय भाषाओं में हमारा ज्यादा ध्यान कन्टेन्ट के उपभोग, संचार और सोशल नेटवर्किंग पर है। जैसे भारत में यू–ट्यूब पर देखे जाने वाले कुल वीडियो में से 90 प्रतिशत से ज्यादा भारतीय भाषाओं में होते हैं। फेसबुक के उपभोक्ताओं की दृष्टि से भारत का पहला स्थान है जहाँ पर उसके 27 करोड़ प्रयोक्ता हैं। व्हाट्सऐप के बीस करोड़ सक्रिय मासिक प्रयोक्ता भारत से आते हैं। भारतीय भाषाओं के स्मार्टफोन एप्प डेली हंट के नौ करोड़ से अधिक प्रयोक्ता हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्मों के अपने लाभ हैं, जैसे यू–ट्यूब जैसे माध्यम न सिर्फ मनोरंजन के प्रधान माध्यम बन रहे हैं बल्कि शिक्षण, कौशल विकास और जागरूकता बढ़ाने में भी उनकी भूमिका है। व्हाट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर, शेयरचैट और डेली हंट आदि आम उपभोक्ता को निरंतर सूचनाओं से लैस करने तथा उन्हें जोड़ने में जुटे हैं। अब जरूरत है कि भारतीय भाषाओं के प्रयोक्ता तकनीक का उत्पादकता के लिए भी जमकर इस्तेमाल करें– यानी अपने दफ्तर के कामकाज में, बेहतर शिक्षा पाने के लिए, सरकारी–गैर–सरकारी सेवाओं के प्रयोग के लिए। एक और सवाल जो मुझे कचोटता है वह यह कि हिंदी का उपभोक्ता भला टेबल के दूसरी तरफ ही क्यों रहे, यानी उपभोक्ता के रूप में ही? वह खुद सप्लायर या प्रदाता क्यों न बने? वह खुद तकनीकें निर्मित क्यों न करे, खुद ई–शिक्षा प्रदान क्यों न करे, खुद सेवाओं का निर्माता क्यों न बने? संक्षेप में कहें तो टिकाऊ तकनीकी विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जरूरी है कि हम भारतीय नई तकनीकों में निहित संभावनाओं का लाभ समग्रता से उठाएँ। हमारे पास मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं ही। भारत जितनी बड़ी तकनीकी शक्ति आज है, उससे कई गुना बड़ी शक्ति बन सकता है यदि हम भारतीय भाषाओं के संख्याबल को सेवा प्राप्तकर्ता से सेवा प्रदाता में तब्दील कर दें।

संख्या बल हमारी सबसे बड़ी ताकत है इसलिए तकनीकें बनती रहेंगी और हिंदी समृद्ध होती रहेगी। लेकिन खुद को महज बाजार मानकर बैठे रहना और विकास का काम दूसरों पर छोड़ देना कोई आदर्श स्थिति नहीं है। दूसरे लोगों के सहारे नैया पार नहीं होती। वे उतना ही करेंगे जितनी कि उनकी अनिवार्यता होगी। संख्याबल का उत्सव मनाने से आगे बढ़कर हमें खुद अपनी भाषाओं में तकनीकी तरक्की का नियंत्रण संभालना होगा। एक उदाहरण देखिए– बोलने वालों की संख्या के लिहाज से दुनिया की शीर्ष बीस भाषाओं में से छह भाषाएँ भारत की हैं जिनमें हिंदी तीसरे नंबर पर है (हममें से बहुत से लोग इसे दूसरे नंबर पर मानते हैं)। लेकिन इंटरनेट पर कन्टेन्ट के लिहाज से हिंदी का स्थान 38वें से 41वें के बीच रहता है। मुझे याद आता है कि लगभग 15 साल पहले गूगल के तत्कालीन सीईओ एरिक श्मिट ने कहा था कि आने वाले पाँच–दस सालों में इंटरनेट पर जिन दो भाषाओं का प्रभुत्व होगा, वे हैं– मंदारिन और हिंदी। खुश होने के लिए बहुत अच्छा उद्धरण है यह लेकिन वह अवधि कब की निकल चुकी है और जहाँ इस बीच मंदारिन इंटरनेट की दसवीं सबसे बड़ी भाषा बन चुकी है, हिंदी अभी भी 41वें नंबर पर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बातों से आगे बढ़ें और वर्तमान अनुकूल परिस्थितियों का अधिकतम लाभ उठाते हुए आगे के लिए सुदृढ़ आधारशिला के निर्माण में जुटें। हमें भारतीय भाषाओं में तकनीकी उद्यमिता और टिकाऊ विकास का एक इको–सिस्टम (पारिस्थितिकीय ढाँचा) तैयार करना होगा, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ–साथ भारतीय कंपनियों, छोटे स्टार्टअप्स, स्वतंत्र विकासकर्ताओं, सरकारी तकनीकी संस्थानों और अकादमिक संस्थानों की भूमिका हो। तेजी से परिणाम लाने के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) एक अच्छा मार्ग सिद्ध हो सकता है।

हाल के वर्षों में मोबाईल भाषायी तकनीकों के विकास का बड़ा उत्प्रेरक बनकर उभरा है। कारण भी स्पष्ट है– कुछ ताजा अध्ययन और सर्वेक्षण इस तरफ इशारा करते हैं कि भारत में इंटरनेट स्थित कन्टेन्ट का सर्वाधिक प्रयोग भारतीय भाषाओं में किया जा रहा है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार सन् 2020 और कुछ के अनुसार एक साल बाद, भारत में इंटरनेट सेवाओं की खपत के मामले में भारतीय भाषाओं की हिस्सेदारी 75 फीसदी के आसपास होगी। लगभग इसी अवधि में मोबाइल फोन खरीदने वाले हर दस में से नौ लोग अपनी प्रधान भाषा के रूप में भारतीय भाषाओं का प्रयोग कर रहे होंगे। इतनी बड़ी संख्या में उपभोक्ता आ रहे हैं तो उनकी तकनीकी जरूरतें भी

हैं जिन्हें पूरा करना किसी भी कारोबारी संस्थान के लिए समझदारी का काम है।

रिलायंस जियो जैसी कंपनियों ने इस संकेत को समझा है और उन्होंने इसी मोबाइल उपभोक्ता के अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करने में बड़ा योगदान दिया है। हालाँकि यह उनके अपने व्यावसायिक हितों के भी अनुकूल है। किंतु इससे हुआ यह है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास मोबाईल के जरिए ठीकठाक बैंडविड्थ के साथ किफायती दरों पर इंटरनेट सेवाओं का प्रयोग करने की क्षमता आ गई है। इसका प्रभाव कंटेंट के उपभोग और संचार आधारित ऐप्स की लोकप्रियता में दिखता है। देश में बिजली और दूरसंचार सुविधाओं की स्थिति भी बेहतर हुई है जिससे निचले स्तर पर कंप्यूटरों के प्रयोग के लिए भी परिस्थितियाँ अनुकूल हुई हैं।

इधर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी बढ़ती हुई मांग और जन–आकांक्षाओं के मद्देनजर भाषायी तकनीकी विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। लगभग हर दूसरे महीने माइक्रोसॉफ्ट या गूगल की ओर से कोई न कोई नया भाषायी अनुप्रयोग, फीचर या सेवा जारी की जा रही है। भारत सरकार ने भी राष्ट्रव्यापी फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की स्थापना, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अनुकूल संदेश दिया है। डिजिटल इंडिया के नौ में से तीन स्तंभों में भाषायी तकनीकी विकास की प्रासंगिकता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अब पर्सनल कंप्यूटर पर लगभग वह सब कुछ करना संभव है जो अंग्रेजी या दूसरी यूरोपीय भाषाओं में किया जा सकता है। बात टेक्स्ट इनपुट, फॉन्टों और यूनिकोड समर्थन से बहुत आगे जा निकली है। अब आप विभिन्न आकार के उपकरणों में (डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल) तथा ऑनलाइन–ऑफलाइन भारतीय भाषाओं का उत्पादकतापूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। भाषायी सुविधाओं की बाढ़ आई हुई है। सामान्य सुविधाओं की तो छोड़िए, मशीन अनुवाद और ध्वनि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में भी काफी विकास हो गया है। आने वाले वर्षों में इस तरह की सुविधाएँ हमारे दैनिक जीवन का इतना सामान्य हिस्सा बन जाएंगी कि हमें उनकी मौजूदगी का अहसास तक नहीं होगा।

बात सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक सीमित नहीं है। बहुत सी भारतीय कंपनियाँ भी भाषायी तकनीकी विकास में योगदान दे रही हैं। इनमें रेवरी, प्रोसेस 9, इंडस ओएस, शेयर चौट, क्विलपैड, शब्दकोष, पाणिनि कीबोर्ड आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इंटरनेट सामग्री के क्षेत्र में भी अधिकांश प्रधान अखबार, पोर्टल आदि भारतीय भाषाओं में सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं। यू–ट्यूब पर भी भाषायी कन्टेन्ट निर्माण ने गति पकड़ी है।

भाषायी तकनीकी विकास की अगली सीढ़ी है– कृत्रिम मेधा या आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस। किसी समय पर जो काम बहुत मुश्किल हुआ करते थे, मसलन बड़ी मात्रा में डेटा इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण, वे नई परिस्थितियों में अपेक्षाकृत काफी आसान हो गए हैं। नई परिस्थितियों से मेरा आशय– क्लाउड कंप्यूटिंग की बढ़ती लोकप्रियता, बिग डेटा जैसी अवधारणों का घटित होना जिनमें हमारी कल्पनाओं से भी अधिक सूचनाएँ एकत्र तथा प्रोसेस की जा रही हैं और कंप्यूटरों का ज्यादा से ज्यादा मेधावी या इंटेलीजेंट होते चले जाना है। एक ओर जहाँ हम तकनीकों को सीख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तकनीकें हमें सीख रही हैं। वे हमारे आचरण, कामकाज, पसंद–नापसंद, सूचनाओं के निर्माण व प्रयोग, संचार आदि से सीखकर नई क्षमताएँ उत्पन्न कर रही हैं जिनका इस्तेमाल हमारी मदद के लिए किया जा सके। हालाँकि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को लेकर कुछ शंकाएँ और आशंकाएँ भी हैं जिनका समाधान सरकारों तथा कंपनियों को मिलकर करना है। किंतु इतना स्पष्ट है कि वह हमारे जीवन में रूपांतरकारी परिवर्तन लाने जा रही हैं। आने वाले वर्षों में मेधावी तकनीक लगभग उसी तरह हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाएंगी जैसे कि हमारे घरों में बिजली या पानी है। वे हमारी भाषाओं को भी लाभान्वित करने वाली हैं। भाषाओं के बीच दूरियाँ अप्रासंगिक हो जाने वाली हैं क्योंकि तकनीक भाषाओं के बीच एक अदृश्य दुभाषिये का रूप ले लेगी। आप अपनी भाषाओं का प्रयोग करते हुए ही विश्व की अन्य भाषाओं के साथ संपर्क कर सकेंगे और उनकी सामग्री का उपभोग कर सकेंगे, फिर भले ही वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में या हमारे दैनिक जीवन में। इससे भाषाएँ मजबूत होंगी और उनका भविष्य सुनिश्चित होगा। तब हम अपनी ऊर्जा अपनी भाषाओं में सीखने और आगे बढ़ने पर केंद्रित कर सकेंगे।

उससे पहले एक जरूरी बात यह है कि देश में तकनीकी जागरूकता का बड़े पैमाने पर प्रसार किया जाए। विश्व हिंदी सम्मेलन जैसे आयोजन इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को आज भी उन अनुप्रयोगों की जानकारी नहीं है जो पहले से मौजूद हैं और उनकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि इनपुट माध्यम (टाइपिंग, फॉन्ट आदि)। हम जागरूक होंगे तभी इन सीमाओं से आगे बढ़कर तकनीक का पूरा लाभ उठा सकेंगे। जरूरत है कि हम न सिर्फ सामान्य उत्पादकता सॉफ्टवेयरों, इंटरनेट, मोबाइल सेवाओं तथा क्लाउड सेवाओं के प्रयोग में निष्णात हों बल्कि उनसे आगे की भी सोचें। हमें भारत को सिर्फ बीपीओ और आउटसोर्सिंग के जरिए तकनीकी विश्व शक्ति नहीं बनाना है बल्कि उसे एक ज्ञान समाज में तब्दील करना है। तकनीक भारत में सामाजिक परिवर्तनों तथा आर्थिक विकास का निरंतर चलने वाला जरिया बन सकती है, और भाषाओं की इसमें बड़ी भूमिका होने वाली है।

(लेखक राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से प्रदत्त आत्माराम पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ तकनीकविद् है।)

संपादक हैं। संप्रतिः निदेशक– भारतीय भाषाएँ और सुगम्यता, माइक्रोसॉफ्ट भारत)

मैं तुम्हारी भाषा से प्यार करता हूँ :

आज 21 फरवरी है। आज विश्व मातृभाषा दिवस है। इस दिन हमें अपनी भाषा से प्यार का इजहार करना चाहिए, इस दिन हमें दुनिया की सभी भाषाओँ से प्यार का इजहार करना चाहिए। और यह बात इजहार तक ही क्यों, उन्हें सीखने और स्वीकारने के दिन के रूप में भी याद करना चाहिए।

दूसरी भाषा के प्रति हिकारत का भाव रखना ठीक बात नहीं है। पूरी दुनिया में यह देखा गया है कि शासक वर्ग की भाषाओं ने गैर शासक वर्ग की भाषाओं के प्रति उपेक्षा भाव दिखाया है। जिन लोगों पर शासन किया गया उनकी भाषाओं को प्रतिस्थपित कर शासक वर्ग की भाषाओं को उन पर लाद दिया गया। भारत में अंग्रेजी शासन ने और अल्जीरिया में फ्रांस के शासन ने यही किया।

भारत में अंग्रेजी शासन के समय प्रिंट कल्चर का विस्तार हुआ। मानव विज्ञानी बर्नार्ड कोह्न का एक निबंध है : The Command of Language and the Language of Command । इसे आप सबाल्टर्न स्टडीज के भाग– 4 में पढ़ सकते हैं। इसमें वे लिखते हैं कि व्याकरणों, शब्दकोषों, निबंधों, पुस्तकों एवं अनुवादों का निर्माण कर अंग्रेजों ने एक नये प्रकार के तंत्र का निर्माण किया जिससे शासन करना आसान हो गया।

जब भारत आजाद हुआ तो भाषा का सवाल आ खड़ा हुआ। अनुसूचित भाषाओं की एक श्रेणी के द्वारा भारत की कुछ भाषाओं को कानूनी दर्जा मिला। शेष को उपेक्षित होने के लिए छोड़ दिया गया। इसके बाद जिन भाषाओं के पास ज्यादा लोग थे उन्होंने भी कानूनी दर्जा प्राप्त कर लिया। कानून से मान्यता प्राप्त भाषाओं में नौकरी मिलने लगी। अंग्रेजी के साथ–साथ कई भारतीय भाषाएं नौकरी करने की भाषा बनीं। इसमें हिंदी भी नौकरी की एक भाषा है।

अब उत्तर प्रदेश पर आते हैं। हिंदी भाषा इस राज्य में सबसे ज्यादा बोली जाती है। प्रोफेसर गणेश देवी के निर्देशन में जो भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण हुआ उसमें प्रोफेसर बद्री नारायण के साथ में उत्तर प्रदेश की भाषाओं को इकट्ठा करने का मौका मुझे भी मिला।

उत्तर प्रदेश के गांवों में भाषा के नमूने इकट्ठे करते समय मैंने देखा है कि किस प्रकार पढ़े–लिखे हिंदी भाषी समूह ने सीमांत भाषा–भाषी समूहों के साथ वही व्यवहार किया है जो अंग्रेजों ने भारतीय भाषाओं के साथ उन्नीसवीं शताब्दी में किया था।

सार्वजनिक जगहों, बसों और रेलों में सीमांत भाषा–भाषी समूह आपस में या तो बात नहीं करते या बहुत धीमे स्वर में बात करते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में कोई पूरी आवाज के साथ बात क्यों नहीं कर सकता?

आज हालात यह है कि उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषी जन मातृभाषा के नाम पर अवधी और भोजपुरी पर थोड़ा बहुत काम हो रहा है। भोजपुरी को सम्मान दिलाने ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्यो के साथ विदेशों में बसे भारतीय एवं भारतवंशी प्रयासरत हैं लेकिन ब्रज, बुंदेली और बघेली में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। मध्यप्रदेश में बुंदेली भाषा पर कुछ चेतना आयी है और लोग काम कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में यह भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें इन भाषाओं की सांस्कृतिक समिद्ध का सोता कभी सूखा ही नहीं है। जरूरत उसे सम्मान देने की है।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में नेपाली और सिंधी जनों की एक बड़ी संख्या रहती है। सिंधी भाषा को बढ़ावा देने के लिए तो कुछ काम दिल्ली की नेशनल काउंसिल फार प्रमोशन आफ सिंधी लैंगवेजेज कर रही है, नेपाली को अपनी राह बनानी है। 1989 से प्रदेश सरकार ने उर्दू को दूसरी शासकीय भाषा का दर्जा दे रखा है लेकिन इसके बहुत कम नामलेवा बचे हैं।

इन भाषाओं का निर्माण सैकड़ों–हजारों साल में हुआ है। यह काम किसी भी भाषा के किसी प्रोफेसर ने नहीं किया बल्कि जन सामान्य ने किया है।

वास्तव में अक्षर ज्ञान से रहित समूह ही बोली या भाषा बचाए रखते हैं। वे इसे रचते हैं। जब यह प्रक्रिया एक स्पष्ट आकार ग्रहण कर लेती है और इसमें तमाम सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ रची जा चुकी होती हैं तो व्याकरण और मानकों के द्वारा पढ़ा–लिखा समूह इस पर अधिकार जमाने का प्रयास करता है और फिर शुरू हो जाता है यह बताना कि क्या व्याकरण सम्मत है और क्या नहीं है। व्याकरण सम्मत भाषा तो वही बोल सकते हैं जिनकी पाठशाला तक पहुँच रही है। पाठशाला के बाहर के लोग इस विमर्श से सीमांतीकृत कर दिए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में कई सीमांत समूह हैं जो भोजपुरी, अवधी की दुनिया के बीच में कई भाषाओं को बचाए हुए हैं। इन पर उत्तर प्रदेश के विद्वत्जगत ने ध्यान नहीं दिया है। ऐसा इन भाषाओं में नौकरियों के अवसर न होने के कारण है। गंगा–यमुना नदी के किनारे के मल्लाहों की एक भाषा और संख्या पद्धति है जिसे हमने दर्ज किया है।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के घुमंतू समुदायों की विशिष्ट भाषाएं और संख्या पद्धतियां हैं। इन घुमंतू समुदायों का एक समृद्ध मौखिक साहित्य है। जिसे इन समुदायों ने अपनी अंदरूनी दुनिया के भाषाई परिसरों में बचाए रखा है। पढे लिखे और स्थायी जीवन जीने वाले लोग प्रिंट कल्चर में मुद्रित ज्ञान और भाषा को न केवल अपना ज्ञान और भाषा मान लेते हैं बल्कि इसके द्वारा वे एक संरचनात्मक श्रेष्ठता बोध भी स्थापित करने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर घुमंतू समुदाय अपना ज्ञान और अपनी भाषा अपने गीतों, कथाओं और किंवदंतियों में सुरक्षित रखते हैं। इसमें समुदाय की महिलाएं और वृद्ध एक सांस्कृतिक क्यूरेटर की भूमिका निभाते हैं।

उत्तर प्रदेश के महावतों, नटों, बहेलियों, संपेरों, कंजरो और पारधी समुदाय के लोगों ने अपनी भाषाओं को इसी प्रकार बचाए रखा है। उनकी भाषा में भी वही सब बाते हैं जो दुनिया की अन्य भाषओं में होती है, जैसे यह दुनिया कैसे बनी? इस दुनिया को कौन लोग चलाते हैं? वे जिस स्थान पर इस समय बसे हुए हैं, वहाँ पर कैसे आये? इन बातों पर इन समुदायों में कथाएं सुनायी जाती हैं। इन कथाओं में एक विश्वदृष्टि होती है जिसमें परिवार, समुदाय या दुनिया को बचाने, उसे अधिक समतापूर्ण बनाने, संपत्ति के न्यायपूर्ण वितरण, मित्रता और आपसी भाईचारे की अविभाज्यता के संकेत छिपे होते हैं। इन कथाओं के अंदर इन घुमंतू समदायों के अस्तित्व में बने रहने की जुगत भी छिपी होती है।

आज जब हम मातृभाषाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें केवल उन भाषाओं या बोलियों के बारे में बात नहीं करनी है जो दृश्यमान हैं या जो दृश्यमान समूहों द्वारा बोली जाती हैं।

इसे हमारी भाषायी चेतना की अल्प दृष्टि कहें या असहिष्णुता कि हमारा मानस यह मानने को प्रस्तुत नहीं हो पाता कि ठीक हमारे इर्द–गिर्द एक बोली या भाषा सांस ले रही है। उसे सुनने की जरूरत है। उस दुनिया के नागरिकों से परिचय की जरूरत है। हम अपने देश को प्यार करने का दावा करते रहते हैं। जब तक हम उसकी सभी भाषाओं को प्यार नहीं कर पाएंगे तब तक उससे प्यार का दावा कैसे कर सकते हैं?

–रमाशंकर सिंह

प्रशासनिक अनुवाद : आवश्यकता और आयाम

डॉ. हरीश कुमार सेठी

आजादी के समय तक देश में 'अंग्रेजी' राजभाषा का दर्जा प्राप्त भाषा थी। तब प्रशासनिक कार्य–व्यवस्था में अंग्रेजी का प्रयोग होता था। इससे पहले, मुगल काल में फारसी इस दायित्व को निभा रही थी। यानी फारसी राजभाषा थी। आजादी के बाद यह महसूस किया गया कि स्वाधीन भारत की अपनी राजभाषा होनी चाहिए, न कि अंग्रेजी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि प्रशासनिक कार्य–व्यवस्था में कामकाज, देश की अपनी भाषा में होना चाहिए। परिणामस्वरूप भारत के संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया और इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक में प्रावधान किए गए। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ हिंदी सरकारी कामकाज की भाषा, अर्थात 'राजभाषा' बन गई। इसके अलावा, हिंदी भाषी राज्यों में भी यह राज्य सरकारों की भाषा बनी।

लेकिन, आजाद भारत में सरकारी कार्यालयों में कामकाज में अंग्रेजी शासन व्यवस्था वाली कार्य–पद्धति को ही अपनाया गया। अंग्रेजी कार्यालयी पद्धति को हिंदी भाषा के माध्यम से लागू करने के लिए अनुवाद का सहारा लिया गया। संपूर्ण कार्यविधि साहित्य को हिंदी माध्यम में अनूदित करने के लिए हिंदी में प्रशासनिक शब्दावली का निर्माण किया गया। इसके साथ–साथ अनुवाद कार्य को गति प्रदान की गई। इस तरह, कार्यालयी भाषा हिंदी को विकसित करने में अनुवाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और 343(2) में अंग्रेजी भाषा का अगले पंद्रह वर्षों तक प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था की गई। यह भी व्यवस्था की गई कि इस अवधि (अर्थात 1965 से पहले भी) राष्ट्रपति, आदेश के द्वारा किसी भी काम के लिए अंग्रेजी के साथ–साथ हिंदी के प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं। वहीं साथ ही, संविधान द्वारा अनुच्छेद 343(3) के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह अधिनियम पारित करके 1965 के बाद भी किन्हीं प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कर सकती है। इस तरह के प्रावधानों का तात्पर्य यह था कि राजभाषा के रूप में हिंदी क्रमिक दायित्व ग्रहण करे और इसके साथ–साथ अंग्रेजी के यथावश्यक बने रहने का प्रावधान रहे।

यहाँ यह उल्लेख करना भी अनुचित न होगा कि सांविधानिक व्यवस्था के आलोक में 1963 में राजभाषा अधिनियम (यथासंशोधित 1967) के प्रावधानों के अनुसार संघ सरकार के कामकाज में भाषा के स्तर पर दो भाषाओं के प्रयोग अर्थात द्विभाषिकता की स्थिति बनी। इस अधिनियम के अनुसार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को शासकीय कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में करने की छूट दी गई। अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टों, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संविदाएँ, करार तथा टेंडर फार्म इत्यादि 14 प्रकार के शासकीय कागजात दो भाषाओं (अंग्रेजी–हिंदी) में प्रस्तुत करने की सांविधानिक व्यवस्था की गई। अधिनियम के अनुसार जब तक सभी हिंदीतर भाषी राज्य हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाने के लिए सहमत न हो जाएँ तब तक अंग्रेजी सरकारी काम–काज की सह–राजभाषा के रूप में चलती रहेगी। इसके अलावा, राजभाषा अधिनियम (संशोधित), 1967 के अनुसार जब तक सभी हिंदीतर भाषी राज्य हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाने के लिए सहमत न हो जाएँ तब तक अंग्रेजी सरकारी काम–काज की सह–राजभाषा के रूप में चलती रहेगी।

इसके अलावा, राजभाषा नियम, 1976 (यथासंशोधित 1987) में विभिन्न राज्यों के साथ केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले पत्र–व्यवहार की भाषा भी सुनिश्चित की गई। इसके अनुसार, भारत को भाषायी आधार पर तीन क्षेत्रों में बाँटा गया। क्षेत्र 'क' तथा 'ख' में स्थित राज्यों में हिंदी तथा क्षेत्र 'ग' में स्थित राज्यों में अंग्रेजी में पत्र–व्यवहार करने की व्यवस्था की गई। साथ ही, अधिसूचित राजभाषा नियम के अनुसार मैनुअल, संहिताएँ और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, फॉर्म, रजिस्टरों के शीर्षक, नाम–पट्ट, सूचना–पट्ट, पत्रशीर्ष तथा लेखन सामग्री की अन्य मदों आदि में हिंदी और अंग्रेज़ी, दोनों ही भाषाओं का प्रयोग जरूरी कर दिया गया। इस तरह, अनुवाद सरकारी कामकाज का एक अपरिहार्य अंग बन गया। द्विभाषिकता की इस स्थिति ने आज भी देश 'कार्यालयी अनुवाद' की आवश्यकता बना रखी है।

कार्यालयी अनुवाद की आवश्यकता को व्यावहारिक धरातल पर भी देखने की जरूरत है। प्रशासनिक कामकाज के स्तर पर देखा जाए तो इस प्रकार के पत्र–व्यवहार को मुख्य रूप से कोई सूचना माँगने, कोई निर्णय देने, कोई परामर्श माँगने अथवा देने या फिर किसी बारे में कार्रवाई के विषय में बताने के उद्देश्य से किया जाता है। वास्तविकता यह है कि इस प्रकार के विविध विषयों के संबंध में किए जाने वाले प्रशासनिक पत्र–व्यवहार की किसी भी प्रशासन–तंत्र

के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, आज प्रशासन के क्षेत्र में द्विभाषिकता की स्थिति है; हम प्रशासनिक कामकाज में द्विभाषिकता के दौर से गुजर रहे हैं। इस द्विभाषिकता के कारण प्रशासनिक कामकाज को दो भाषाओं में निपटाने की जरूरत होती है। आम तौर पर प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में इसके लिए व्यवस्था है। लेकिन, जिन सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक पत्र–व्यवहार के स्तर पर हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है और उनके द्वारा जब हिंदी–भाषी राज्यों से पत्र–व्यवहार करना होता है या फिर सूचनाएँ भेजी जानी होती हैं तो वे अनुवाद को ही जरिया बनाते हैं। ऐसी स्थिति में भी प्रशासनिक कार्य में अनुवाद करना अपेक्षित हो जाता है। इसके लिए, राजभाषा संबंधी सांविधानिक–वैधानिक व्यवस्था के चलते देश के ऐसे कई राज्य हैं, जिनके प्रशासनिक स्तर पर, कामकाज में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। स्वाभाविक है कि उनके सुचारू रूप से कार्य–संचालन में भी भाषा–व्यवहार के स्तर पर अनुवाद की जरूरत होती ही है। इसके अलावा, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को राजभाषा का ज्ञान न होने के कारण भी अनुवाद आवश्यक हो जाता है।

लेकिन, ध्यान देने की बात यह है कि किसी भी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था में अनुवाद की अनिवार्य रूप से उपस्थिति बनी होती है। उदाहरण के लिए, कनाडा और स्विटजरलैंड जैसे देशों में प्रशासन के क्षेत्र में द्विभाषिकता की स्थिति है और इसे बनाए रखने के लिए अनुवाद का सहारा लिया जाता है। कनाडा में दो राजभाषाएँ हैं – अंग्रेज़ी; और फ्रांसीसी। वहाँ के प्रशासनिक कामकाज में, रिपोर्टों–विज्ञप्तियों आदि में इन दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार, स्विटज़रलैंड में वहाँ के कामकाज की भाषा एक न होकर चार हैं।

इसके अलावा, अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की ही बात करें तो वहाँ के कामकाज में भी अनुवाद एक सशक्त माध्यम के रूप व्यवहृत होता नज़र आता है। संयुक्त राष्ट्र की अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चीनी, अरबी, स्पेनिश और रूसी – छह अधिकृत भाषाएँ हैं। अर्थात अनेक भाषाओं के जरिए किया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र का कामकाज अनुवाद के जरिए ही संभव हो पाता है। वैसे भी, अक्सर विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडल एक–दूसरे के देश में दौरा करते रहते हैं। वे औपचारिक रूप में अपने विचार अपनी भाषा में रखते हैं या फिर विचार–विमर्श के दौरान जब वे अपनी–अपनी भाषाओं को व्यवहार में लाते हैं तो उनके बीच अनुवाद संप्रेषण सेतु निर्मित करने का काम करता है।

इसके अलावा, विभिन्न देशों के बीच आपसी समझौते–संधियाँ हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ–समझौते और करार आदि, उनमें अनुवाद सार्थक सशस्त्र की भूमिका निभाता है। अगर उन देशों के कामकाज की भाषा एक नहीं है तो उन संधियों–करारों आदि के पाठ दोनों देशों की भाषाओं में तैयार किए जाते हैं। इसका मूल कारण यह होता है कि लगभग सभी देश यह चाहते हैं कि उनके बीच होने वाली संधियों–समझौतों आदि का एक पाठ उनकी अपनी भाषा में भी हो।

प्रशासनिक अनुवाद के सामान्य आयाम

प्रशासनिक पत्राचार कई प्रकार का होता है, सभी का अपना–अपना एक निश्चित प्रारूप होता है और प्रत्येक पत्राचार को किसी विशिष्ट प्रयोजन से व्यवहार में लाया जाता है। इनके अनुवाद पर विचार करने पर हम कुछ ऐसे सामान्य पक्ष पाते हैं, जिनका अनुवादक को ध्यान रखना जरूरी होता है। ये हैं :

प्रारूप (फॉर्मेट) : प्रशासनिक पत्राचार के प्रत्येक प्रकार का प्रारूप स्वयं में विशिष्ट होता है। अनुवादक को प्रशासनिक पत्राचार के प्रत्येक प्रकार के प्रारूप (फॉर्मेट) को जानना–समझना जरूरी होता है। जब वह उनका अनुवाद करे तो उसे मूल पत्राचार के ढाँचे में तो कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका अभिप्राय यह है कि पत्राचार के किसी भी रूप का ढाँचा लक्ष्य भाषा में भी मूल के समान ही बना रहेगा, केवल उसकी भाषा बदल जाएगी। अनुवादक को पत्राचार मूल के प्रारूप (फॉर्मेट) का केवल अनुकरण करना होता है।

प्रशासनिक भाषा और प्रक्रिया की समझ : अनुवादक की प्रशासनिक साहित्य के अनुवाद में अभिरुचि और तत्परता से वह इस कला में पारंगत हो सकता है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि अनुवादक में प्रशासनिक भाषा की समझ किस प्रकार विकसित हो? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि जब अनुवादक प्रशासनिक कार्यों से संबद्ध लोगों द्वारा तैयार किए गए प्रशासनिक पत्राचार को लगन और निष्ठा से अनूदित करता है तो उसे प्रशासन की भाषा और प्रशासनिक साहित्य के प्रारूप का बोध हो जाता है। यह वह भाषा होती है जिसे कार्यालयों में दैनिक कामकाज करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अनुवादक, प्रशासनिक अनुवाद कार्य करने के दौरान या फिर प्रशासनिक कार्यों से जुड़े लोगों द्वारा तैयार किए गए प्रशासनिक साहित्य को पढ़ते–पढ़ते प्रशासनिक भाषा और शैली संबंधी उसकी समझ विकसित हो जाती है और धीरे–धीरे वह उसमें पारंगत हो जाता है।

विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक पत्राचारों एवं

कार्यविधि साहित्य की भाषा और उसकी शैलीपरक विशिष्टता को समझे बिना किसी भी अनुवादक के द्वारा अनुवाद कौशल अर्जित करना और उसमें पारंगत हो पाना संभव नहीं है। बल्कि यह कहा जा सकता है कि प्रशासनिक साहित्य के अनुवादक को सामान्य ज्ञान के साथ प्रशासनिक प्रक्रिया की पूरी–पूरी जानकारी होनी चाहिए; उसे सरकारी कार्यालयों के निश्चित पद–अनुक्रम और प्रशासनिक भाषा की विभिन्न प्रयुक्तियों, शब्दावली, वाक्य–विन्यास एवं अन्य विशिष्टताओं का भी अपेक्षित ज्ञान होना चाहिए।

प्रशासनिक पत्र–व्यवहार की भाषा स्वयं में विशिष्ट होती है, वह सामान्य बोलचाल की भाषा से भिन्न होती है। व्यक्तिगत स्तर पर देखें, तो एक ही अभिव्यक्ति के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार के वाक्यों का प्रयोग कर सकता है। लेकिन, कार्यालयी भाषा में ऐसा नहीं होता। प्रशासनिक पत्राचार की भाषा कुछ निश्चित परंपराओं से नियंत्रित रहते हुए और सामान्य भाषा से भिन्न अपना विशिष्ट अस्तित्व बना देती है। शब्दावली और वाक्य रचना के स्तर पर प्रशासनिक पत्राचार विशिष्ट स्वरूप वाला होता है। इसके अलावा, इसमें प्रशासनिक प्रयुक्तियों का भी विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इस तरह, शब्दावली, प्रयुक्तियों और वाक्य रचना जैसे उपादान प्रशासनिक पत्राचार को विशिष्ट बना देते हैं। अनुवादक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस विशिष्टता को अनूदित पाठ में बनाए रखें।

प्रशासनिक शब्दावली का संदर्भ : पत्राचार में जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, वह सरकार द्वारा निर्धारित प्रशासनिक शब्दावली होती है। प्रशासनिक पत्र–व्यवहार में हिंदी शब्दावली का तो प्रयोग किया ही जाता है, साथ ही उर्दू और अंग्रेजी के सरल और संकर शब्दों का प्रयोग भी सहज रूप से देखा जा सकता है। अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश आदि विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक पत्राचार के अनुवाद में आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त शब्दकोशों और शब्दावलियों को देखना चाहिए। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण में अधिकारिता रखने वाले भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित 'वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग' ने 'प्रशासनिक शब्दावली' (Glossary of Administrative Terms) प्रकाशित की है। अंग्रेजी और हिंदी प्रशासनिक शब्दों का उपयुक्त पर्याय चुनने में यह बहुत ही उपयोगी शब्दावली है।

प्रशासनिक प्रयुक्तियों का परिप्रेक्ष्य : 'वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग' द्वारा प्रकाशित 'प्रशासनिक शब्दावली' में (1) प्रशासनिक शब्दावली (2) वाक्यांश और अभिव्यक्तियाँ (3) पदनाम (4) विभागीय नाम एवं (5) उपाधियाँ और डिप्लोमा आदि से संबंधित पाँच खंड हैं। शब्दावली के पहले खंड में प्रशासन में प्रयुक्त होने वाले मूलभूत शब्द एवं उनके पर्यायों के रूप में प्रशासनिक शब्दावली दी हुई है। शब्दावली के दूसरे खंड में प्रशासनिक पत्राचार में प्रयुक्त होने वाले मानक वाक्यांश और अभिव्यक्तियाँ संकलित हैं तो तीसरे खंड में प्रशासनिक पदों के नाम अर्थात 'पदनाम' और उनके पर्याय दिए हुए हैं। वहीं, 'विभागीय नाम' शीर्षक चौथे खंड में प्रशासन से संबंधित विभिन्न विभागों आदि के नाम और उनके पर्याय है। और अंत में 'उपाधियाँ और डिप्लोमा' तथा उनके पर्यायों को सूचीबद्ध किया हुआ है। प्रशासनिक शब्दावली में शामिल ये सभी खंड 'प्रशासन की भाषा प्रयुक्ति' के अंग हैं। अनुवादक को आवश्यकता के अनुसार इनका भरपूर उपयोग करना चाहिए।

प्रशासनिक कामकाज में भाषा प्रयुक्ति के रूप में इस शब्दावली को व्यवहार में लाने की सामान्य प्रवृत्ति रहती है। प्रशासन में इनके प्रयोग की परंपरा का अपना महत्व होता है और अनुवादक को इस प्रवृत्ति अथवा परंपरा का निर्वाह करना होता है। इसलिए प्रशासनिक कामकाज में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली, वाक्यांशों–अभिव्यक्तियों, पदनामों, विभागीय नामों और उनके पर्याय के संग्रह के रूप में इस 'प्रशासनिक शब्दावली' का अनुवादकों के लिए बहुत महत्व है। प्रशासनिक अनुवाद में आयोग की यह शब्दावली एक सार्थक उपयोगी साधन का काम करती है। इसके प्रयोग से अनुवादक में प्रशासनिक भाषा के संदर्भ में समझ विकसित होती है। अगर हम विभागीय नामों के संदर्भ में ही देखें तो उनके मानक रूपों से बेहतर अनुवाद संभव हो पाता है। जैसे, 'Ministry of Home Affairs' का हिंदी नाम 'गृह मंत्रालय' है, न कि 'गृह कार्य मंत्रालय'। इसी प्रकार, 'Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution' का हिंदी अनुवाद 'उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय', और 'Ministry of Corporate Affairs' का 'कारपोरेट कार्य मंत्रालय' है। अगर अनुवादक प्रशासनिक शब्दावली से इनका मानक हिंदी रूप न देखे तो वह गलत अनुवाद कर सकता है। जैसे, उपर्युक्त उदाहरणों में आए 'Affairs' शब्द के लिए एक ही शब्द (जैसे, 'मामले') को प्रयुक्त कर सकता है। ऐसे

में उसका अनुवाद गलत हो सकता है। इसलिए, प्रशासनिक शब्दावली आदि का अनुवाद 'प्रशासनिक शब्दावली' देखकर ही किया जाना चाहिए।

प्रशासनिक कार्यों में भाषा व्यवहार के स्तर पर और विशेष तौर पर अनुवाद के संदर्भ में शब्द की उपयुक्तता–अनुपयुक्तता का ध्यान रखना होता है। प्रशासनिक भाषा में दैनिक जीवन–व्यवहार में प्रयुक्त किए जाने वाले सामान्य प्रकृति के शब्दों–पर्यायों का प्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी के 'dead' शब्द को देखा जा सकता है, जिसके लिए आम तौर पर 'स्वर्गीय', 'मृत', 'दिवंगत', 'स्वर्गवासी', 'गोलोकवासी', 'परलोकवासी' आदि पर्यायों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन, प्रशासनिक पत्र–व्यवहार में 'dead' के लिए सदैव 'मृत' शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, जोकि भाषा के संदर्भ में शब्द का औपचारिक प्रयोग भी है। इस तरह कहा जा सकता है कि हालाँकि 'dead' के लिए 'मृत' पर्याय के अलावा किसी अन्य पर्याय का प्रयोग करना गलत नहीं है, किंतु प्रशासनिक पत्र–व्यवहार में अन्य पर्याय प्रयोग अनुपयुक्त नहीं माने जाते हैं।

वाक्य-रचना का परिप्रेक्ष्य : अनुवादक को मूल अंग्रेजी पाठ का अर्थ समझ लेने के बाद अनुवाद की भाषा 'हिंदी' की प्रकृति के अनुसार उसे सही ढंग से व्यक्त करना जरूरी होता है। यानी अनूदित पाठ की वाक्य रचना त्रुटिपूर्ण नहीं होनी चाहिए। शब्दकोष और पारिभाषिक शब्दावली आदि की सहायता से शब्द की जगह शब्द रखकर हिंदी अनुवाद करने पर अनूदित वाक्य मूल की नकल बनकर रह जाते हैं।

अंग्रेजी और हिंदी की वाक्य रचना में व्याकरणिक स्तर पर भिन्नता व्याप्त है। जैसे, हिंदी भाषा में कर्ता, कर्म और क्रिया के क्रम में वाक्य रचना की जाती है तो अंग्रेजी में Subject (कर्ता), Verb (क्रिया) और Object (कर्म) के अनुसार। अगर हम इस भिन्नता को ध्यान में रखकर न चलें तो अनुवाद अंग्रेजी की वाक्य रचना के ढर्रे पर हो सकता है। ऐसा करके हिंदी वाक्य निर्मित करने पर भाषा में कृत्रिमता आ जाती है। जैसे 'All Schools of Studies have to process the applications in terms of existing norms and dispose of the same within stipulated period.' का अनुवाद 'अध्ययन की सभी विद्यापीठों को चाहिए कि वे वर्तमान मानदंडों की शर्तों के अनुसार आवेदन को संसाधित करें और निपटान करें निर्धारित समय–सीमा के भीतर।' जबकि इसका सहज अनुवाद होता – 'सभी अध्ययन विद्यापीठ आवेदन–पत्रों पर मौजूदा मानदंडों के अनुसार कार्रवाई करें और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाएँ।'

वाक्यों में 'कर्मवाच्य' (passive voice) का प्रयोग अंग्रेजी भाषा का मूल स्वभाव है, जबकि आम बोलचाल की हिंदी भाषा का मूल स्वभाव कर्तृवाच्य (active voice) प्रधान है। प्रशासनिक पत्राचार में प्रयुक्त अंग्रेजी भाषा में कर्मवाच्य की प्रधानता होती है। जैसे, कर्तृवाच्य 'Please treat it urgent.' के स्थान पर उसे कर्मवाच्य बनाते हुए 'This may please be treated as urgent.' लिखना। इस कर्मवाच्यता का प्रभाव हिंदी में भी नजर आता है क्योंकि आम तौर पर देखने में यह आता है कि मूल मसौदा तो अंग्रेजी में तैयार किया जाता है और फिर उसका हिंदी अनुवाद किया जाता है। उदाहरण के लिए, 'The funds for this project will be arranged by the Ministry.' वाक्य का अनुवाद 'इस परियोजना के लिए निधि की व्यवस्था मंत्रालय के द्वारा की जाएगी।' कर देना। इससे हिंदी भाषा की प्रकृति में विकृति आ रही है। अनुवादक को हिंदी की प्रकृति के अनुकूल अनुवाद करना चाहिए ताकि अनूदित पाठ में वाक्य रचना अटपटी न लगे। जैसे, 'All the papers have been checked by the Finance & Accounts Division of the University.' कर्मवाच्य का हिंदी अनुवाद 'विश्वविद्यालय के वित्त एवं प्रभाग ने सारे कागजातों की जाँच कर ली है।' कर्तृवाच्य के रूप में कर देना चाहिए।

सीधी–सरल और सहज भाषा, प्रशासनिक भाषा की अपेक्षा होती है। अनुवाद की भाषा भी इसी प्रकार की होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, 'The agriculture sector witnessed landmark policy changes.' वाक्य का अनुवाद 'कृषि क्षेत्र में बहुत बड़े नीति परिवर्तन हुए।' करना, न कि 'कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण नीति परिवर्तनों का साक्षी रहा है।' कर देना। अक्सर यह देखा जाता है कि अंग्रेजी में लंबे वाक्य लिखने की प्रवृत्ति नजर आती है। उसमें वाक्य–उपवाक्यों को आपस में जोड़कर लिख दिया जाता है। लेकिन अनुवाद करते समय अनुवादक के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह अंग्रेजी की वाक्य–संरचना का अनुसरण करते हुए अनूदित पाठ को लंबे–लंबे वाक्य में ही प्रस्तुत कर दे। उसे हिंदी की सरल शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग करना चाहिए तथा हिंदी की वाक्य–संरचना के अनुसार सरल से सरल वाक्य बनाने चाहिए ताकि वे सार्थक प्रतीत हों। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी का निम्नलिखित जटिल वाक्य और उसका संक्षिप्त एवं सार्थक वाक्य रचना वाला हिंदी अनुवाद देखिए :

मूल : 'The Government of India, in accordance with its recently adopted policy of liberalising the visa rules, has decided to grant multiple entry visas with five year validity to all people of Indian origin, irrespective of their nationality.'

अनुवाद : 'भारत सरकार ने हाल ही यह नीति अपनाई है कि वीजा नियमों में ढील दी जाए। इसी नीति के अनुसार यह निर्णय किया गया है कि भारतीय मूल के सभी लोगों को बहु–प्रवेश वीजा दे दिया जाए – भले ही उनकी राष्ट्रीयता कोई भी हो। यह वीजा पाँच साल तक के लिए मान्य रहेगा।'

अंग्रेजी में संक्षिप्ताक्षरों (abbreviations) का चलन बहुत अधिक है। प्रशासनिक पत्राचार में भी इनका खूब प्रयोग होते हुए देखा जाता है। पत्र पर लिखी जाने वाली संख्या, विभागीय नामों, पदनामों और अन्य प्रशासनिक संदर्भों–कार्यों के लिए इसी प्रकार के संक्षिप्त प्रयोग देखे जाते हैं। उदाहरण के लिए, MWRD (Ministry of Water Resource Development), (Student Registration Division), Est.Sec. (Establishment Section), DD {CC} (Deputy Director {Correspondence Courses}) FR (Fundamental Rules) आदि। लेकिन अंग्रेजी के इस प्रकार के संक्षिप्त रूपों का हिंदी में अनुवाद करते समय कठिनाई होती है। यदि अंग्रेजी में लिखे संक्षिप्ताक्षर को हिंदी में लिप्यंतरित रूप दे दिया जाए तो वह उसके हिंदी में पूरे सामान्य रूप के अनुवाद के साथ मेल नहीं खाता है और यदि अनूदित हिंदी शब्दों के सामान्य रूप के आधार पर संक्षिप्ताक्षर बनाया जाए तो वह इतना प्रचलित नहीं होता है क्योंकि अंग्रेजी का संक्षिप्ताक्षर पहले से ही प्रचलित होता है।

यदि पत्राचार में औपचारिक संबोधन के रूप में 'Sir/Dear Sir' शब्द लिखा है तो उसका अनुवाद 'महोदय/प्रिय महोदय' करना चाहिए, न कि 'श्रीमान', 'महाशय' आदि। इसी प्रकार 'Madam' के लिए 'महोदया' ही लिखा जाएगा।

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, प्रारूप का अनुकरण करते हुए अनुवादक को पत्राचार के मुख्य भाग का अनुवाद करते समय मूल के क्रम का निर्वाह करना चाहिए। मुख्य भाग के शुरू में 'In reply to your letter....', 'I am directed to say...', 'With reference to your communication....', 'Please refer to our letter No.....' आदि जैसी कुछ मानक अभिव्यक्तियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। अनुवादक को इनका स्वयं अनुवाद करने के स्थान पर भारत सरकार की प्रशासनिक शब्दावली में दिए गए इनके मानक हिंदी रूप को व्यवहार में लाना चाहिए।

मुख्य विषय–वस्तु के बाद यदि 'with regards' जैसे शब्द को प्रयुक्त किया है तो अनुवादक को उसके लिए हिंदी शब्द 'सादर' का प्रयोग करना होता है।

इसी प्रकार, पत्राचार के अंत में यदि समापन वाक्य के रूप में 'yours faithfully' लिखा हुआ है तो हस्ताक्षर करने वाले के जेंडर को ध्यान में रखते हुए उसका हिंदी अनुवाद 'भवदीय/भवदीया' किया जाएगा। और 'yours sincerely' के लिए 'आपका/भवदीय' तथा 'yours truly' के लिए 'आपका/भवदीया' लिखा जाएगा। यहाँ आपने यह ध्यान रखना होगा कि किसी महिला के संदर्भ में 'yours truely' के लिए 'आपकी' नहीं लिखा जाएगा; इसके स्थान पर 'भवदीया' ही लिखा जाएगा।

संख्याओं का संदर्भ : प्रशासनिक सामग्री में प्रयुक्त संख्याओं को अनूदित पाठ में प्रस्तुत करते समय अनुवादक को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रेस विज्ञप्ति आदि प्रशासनिक पत्राचार हो या फिर वार्षिक लेखे, वार्षिक रिपोर्टों आदि में उल्लिखित संख्याओं को हिंदी में प्रस्तुत करते समय यह ध्यान दिया जाए कि दोनों में समानता है अथवा नहीं। इस संदर्भ में अंग्रेजी के 'million' में दर्शाई गई संख्या के बारे में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अनुवादक अंग्रेजी के 'million' शब्द के लिए हिंदी में 'दस लाख' शब्द प्रयुक्त कर देता है, जोकि 'one million' के संदर्भ में तो उपयुक्त हो जाता है, लेकिन उससे अधिक के लिए नहीं। जैसे, मूल में '5.75 million' लिखा है तो हिंदी में '5 करोड़ 75 लाख' लिखा जाएगा।

इसी प्रकार, अंग्रेजी के 'billion' शब्द को देखा जा सकता है। इसके लिए देश–काल के संदर्भ को भी ध्यान में रखना होता है। जैसे ब्रिटिश अर्थ में 'billion' शब्द का अर्थ है – 'एक अरब', लेकिन अमेरिका और फ्रांस के संदर्भ में यही शब्द 'दस खरब' होता है।

प्रशासनिक पत्राचार से संबंधित सामग्री का अनुवाद करते समय अनुवादक से कई ऐसी व्यावहारिक भूलें हो जाती हैं जिनकी ओर यदि अनुवादक ध्यान न दे तो अनूदित पाठ में अनुवाद में अर्थ का अनर्थ तक हो जाता है। प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद करते समय अक्सर स्रोत और लक्ष्य भाषा की प्रकृति का ध्यान नहीं रखने के कारण

गलतियाँ भी हो जाती हैं। उनके शब्द एवं अर्थ बोध संबंधी भूलों से बचना चाहिए। जैसे, अंग्रेजी के 'address' शब्द 'पता' का पर्याय है लेकिन 'addressed to..' के लिए हम जगह 'पता/....को संबोधित' के स्थान पर 'को प्रेषित' लिखना ठीक है। वहीं, 'This letter is addressed to Mr....' वाक्य में 'addressed to..' 'संबोधित' अर्थ का व्यंजक है। लेकिन, संसद में राष्ट्रपति 'अभिभाषण' देते हैं, न कि 'संबोधित' करते हैं। प्रत्येक भाषा के अपने मुहावरे होते हैं, अपना व्याकरण होता है। दोनों भाषाओं के इन पक्षों को भली प्रकार से समझकर ही अच्छा अनुवाद संभव हो पाता है। शब्दों की अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति की पहचान भाषा के सार्थक व्यवहार का आधार बनती है, उन्हीं के आलोक में शब्दों के अर्थ और प्रतिशब्द प्रयोग की समझ अनुवादक में होनी चाहिए। अनुवादक में प्रशासनिक प्रक्रिया की जानकारी के अभाव में 'retirement of bills' का अनुवाद 'बिलों का भुगतान' के स्थान पर 'बिलों की सेवानिवृत्ति' किया जा सकता है। अनुवादक को लेखक के भाव की भली प्रकार से समझकर सरल–सुबोध एवं मानक भाषा में अनुवाद करना चाहिए।

'प्रशासनिक अनुवाद' को अनुवाद का वह प्रमुख क्षेत्र माना जाता है, जहाँ अनुवादकों की बड़ी भारी माँग है। प्रशासन के क्षेत्र में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पत्राचार को 'प्रशासनिक पत्राचार', 'प्रशासकीय पत्राचार', 'कार्यालयी पत्राचार', 'कार्यालयीन पत्राचार' या फिर 'प्रशासनिक साहित्य', 'कार्यालयी साहित्य' और 'सरकारी साहित्य' आदि नामों से जाना जाता है। ये मूलतः एक ही अवधारणा को व्यक्त करने वाले पर्याय हैं। प्रशासनिक प्रयोजन और उन्हें सिद्ध करने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पत्राचार व्यवहार में लाए जाते हैं। इनमें प्रयुक्त भाषा, मानक रूप वाली होनी चाहिए। भाषा के इस मानक रूप का बोध–ज्ञान हमें प्रशासनिक साहित्य, शब्दावली और कोषों के अध्ययन से प्राप्त हो सकता है।

प्रशासनिक पत्राचार को सरकारी वर्ग, विज्ञप्ति वर्ग; और द्रुत वर्ग के पत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें से 'सरकारी वर्ग के पत्रों' के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले 'शासनादेश', 'सरकारी पत्र', 'अर्ध–सरकारी पत्र', 'गैर–सरकारी/अशासकीय पत्र' अथवा 'अनौपचारिक टिप्पणी', 'पृष्ठांकन'; और 'अनुस्मारक' वे हैं, जो मोटे तौर पर किसी अन्य पत्राचार पर आधारित होते हैं। वहीं, विज्ञप्ति वर्ग के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले परिपत्र, ज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, अधिसूचना, संकल्प आदि सरकारी निर्णयों की जानकारी देने वाला वे पत्राचार हैं, जिन्हें प्रकाशित करने के लिए तैयार किया जाता है। वहीं, तीसरे अर्थात 'द्रुत वर्ग' के अंतर्गत शामिल किए जाने पत्राचार को शीघ्र कार्रवाई कराने के उद्देश्य से व्यवहार में लाया जाता है।

प्रत्येक प्रकार के पत्राचार का रचना–रूप विशिष्ट होता है। अनुवादक को मूल के प्रारूप (फॉर्मेट) को अनुवाद में भी प्रस्तुत करना होता है। अनुवादक को प्रशासनिक भाषा और प्रक्रिया के साथ–साथ भाषा की शैलीपरक समझ होनी चाहिए। उसे आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त शब्दकोषों और शब्दावलियों को देखना चाहिए। उसे 'वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग' द्वारा प्रकाशित 'प्रशासनिक शब्दावली' (Glossary of Administrative Terms) प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा, मानक प्रशासनिक प्रयुक्तियाँ आदि का प्रयोग भी अपेक्षित होता है।

कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि व्यावहारिक धरातल पर देखा जाए तो सांविधानिक और वैधानिक व्यवस्थाओं के आलोक में प्रशासनिक अनुवाद की आवश्यकता बनी हुई है। जब तक सभी हिंदीतर भाषी राज्य हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाने के लिए सहमत नहीं हो जाते, तब तक प्रशासन में द्विभाषिकता की स्थिति बनी रहेगी और अंग्रेजी सरकारी काम–काज की सह–राजभाषा के रूप में चलती रहेगी। इसलिए प्रशासनिक अनुवाद के कुछ सामान्य पक्षों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि बेहतर गुणवत्ता वाले अनुवाद कर्म से अनुवाद की स्थिति में सुधार लाया जा सके, जिससे अंततः प्रशासन में राजभाषा हिंदी में मौलिक लेखन को बढ़ावा मिलेगा।

अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ
ब्लॉक–15 सी, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त
विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी
नई दिल्ली–110 068

हिंदी का मीडिया और मीडिया का हिंदी

डॉ. धनंजय चोपड़ा

समय बदल रहा है तो समय के साथ–साथ मीडिया भी बदल रहा है। मीडिया के मायने बदल रहे हैं और मीडिया साक्षारता के दायरे भी। आभासी दुनिया में लोगों की बढ़ती पैठ ने तो मीडिया के साथ–साथ मीडिया के प्रति लोगों की सोच को इस तरह बदल दिया है कि मीडिया के नए–नए मायने तलाशने पड़ रहे हैं। 'नागरिक पत्रकारिता' उफान पर है तो वैकल्पिक मीडिया के रूप में सोशल नेटवर्किंग और ब्लॉगिंग ने तहलका मचा रखा है। ऐसे में जो सबसे अधिक दबाब में है, वह है मीडिया की भाषा। शब्दों को सहेजने और पीढ़ियों तक पहुँचाने का उपक्रम ठप है और पूरा मीडिया 'शब्द संकोच' का शिकार है। भाषा को लेकर नए–नए प्रयोग हो रहे हैं और क्रियोलीकरण, भाषायी सरोकार को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। साहित्य को हाशिए पर ढकेल कर मीडिया आगे बढ़ जाने की जुगत में है और भाषा का प्रश्न ओझल है।

नए समय, नए मीडिया और नई होती भाषा के बरक्स हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रारम्भ से ही पत्रकारिता के पास एक बड़ा जिम्मा भाषा के विकास और उसके प्रचार–प्रसार का रहा है। पत्रकारिता के पास ही लोगों का शब्दों से रिश्ते बनाने और नए–नए शब्दों से परिचित कराने का जिम्मा भी है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पत्रकारिता ने ही भाषा को जन–सरोकारी स्वरूप देने का काम किया है और करती आ रही है। सच यह भी है कि हमारे पूर्वज पत्रकारों ने भाषा से जुड़ी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आजादी मिलने के बाद जब विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभाग महज साहित्य पढ़ाकर निज भाषा की उन्नति की बाट जोह रहे थे और पूरे देश में लोगों ने शब्दों की अपनी–अपनी टकसाल खोलकर शाब्दिक अराजकता मचा रखी थी, तब पत्रकारिता ही थी, जिसने भाषा में एकरूपता लाने और उसे जन–जन तक पहुंचाने का सुगठित व सार्थक प्रयास किया। हम इस बात को भी झुठला नहीं सकते कि अपने भाषायी समाज को लिखने –बोलने की समरूप वर्तनी और शैली देने का काम पत्रकारिता ने ही किया है।

जहां तक हिन्दी के मीडिया की बात करते समय इस बात को ध्यान रखना होगा कि उसे हिन्दी भाषा का सरोकार साहित्य व साहित्यकारों से ही मिला है। इस सच से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हिन्दी पट्टी में मीडिया, साहित्य और भाषा की रिश्तेदारी बड़ी पुरानी है। रिश्तेदारी है तो खट्टे–मीठे सम्बन्धों का एक लम्बा इतिहास भी है। यह कहना कोई नई बात नहीं होगी कि तीनों का परस्पर साथ–साथ बने रहना मजबूरी है तो जरूरत भी इसी की है। यह अनायास नहीं था कि हिन्दी मीडिया ने अपना होश सम्भाला तो अपने को साहित्यकारों, साहित्यसुधियों और भाषा पर पकड़ रखने वालों के हाथों ही पलते–बढ़ते पाया। पुराने बड़े सम्पादकों की फेहरिस्त पर नजर डालें तो एक से बढ़कर एक धुरंधर साहित्यकार व भाषाविद अपनी मजबूत उपस्थिति के साथ हमारे सामने होते हैं। शायद यही वजह रही कि पत्रकारिता को जल्दी में लिखा गया साहित्य कह दिया गया। कुछ अर्थों में यह परिभाषा अपने को अभी तक चरितार्थ ही करती आयी है।

वास्तव में हिन्दी मीडिया ने अपने प्रारम्भिक दिनों में साहित्य और भाषा के मानकों की एक लक्ष्मण रेखा अपने लिए खींच ली थी। भले ही उन दिनों की पत्रकारिता के पास निर्धारित लक्ष्य थे, लेकिन उनमें निज भाषा और साहित्य के प्रति गर्व और निरंतर उन्नयन का भाव निहित होता था। आजादी मिलने तक और उसके बाद के कुछ वर्षों तक पत्रकारिता का जो स्वरूप हमारे साथ था उसमें हमें मीडिया, साहित्य और भाषा की पारस्परिक रिश्तेदारी की महक सहजता से मिल जाया करती थी। बाद के वर्षों में जैसे–जैसे 'मीडिया इण्डस्ट्री' नाम की 'चीज' विकसित होती गई और पूंजी लगाने और मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति संग–संग चली तो सब कुछ गड–मड सा होने लगा। यह कहने में कतई गुरेज नहीं करना चाहिये कि मीडिया, साहित्य और भाषा की पारस्परिक रिश्तेदारी का असल नमक तो बाजार चाट ले गया। और वह भी इतनी चतुराई से कि सुजान बनने का दावा करने वाले मीडिया, साहित्य और भाषा के अलम्बरदार गाल बजाते रह गये। कुछ तो बाजार के सुर में सुर मिलाने लगे और बचे–खुचे लोग स्यापा करते हुए साल के उस दिन के इंतजार में रहने लगे जब सीना पीट–पीट कर 'हाय–हाय' का गान कर अपनी अनुष्ठानिक उपस्थिति दर्ज करा सकें।

वैसे यह सब एकाएक तो हुआ नहीं कि बदलते जमाने की बदलती जरूरतों का हवाला देकर छुट्टी कर लिया जाये। और यह सब कुछ केवल अपने ही देश में नहीं हुआ, दुनिया के कई संभ्रांतों के बीच मीडिया, साहित्य और भाषा के रिश्तों के गडमडाने को लेकर बहसें चलीं और चलती आ रही हैं। मीडिया के विस्तार को पूंजी का साथ मिला तो वह पंख लगा के उड़ ली और उसने साहित्य और भाषा को इस उड़ान का साथी बनाने से इंकार कर दिया।

साहित्यकारों में डर बैठाया गया कि मीडिया तेजी से लोगों तक पहुंचकर साहित्य को 'जनता' के साथ रहने नहीं देगा। दिख भी यही रहा था। बाजार मीडिया के साथ हो लिया था। जाहिर है कि रिश्तेदारी में खटास आ रही थी। यह वही समय था जब संचार शास्त्री मार्शल मैक्लुहान ने अपनी पुस्तक 'अंडरस्टैण्डिंग मीडियाः द एक्सटेंशन ऑव मैन' में यह समझाने की कोशिश की कि 'अखबार, रेडियो, कम्प्यूटर, टेलीविजन, फिल्म आदि मीडिया के टूल्स मिलकर भी साहित्य का स्थान नहीं ले सकते। साहित्य एक ऐसा कालजयी माध्यम है, जिसका स्थानापन्न कोई अन्य माध्यम हो ही नहीं सकता।' मैकलुहान का यह कहना राहत देने में कामयाब हुआ, लेकिन बाजार के साथ उड़ान भर चुके मीडिया ने भारत जैसे कई विकासशील देशों में एक नई तरह की समस्या पैदा की और वह थी 'सरोकारी लेखन' में गिरावट। असल में भाषा और विषय चयन में बाजार की सेंधमारी ने स्थिति को कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया। उन दिनों के बड़े लेखक इसे बखूबी समझ रहे थे और चेतावनी व लताड़ की घुट्टी भी पिला रहे थे। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचन्द ने 1931 में 'हंस' पत्रिका में प्रकाशित अपने लेख 'साहित्य में समालोचना' में लिखा कि ''....जहां अच्छी चीजों की कद्र करने वाले और परखने वाले नहीं हैं, वहां नकली, घटिया, जटिल चीजें ही बाजार में आवें तो कोई आश्चर्य नहीं। ....वास्तव में हमारे यहां साहित्यिक जीवन का पता ही नहीं। ऊपर से नीचे तक मुर्दनी छाई हुई है।' साहित्य, भाषा और मीडिया में बराबरी का दखल रखने वाले मुंशी प्रेमचन्द जब यह बात कह रहे थे तब उनके दिमाग में वह 'बाजार' भी था, जिसकी दुहाई देकर सृजन की दुनिया में बहुत कुछ गड–मड सा किया जा चुका है।

मजेदार बात यह है कि मीडिया के अलम्बरदारों द्वारा यह मिथ आज भी गढ़ा जाता है कि कास्टिंग के हर सिस्टम द्वारा यानी अखबार, रेडियो, टेलीविजन और वेब वही सब कुछ दिखा–सुना–पढ़ा रहे हैं जो जनता देखना–सुनना–पढ़ना चाहती है। जबकि वास्तविकता तो कुछ और ही है। देखा जाये तो इन दिनों का मीडिया दो–तरफा अनुकूलन का व्यवसाय करता नजर आ रहा है। एक तरफ वह अपने उपभोगकर्ताओं को घेरकर यह समझााने की कोशिश करता है कि वह जो कुछ भाषा और साहित्य के नाम पर परोस रहा है, वही जायज और उसके लिए है और फिर जब उपभोगकर्ताओं की बड़ी फौज उसके साथ हो लेती है तो वह दावा करने लगता है कि वह तो वही परोस रहा है, जो उससे जुड़ी जनता ग्रहण करना चाहती हे। अनुकूलन के इस कारोबार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारी हदें पार कर चुका है।

वास्तव में भारतीय मीडिया परिवार में टेलीविजन ने साहित्य और भाषा को साथ लेकर चलने की कोशिश की, लेकिन बाजार के प्रवेश होते ही टेलीविजन चैनलों की बाढ़ सी आ गई और साहित्य तथा भाषा को हाशिये पर ढकेल कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आगे बढ़ता चला गया। याद कीजिए दूरदर्शन के वे प्रारम्भिक दिन जब 1982 के एशियाड के बाद भारत सरकार ने देश भर में लो पावर ट्रांसमीटरों का जाल सा बिछा दिया था। एक डिब्बे जैसी स्क्रीन वाली मशीन के सामने बैठे लोग अपनी भाषा और अपने समाज से जुड़े साहित्य से रू–ब–रू होने का आनंद उठाया करते थे। 'बुनियाद', 'तमस', 'मालगुड़ी डेज', 'निर्मला' जैसे साहित्य कृतियों पर आधारित धारावाहिक उन्हीं दिनों जनता को दिखाये गये। यह वही समय था जब जनता का सीधा जुड़ाव एक ऐसे माध्यम से हो रहा था, जो सीधे उसके कमरे में आ धमका था और उसकी भाषा में उसके सपनों, आकांक्षाओं और दुखों–सुखों की बात कर रहा था। साहित्य व भाषा का इस्तेमाल हुआ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का 'अनुकूलन' करने का लक्ष्य कामयाब हो गया है। जैसे ही भारतीय जन–मानस ने टीवी के साथ सोने–जागने का आदी हो जाने का अहसास इंतजार में खड़े बाजार को कराया वैसे ही वह पूंजी और मुनाफे का सरोकार लेकर मैदान में कूद गया। साहित्य और भाषा के सामने 'पब्लिक डिमाण्ड' नाम की 'चीज' लाकर खड़ी कर दी गई। बाजार चल पड़ा, चैनल आते गये और साहित्य व भाषा के पक्ष में खड़े लोग भी बढ़ते गये। लेकिन हुआ कुछ नहीं। ढाक के वही तीन पात।

इंटरनेट और मीडिया उपक्रमों से जुड़ी टेक्नोलॉजी के प्रसार ने भी भाषा पर दबाव बनाया है। सोशल नेटवर्किंग के बढ़ते साम्राज्य और ब्लॉगिंग की लोकप्रियता ने लोगों के समक्ष जैसे ही मीडिया का विकल्प होने का दावा किया वैसे ही हिन्दी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बात कहने, लिखने और सुनने–पढ़ने–देखने के इस 'व्यवसाय' में शामिल हो गया। परिणाम यह है कि आज 'नागरिक पत्रकारों' की एक लम्बी फौज तैयार हो गई है, जो भाषा का 'हथियार' बनाकर मैदान में है। ऐसे में यह कहना गलत न होगा कि हिन्दी को विस्तार मिला है और वह अधिक व्यापक हुई है, लेकिन जिस तरह से 'भाषायी हड़बड़ी और 'शाब्दिक अराजकता' मची है, वह हिन्दी समाज की अस्मिता को चुनौती ही है। दूसरी तरफ वर्षों से अपनी स्मृति परम्पराओं के सहारे आगे बढ़ रहा हिन्दी का प्रिंट मीडिया होड़, हड़बड़ी और हड़कम्प का शिकार हो गया है और भाषा के प्रश्न पर मौन होकर उसकी अनदेखी कर रहा है, जो हिन्दी की पीढ़ियों के लिए खतरनाक है। इस सच से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में पत्रकारिता और

उसकी भाषा, बदलती व्यवस्था, पूंजी, तकनीकी और राज्य संचालन के व्यवहार पर निर्भर रहेगी। जानकार मानते हैं कि भाषा के शास्त्रीकरण की जिद छोड़कर उसके मानवीकरण पर जोर देना चाहिए। हां, प्रयोग के नाम पर भाषायी अराजकता की छूट देना खतरनाक हो सकता है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भाषा डायनेमिक कल्चर यानी गतिशील संस्कृति का हिस्सा होती है। जैसे समय में ठहराव संभव नहीं है, ठीक उसी तरह भाषा में भी किसी तरह का ठहराव संभव नहीं है।

यह एक एतिहासिक तथ्य है कि हिन्दी को पत्रकारिता की भाषा बनाने की पहल हिन्दी पट्टी के किसी इलाके से नहीं, बल्कि अहिन्दी इलाके बंगाल से हुई थी। राजा राम मोहन राय हिन्दी को सम्पर्क भाषा बनाना चाहते थे और लोगों को हिन्दी में अखबार निकालने के लिए प्रेरित करते थे। कहा जाता है कि उन्हीं से ही प्रेरित होकर ही 1826 में पं0 जुगुल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तण्ड का प्रकाशन प्रारम्भ किया था। यह कहना गलत न होगा कि तब से ही हिन्दी समाचारपत्रों और पत्रिकाओं ने हिन्दी को जन–जन की भाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। हिन्दी पत्रकारिता के इस अभियान में न केवल कई महत्वपूर्ण पत्रकारों ने योगदान दिया है, बल्कि कई महत्वपूर्ण साहित्यकार भी शामिल रहे हैं। मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी, बाबूराव विष्णु पराड़कर, माखनलाल चतुर्वेदी, मुंशी प्रोमचन्द, सत्यदेव विद्यालंकार सहित कई ऐसे सम्पादक हुए हैं, जिन्होंने पत्रकारिता की हिन्दी की बनावट और मंजावट में अप्रतिम योगदान दिया है। आधुनिक समय में पत्रकारिता की हिन्दी की लेखन शैली को विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य 'दिनमान' के माध्यम से सचिदानन्द हीरानन्द वात्सायन 'अज्ञेय' तथा 'जनसत्ता' के माध्यम से प्रभाव जोशी ने किया, जिसे नकारा नहीं जा सकता।

बदलती दुनिया का बदलता समय लिखने, कहने, दिखने और सुनने के इतने अधिक ठीहे पैदा कर चुका है कि वर्तमान पीढ़ी अचम्भित है। रचना करने का इससे बेहतर समय इससे पहले कभी नहीं था। वैश्विक पटल पर हिन्दी भाषा में इतना अधिक कभी नहीं लिखा गया और न ही कभी पढ़ा गया। हिन्दी पट्टी के मध्य वर्गीय जन की बढ़ती संख्या के और उनकी बढ़ती क्रय शक्ति कारण बाजार की शक्तियां भी हिन्दी की गलबहियां करने को आतुर हैं। कहा जा सकता है कि हिन्दी पत्रकारिता के पास अपनी भाषा हिन्दी के प्रसार–विस्तार का इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता है। अतः भाषा की शुचिता, प्रवाह और सहजता को बनाए रखने और मांजने का गुरूतर दायित्व निभाना भी पत्रकारिता की ही जिम्मेदारी है।

(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेन्टर ऑफ मीडिया स्टडीज के पाठ्यक्रम समन्वयक हैं।)
मोबाइल : 09415235113

'भाषा' कि खुरदुरी जमीन
अक्सर छुपाए रहती है
अपने भीतर थोड़ी सी नमी
नवांकुर के लिए

'भाषा' जिसे बोलते
छिल जाते हैं होंठ
वह हमारी आत्मा के
दूषित जल को
पवित्र बना देती हैं

'भाषा' का सबसे सांद्र स्वर
आंखों की कोरों में छिपे
अव्यक्त जल के
समुद्र में होता है

'भाषा' छल की,
धोखे की अक्सर
मीठी और मखमली
होती है

–प्रभाकर सिंह

मैं उस भाषा का कवि हूँ

पिता के दफ्तर के पते पर
आती थी चिट्ठियाँ
नानी की भी
और दादी की भी

चिट्ठियाँ कैथी भाषा में लिखी होती थीं
पिता घर आते ही माँ से कहते
पढ़ो आड़ी तिरछी लकीरें

माँ कैथी प्ढ़ लेती थी
लेकिन लिख नहीं पाती थी

इतिहास में हम पढ़ते हैं कि
राष्ट्र की भाषा बनने के लिये
हिंदी का अंतिम मुकाबला
कैथी से ही था
जिसे परास्त कर उसने ख़ुद को
विजेता घोषित किया था

मैं हारी हुई भाषा में जन्मा
और जिसने उसे हराया
मैं उस भाषा का कवि हूँ।

–रंजीत वर्मा

भारत में मशीन अनुवाद का विकास

श्री आम्रपाल शेंदरे

भारत एक बहुभाषी देश हैं जिसमें 22 आधिकारिक भाषाएँ हैं। वल्ड एथ्नोलॉग के अनुसार भारत में 448 भाषाएँ बोली जाती हैं। पीपल लिंग्विस्टिक्स सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 780 भाषाएँ भारत में बोली जाती हैं। ऐसे में भारत में इतनी सारी भाषाएँ हैं, जिनको अनुवाद के माध्यम से आपस में जोड़ने की आवश्यकता है। यदि यह काम डिजिटली हो तो इन भाषाओं को और सुरक्षित किया जा सकता है। वैसे भारत में डिजिटल अनुवाद या मशीन अनुवाद की शुरुआत पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत बाद में हुई।

सन 1985 के आस–पास से भारत में मशीन अनुवाद की शुरुआत मानी जाती है। यानि भारत जैसे बहुभाषी देश के लिए यह कार्य पूर्णतः नया है। शायद यही वजह हो सकती है कि आज भी ऐसी बहुसंख्य भाषाएँ हैं जिनमें मशीन अनुवाद का कार्य नहीं हुआ है। बहरहाल, भारत में कम्प्यूटर का प्रयोग ही 1980 के दशक में हुआ इसीलिए हो सकता है यहाँ मशीन अनुवाद की संकल्पना भी बाद में आई हो। यदि मशीन अनुवाद के तीसरे और चौथे वैश्विक दौर को देखें तो लगभग यहीं से भारत में भी मशीन अनुवाद का कार्य शुरू हुआ। भारत में विकसित मशीन अनुवाद प्रणालियाँ और उन पर चल रहे कार्य को विस्तार से देखते हैं।

1. अनुसारका–1995–अनुसारका परियोजना की शुरुआत आई. आई. टी.कानपुर में हुई थी और बाद में यह आई. आई. आई. टी. हैदराबाद में स्थानांतरित किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय भाषाओं से भारतीय भाषाओं में अनुवाद का कार्य किया जाए। यह परियोजना भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के टी.डी.आई.एल. (Technology Development for Indian Languages & TDIL) विभाग और सत्यम कंप्यूटर प्रायवेट लिमिटेड के द्वारा वित्त पोषित था। इसमें स्रोत भाषा के रूप में तेलुगु, कन्नड़, मराठी, बांग्ला और पंजाबी से लक्ष्य भाषा हिंदी में अनुवाद की प्रक्रिया होती थी। यह प्रणाली सामान्य थी और मुख्य रूप से बच्चों की कहानियों का अनुवाद करती थी। इस प्रणाली का विकास सूचनाओं का संचय करने के लिए किया गया था। अनुसारका मशीन अनुवाद का मुख्य उद्देश्य मशीन अनुवाद का कार्य नहीं अपितु भारतीय भाषाओं तक पहुँचना है।

2. मंत्रा (MANTRA)– Machine Assisted Translation - सन 1999 में मंत्रा मशीन अनुवाद प्रणाली का विकास सी–डैक पुणे में किया गया। इसके विकास में मुख्य रूप से डॉ. हेमंत दरबारी और डॉ. महेंद्र कुमार, सी. पाण्डेय का योगदान है। इसका उपयोग भारत सरकार के राजभाषा विभाग के लिए किया जाता है, जो 'राजभाषा मंत्रा' नाम से अंग्रेजी से हिंदी मशीन अनुवाद प्रणाली है। इसमें सरकारी कामकाज, नियुक्तियां तथा तबादले, सरकारी आदेश और परिपत्रों के अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की व्यवस्था की गयी है। साथ ही कार्यालयी भाषा को हिंदी में अनूदित करने के लिए भी इसका प्रयोग हो रहा है। इसका प्रयोग भारत सरकार के राज्यसभा के लिए भी किया गया है।

इस मशीन अनुवाद प्रणाली में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा विकसित टैग (Tree Adjoining Grammar&TAG) और एलटैग (Lexicalize Tree Adjoining Grammar& LTAG) का प्रयोग कर अनुवाद का कार्य किया जाता है। इसके व्याकरण का स्वरुप विशेष रूप से कार्यालयी क्षेत्र के वाक्यों की संरचनाओं का विश्लेषण कर जेनरेट करने के लिए तैयार किया गया है। साथ ही क्षेत्र विशेष के अर्थों के आधार पर इसके शब्दकोष को निर्धारित किया गया है। फिलहाल यह प्रणाली अंग्रेजी, हिंदी के अलावा और भी भारतीय भाषाओं में अनुवाद करती है। जिनमें अंग्रेजी–बांग्ला, अंग्रेजी–तेलुगु, अंग्रेजी–गुजराती और हिंदी–अंग्रेजी शामिल है, साथ ही यह भारतीय भाषाओं से भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी–बांग्ला और हिंदी–मराठी में भी अनुवाद का कार्य करती है।

3. मैट (MAT-2002)–इस मशीन सहायक अनुवाद प्रणाली का विकास के. मूर्ति ने सन 2002 में किया। यह प्रणाली अंग्रेजी से कन्नड़ भाषा में अनुवाद का कार्य करती है। जो कन्नड़ भाषा के लिए रूपिमिक विश्लेषक और संस्लेशक का प्रयोग करती है। इसमें अंग्रेजी वाक्यों को पार्स करने के लिए यूनिवर्सल क्लाज स्ट्रक्चर ग्रामर (UCSG) का उपयोग किया गया है और द्विभाषिक कोष से क्लाज के रिलेशनशिप, उसके प्रकार और संख्या का प्रयोग करके उसे कन्नड़ भाषा के क्लाज के साथ मिलाकर आउटपुट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अनूदित किए हुए पाठ को एडिट करने के लिए पोस्ट एडिटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। मैट अनुवाद प्रणाली के पूरी तरह से स्वयंचलित अनुवाद की शुद्धता 40–60 प्रतिशत है। यह प्रणाली एक क्षेत्र विशेष सरकारी सर्कुलर का अनुवाद करती है।

4. शक्ति–(2003)–'शक्ति' मशीन अनुवाद प्रणाली का विकास आर. मूना, पी. रेड्डी, डी. एम. शर्मा और आर. संगल के संयुक्त प्रयासों का प्रतिफल है। यह अनुवाद प्रणाली

अंग्रेजी से किसी भी भारतीय भाषा में अनुवाद करती थी। इसमें नियम आधारित उपागम और सांख्यिकीय उपागम दोनों का प्रयोग किया गया था। इस प्रणाली में अलग–अलग तरह के 69 मॉड्यूल्स थे। जिसमें 9 मॉड्यूल्स को स्रोत भाषा (अंग्रेजी) का विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और 24 मॉड्यूल्स को द्विभाषिक कार्य करने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। बाकी मॉड्यूल्स का उपयोग लक्ष्य (भारतीय) भाषा को जेनरेट करने के लिए किया जाता था।

5. अंग्रेजी–तेलुगु मशीन अनुवाद प्रणाली–(2004)– अंग्रेजी–तेलुगु मशीन अनुवाद प्रणाली का विकास शिवाजी बंदोपाध्याय के नेतृत्व में हुआ। इस प्रणाली में अंग्रेजी–तेलुगु के 42000 शब्दों का समावेश किया गया है। यह प्रणाली अंग्रेजी भाषा के जटिल वाक्यों को बखूबी अनूदित करती थी।

6. मात्रा (MaTra) 2004– इस अनुवाद प्रणाली का विकास आर. अनन्तकृष्णन, एम. कविता, जे.जे. हेडगे, चंद्रशेखर, रितेश शाह, सावनी बड़े और एम. शशिकुमार के नेतृत्व में हुआ है। यह प्रणाली अंतरण उपागम का प्रयोग करती थी। एन.सी.एस.टी. मुंबई द्वारा समाचार, कथा–विवरणों के अंग्रेजी–हिंदी अनुवाद के लिए इस मशीन अनुवाद प्रणाली का विकास किया गया था। यह प्रणाली वाक्यों के अर्थपरक विश्लेषण पर आधारित है और कभी–कभी संदिग्धता को दूर करने के लिए स्वतः घोषित पद्धति (Heuristic Method) का भी प्रयोग करती है। यह प्रणाली मुख्य रूप से समाचार पत्र और तकनीकी लेखों का अनुवाद करती थी। इस प्रणाली में पाठ को अलग–अलग वर्गों में बाँटने के लिए पाठ वर्गीकरण (Text categorization) का इस्तेमाल किया जाता था, जो स्रोत भाषा के पाठ पर प्रक्रिया करने से पहले पाठ का वर्गीकरण करता था। जैसे समाचार के प्रकार (आर्थिक, राजकीय, आपराधिक आदि)। इस प्रणाली में अलग–अलग क्षेत्र के लिए अलग–अलग शब्दकोषों का प्रयोग किया जाता था, जैसे राजकीय, आर्थिक आदि। समाचार के प्रकार के आधार पर उसके लिए योग्य शब्दकोष का चयन किया जाता था। इस प्रणाली में अंग्रेजी के जटिल वाक्यों को बड़ी ही आसानी से सरल वाक्यों में बदल दिया जाता था। इन सामान्य वाक्यों का संश्लेषण कर आगे लक्ष्य भाषा हिंदी के वाक्य जेनरेट किए जाते थे।

7. पंजाबी से हिंदी मशीन अनुवाद प्रणाली–2007–2008–जी. एस. जोसन और जी. एस. लेहल, ने इस मशीन अनुवाद प्रणाली का विकास किया जो प्रत्यक्ष मशीन अनुवाद प्रणाली पर आधारित है। इसमें जिन मॉड्यूल्स का प्रयोग किया गया था, उनमें पूर्व–संसाधन, पंजाबी– हिंदी शब्दकोश का प्रयोग करके शब्द–से शब्द स्तर पर अनुवाद, रूपिमिक विश्लेषण, शब्द स्तर पर संदिग्धता निवारण (Word Sense Disambiguation), लिप्यंतरण और पश्चसंसाधन, इस प्रणाली से अनुवाद की शुद्धता 90.67 प्रतिशत थी। सन 2010 में इसी प्रणाली का संस्करण वेब आधारित किया गया है।

8. अंग्रेजी–कन्नड़ मशीन आधारित अनुवाद प्रणाली–(2009) के. नारायण मूर्ति ने अंग्रेजी–कन्नड़ मशीन अनुवाद प्रणाली का विकास किया। इस प्रणाली का विकास हैदराबाद विश्वविद्यालय में किया गया। यह प्रणाली अंतरण विधि पर आधारित थी और सरकारी सर्कुलर का अनुवाद करती थी। इसमें यूनिवर्सल क्लाज स्ट्रक्चर ग्रामर का प्रयोग किया गया था। यह प्रणाली कर्नाटक सरकार द्वारा वित्तपोषित थी।

9. संपर्क–भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रणाली–(2009) भारत के प्रसिद्ध 11 संस्थानों ने मिलकर भारतीय भाषा से भारतीय भाषाओं में अनुवाद (Indian language to Indian language machine translation) करने के लिए इस प्रणाली का विकास किया। यह प्रोग्राम भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभाग टी. डी.आई.एल. द्वारा वित्तपोषित था। इसमें पाणिनीयन कम्प्यूटेश्नल व्याकरण का प्रयोग कर भाषा का विश्लेषण किया जाता था और उसे मशीन लर्निंग के साथ जोड़ा जाता था। इन संस्थाओं ने 9 भारतीय भाषाओं के लिए टेक्नोलॉजी का विकास किया था जिससें 18 भाषा के युग्मो में अनुवाद का कार्य होता था।

10. आंग्लभारती (ANGLABHARTI-1991) – आई. आई. टी. कानपुर ने इस मशीन अनुवाद प्रणाली का विकास किया है। जिसमें प्रो. आर. एम. के. सिन्हा का महत्त्वपूर्ण योगदान है। यह प्रणाली स्वास्थ्य सेवाओं में प्रयोग की जाने वाली भाषा का अनुवाद करती है। इसमें उदाहरण–आधारित अनुवाद प्रणाली का उपयोग किया गया है। इस प्रणाली का वेब संस्करण भी उपलब्ध है।

यह अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में अनुवाद का कार्य करती थी। इसमें स्यूडो–अंतराभाषा उपागम का प्रयोग किया गया है। अंतराभाषा की वजह से अंग्रेजी से एक से अधिक भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना आसान हो गया है और अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए प्रत्येक भाषा के लिए अलग से अनुवाद प्रणाली का विकास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्यूडो अंतराभाषा के नियम सभी भाषाओं के लिए लागू होते हैं। इसमें अंग्रेजी भाषा (स्रोत

भाषा) का एक बार ही विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद उसे प्रत्येक भारतीय भाषाओं के लिए स्यूडो मध्यवर्ती नियमों (Pseudo Lingua for Indian Languages-PLIL) के द्वारा एक संरचना तैयार की जाती है। बाद में पी.एल.आई.एल. उन संरचनाओं को भारतीय भाषाओं में बदलकर पाठ जेनरेशन की प्रक्रिया द्वारा जेनरेट किया जाता है। पी.एल. आई.एल. जेनरेट करने के लिए 70% और पाठ जेनरेट करने के लिए 30% प्रयास करना पड़ता है। इस प्रणाली में 90% कार्य मशीन से होता है और 10% पश्च संपादन का कार्य मनुष्य के द्वारा किया जाता है। इस मशीन अनुवाद प्रणाली का प्रयोग स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में किया जाता है।

11. यू.एन.एल.–आधारित अंग्रेजी–हिंदी मशीन अनुवाद प्रणाली– (2001) इस प्रणाली के विकास में पुष्पक भट्टाचार्य, एस. देव, जे. पारीख इनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। यह प्रणाली आई. आई. टी. मुंबई में विकसित की गयी। यह प्रणाली अंतराभाषा की संरचना में यू.एन.एल.(Universal Networking Language) का प्रयोग करती थी। यू.एन.एल. एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसका उद्देश्य मनुष्य द्वारा बोली जाने वाली सभी भाषाओं के लिए एक अंतराभाषा संरचना का निर्माण करें। यू.एन.एल. परियोजना में आई. आई. टी. मुंबई शामिल है, जो अंग्रेजी– हिंदी, हिंदी– यू.एन. एल.,यू.एन.एल.– हिंदी, अंग्रेजी–मराठी और अंग्रेजी– बांग्ला आदि। भाषा को यू.एन.एल. तकनीक का प्रयोग करके विकास किया जा रहा है।

12. आंग्लहिंदी (AnglaHindi–2003)–इस अनुवाद प्रणाली को आंग्ल भारती से लिया गया है। इसके विकास में मुख्य रूप से डॉ. आर. एम. के. सिन्हा और ए. जैन का सहयोग है। इसका विकास अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए किया गया था। यह प्रणाली स्यूडो– अंतराभाषा नियम– आधारित प्रणाली थी। आंग्ल भारती के सारे मॉड्यूल्स का प्रयोग इस मशीन अनुवाद प्रणाली में होता था। इस प्रणाली से किए गए अनुवाद की शुद्धता 90% थी।

13. अनुभारती–(1995, 2004) अनुभारती मशीन अनुवाद प्रणाली का विकास संकर उपागम का प्रयोग करके किया गया। इसमें उदाहरण आधारित और कॉर्पस आधारित उपागम का प्रयोग किया गया। साथ ही कुछ बुनियादी व्याकरणिक विश्लेषण का उपयोग करके इसको बनाया गया। उदाहरण आधारित उपागम का इस्तेमाल मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया के ज्ञान को भूतकाल के अनुभव से संग्रहित करना और भविष्य में उसका उपयोग करने के लिए किया जाता था। इस प्रणाली में पुराने उदाहरण आधारित मशीन अनुवाद (Example Based Machine Translation) उपागम को सुधारा गया जिससे कि बड़े उदाहरणों के ऊपर की निर्भरता को कम किया जा सके। वाक्यों के समूहों को कच्चे उदाहरणों से पहचान कर उन्हें स्रोत भाषा की संरचना के आधार पर मैप किया जाता था। यह कार्य स्रोत भाषा के वाक्य कोटियाँ और आर्थी टैग के आधार पर किया जाता था। आंग्ल भारती और अनुभारती दोनों की संरचना अपने शुरुआती दौर से काफी बदल गयी थी। सन 2004 में इनका नाम अनुभारती–II और आंग्ल भारती–II किया गया।

14. बांग्ला–हिंदी मशीन अनुवाद प्रणाली–(2009)– एस. चटर्जी, डी. सरकार, एस. रॉय और ए. बासु ने इस मशीन अनुवाद प्रणाली के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके ही नेतृत्व में इस प्रणाली का विकास हुआ है। इस प्रणाली में सांख्यिकीय मशीन अनुवाद और नियम आधारित मशीन अनुवाद इन उपागमों का प्रयोग किया गया था। इस संकर प्राणाली का प्रदर्शन बहुत अच्छा था और इसका ब्लू स्कोर 0.2275 भी काफी अच्छा था।

15. अनुवाद ANUBAAD (2000, 2004)–इस प्रणाली का विकास शिवाजी बंदोपाध्याय के नेतृत्त्व में हुआ। यह प्रणाली अंग्रेजी से बांग्ला भाषा में अनुवाद करती थी, जो उदाहरण आधारित उपागम पर आधारित है। इसमें इनपुट के रूप में अंग्रेजी समाचार के शीर्षकों को दिया जाता है और उसके सटीक मेल को उदाहरण आधारित उपागम में ढूंढा जाता है। अगर मेल नहीं मिलता है तो शीर्षक को टैग किया जाता है और उस टैग शीर्षक को जनरलाइज टैग उदाहरण आधारित डाटा में खोजा जाता है। टैग डाटा में मेल होने के बाद संश्लेषण कर बांग्ला भाषा में पाठ को जेनरेट किया जाता है। अगर टैग डाटा में भी मेल नहीं मिला तो पदबंधीय उदाहरण आधारित डाटा का उपयोग करके लक्ष्य भाषा के वाक्य को जेनरेट किया जाता है। यदि अभी भी शीर्षक का अनुवाद नहीं होता है, तो शब्द के स्तर पर जा कर स्वानुभाविक नीति का प्रयोग किया जाता है जिसमें शब्द के क्रम के अनुसार लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है। समाचार शीर्षकों के अनुवाद के लिए संबंधित शब्दकोशों का सहारा लिया जाता है।

16. वासानुबाद– (VAASAANUBAAD), (2002)– इस प्रणाली का विकास करने में के. विजयानंद, आई. एस. चौधरी और पी. रत्ना का विशेष योगदान है। यह प्रणाली बांग्ला से असमी भाषा में ऑटोमेटिक अनुवाद करती थी। इसके अनुवाद का क्षेत्र है, समाचार के पाठ और इस मशीन अनुवाद प्रणाली में उदाहरण आधारित उपागम का प्रयोग किया गया है। यह प्रणाली बांग्ला से असमी में वाक्य स्तर

पर अनुवाद का कार्य करती है। इसमें पूर्व–संसाधन और पश्च– संसाधन का कार्य करना पड़ता था। द्विभाषिक कार्पस का निर्माण वास्तविक उदाहरणों को लेकर मनुष्य के द्वारा स्यूडो कोड का प्रयोग करके किए जाते थे। अनुवाद की गुणवत्ता अच्छी आने के लिए बड़े– बड़े वाक्यों को विराम चिन्हों का उपयोग करके तोड़ा जाता था।

17. शिवा और शक्ति (2003) – कार्नेगी मेलॉन विश्वविद्यालय (Carnegie Mellon University] USA), भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर और अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के सहयोग से विकसित यह अनुवाद प्रणाली अपने वेबसाइट http://shakti-iiit-net पर चलती है। इसका नया वर्जन 18 अप्रैल 2005 को आरंभ किया गया, जो तीन लक्ष्य भाषाओं हिंदी, मराठी और तेलुगु के लिए कार्य करता है। इसमें उदाहरण आधारित उपागम, नियम आधारित और सांख्यिकीय उपागम का प्रयोग किया गया। साथ ही इस प्रणाली में कुछ मॉड्यूल्स के द्वारा आर्थी सूचनाएं भी दी गयी थी।

18. हिंगलिश (Hinglish– 2004)– इस मशीन अनुवाद प्रणाली का विकास सिन्हा और ठाकुर के नेतृत्व में किया गया। यह मशीन अनुवाद शुद्ध हिंदी से शुद्ध अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए किया गया था। इसमें आंग्लभारती–II (अंग्रेजी से हिंदी) और अनुभारती–II (हिंदी से अंग्रेजी) दोनों को सम्मिलित किया गया था। इस अनुवाद प्रणाली की शुद्धता 90% से अधिक है।

19. अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में मशीन अनुवाद– (E-ILMT) 2006– E-ILMT मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम पर्यटन और स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्र के लिए विकसित किया गया। इसमें अंग्रेजी से 8 भारतीय भाषाओं हिंदी, मराठी, बंगाली, उर्दू, तमिल, उड़िया, गुजराती और बोडों में अनुवाद होता है। इसके विकास में भारत के 12 संस्थानों, 1. सी–डैक मुंबई, 2. आई.आई.आई.टी हैदराबाद, 3. आई.आई.एस.सी. बैंगलोर, 4. आई.आई.टी. मुंबई, 5. जाधवपुर विश्वविद्यालय कोलकत्ता, 6. आई.आई.आई.टी. इलाहाबाद, 7. उत्कल विश्वविद्यालय– भुवनेश्वर, 8. अमृता विश्वविद्यालय– कोइम्बतुर, 9. बनस्थली विद्यापीठ, 10. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ – जलगाँव, 11. धरमसिंह देसाई विश्वविद्यालय–नडियाड और 12. नॉर्थ इस्टर्न हिल विश्वविद्यालय– शिलोंग, के साथ सी–डैक पुणे मुख्य भूमिका में था। यह मशीन अनुवाद प्रणाली संकर विधि पर आधारित है। जिसमें तीन अनुवाद इंजिन (EBMT, SMT और TAG) एक साथ काम करते हैं। (TAG) वृक्ष संलग्न व्याकरण आधारित इंजिन और (SMT) सांख्यिकीय मशीन अनुवाद इंजिन पार्सिंग और जेनरेशन का काम करते हैं। इसके आलावा और भी भाषा वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे– (Input format extraction, morph analyser and synthesize, Named Entity Recognizer, POS tagger, Word sense Disambiguator, Semantic TAG Parser) आदि का भी इसमें उपयोग होता है। इस परियोजना को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा वित्तपोष मिलाता था। C-DAC मुंबई ने सांख्यिकीय मशीन ट्रांसलेशन के लिए सांख्यिकीय मॉडल का विकास किया है, जो अंग्रेजी से मराठी, हिंदी और बंगाली के लिए था। इसका ट्रेनिंग कार्पस 5000 वाक्यों का है जिसमें 800 वाक्य टेस्ट और ट्यून करने के लिए है।

मशीन अनुवाद के क्षेत्र में उपर्युक्त कार्य भारत में चल रहे हैं।

निष्कर्षतः– यह कह सकते हैं कि, मशीन अनुवाद की संकल्पना नई है, यह संकल्पना लगभग 60–70 साल पुरानी है। अभी इस क्षेत्र में बहुत काम होना बाकी है। खास कर भारत के संदर्भ में। क्योंकि भारत में यह संकल्पना पश्चिमी देशों के काफी बाद में यानि सन् 1980 के बाद आई। इसीलिए यह संकल्पना भारत जैसे देश के लिए नई है। भारत एक बहुभाषी देश है, जहाँ बहुत सी भाषाएँ बोली जाती है, जिनमें कुछ भाषाएँ लुप्त होने की कगार पर हैं। यदि इन भाषाओं का जतन और संवर्धन करना है, तो इनको डिजिटल रूप में संगृहीत करने की आवश्यकता है। इन भाषाओं को एक डिजिटल प्लैटफार्म मिल जाएगा साथ ही मशीन अनुवाद के कार्य हेतु इनका आगे उपयोग भी किया जा सकेगा। इस तरह लुप्त हो रही भाषाओं को बचाया जा सकता है। ऐसी बहुत–सी भाषाएँ हैं जिनमें भारतीय भाषाओं से भारतीय भाषाओं में अनुवाद अब तक नहीं हुआ है। इस तरह उनका संवर्धन और संगोपन भी हो जाएगा। प्रस्तुत शोध आलेख का उद्देश्य है, मशीन अनुवाद के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सहयोग करना और इस क्षेत्र में रूचि रखने वाले पाठको एवं शोधार्थियों के लिए मशीन अनुवाद की विधियाँ और उसके इतिहास की जानकारी देना है।

संदर्भ ग्रंथ –

1. सेठी, हरीशकुमार, (2013) ई–अनुवाद और हिंदी किताब घर प्रकाशन, नई दिल्ली.
2. दासठाकुर, (2008) 'मशीनी अनुवाद : विधियाँ एवं प्रविधियाँ', गवेषणा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा.
3. भाटिया कैलाश चन्द्र, (1996) 'कंप्यूटर अनुवाद की संभावनाएँ', हिंदी : विकास और संभावनाएँ, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार.

4. विकास ओम, (2005) 'हिंदी के विकास में टेक्नोलॉजी का योगदान', गवेषणा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा.
5. सिंह, सूरजभान, जनवरी–मार्च (2005) सूचना–प्रौद्योगिकी और भाषाक्रांति, राजभाषा भारती.
6. G-V- Garje and G-K- Kharate, Survey of machine translation system in India, International Journal on Natural Language Computing (IJNLC) Vol- 2, No-4, October2013-
7. http://sanskrit.jnu.ac.in/shmt/index.jsp
8. http://www.cse.iitb.ac.in/~pb/indtrend2.htm
9. http://www.tdil- dc.in/
10. http://www.cdac.in
11. http://ltrc.iiit.ac.in

लेखक, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा में सहायक प्रोफेसर हैं। सम्पर्क : 8668736337

हमारी भाषा

भाषा में पुकारे जाने से पहले वह एक चिड़िया थी बस
और चिड़िया भी उसे हमारी भाषा ने ही कहा
भाषा ही ने दिया उस पेड़ को एक नाम
पेड़ हमारी भाषा से परे सिर्फ एक पेड़ था
और पेड़ भी हमारी भाषा ने ही कहा उसे
इसी तरह वे असंख्य नदियॉ झरने और पहाड़
कोई भी नहीं जानता था शायद
कि हमारी भाषा उन्हें किस नाम से पुकारती है

उन्हें हमारी भाषा से कोई मतलब न था
भाषा हमारी सुविधा थी
हम हर चीज को भाषा में बदल डालने को उतावले थे
जल्दी से जल्दी हर चीज को भाषा में पुकारे जाने की जिद
हमें उन चीजों से कुछ दूर ले जाती थी
कई बार हम जिन चीजों के नाम जानते थे
उनके आकार हमें पता नहीं थे
हम सोचते थे कि भाषा हर चीज को जान लेने का दरवाजा है
इसी तर्क से कभी कभी कुछ भाषा, अपनी सत्ता कायम कर लेती थीं
कमजोरों की भाषा कमजोर मानी जाती थी और वह हार जाती थी
भाषाओं के अपने अपने अहँकार थे

पता नहीं पेड़ों, पत्थरों, पक्षियों, नदियों, झरनों, हवाओं और जानवरों के पास

अपनी कोई भाषा थी कि नहीं
हम लेकिन लगातार एक भाषा उनमें पढ़ने की कोशिश करते थे
इस तरह हमारे अनुमान उनकी भाषा गढ़ते थे
हम सोचते थे कि हमारा अनुमान ही सृष्टि की भाषा है
हम सोचते थे कि इस भाषा से
हम पूरे ब्रह्मांड को पढ़ लेंगे

– राजेश जोशी

कलम अपनी साध,
और मन की बात बिल्कुल ठीक कह एकाध ।
यह कि तेरी–भर न हो तो कह,
और बहते बने सादे ढंग से तो बह
जिस तरह हम बोलते हैं, उस तरह तू लिख,
और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख।

–भवानी प्रसाद मिश्र

मातृभाषा

'जो युवक यह कहते हैं कि हम अपने विचार मातृभाषा द्वारा प्रकट नहीं कर सकते उनसे मैं यही निवेदन करूँगा कि आप मातृभाषा के लिए भार रूप हैं। मातृभाषा की अपूर्णता दूर करने के बदले उसका अनादर करना– उससे हाथ ही धो बैठना दृ किसी सच्चे सपूत को शोभादायक नहीं है।३मैं आशा करता हूं कि यहाँ बैठे हुए समस्त विद्यार्थी यह प्रतिज्ञा करेंगे कि निरूपाय दशा के सिवा और कभी भी हम अपने घर पर अंग्रेजी न बोलेंगे।'

–महात्मा गांधी

देवनागरी लिपि के मानकीकरण से जुड़े कुछ प्रश्न

प्रो. अनिल कुमार पाण्डेय

भारत की सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि है और इसी से देवनागरी लिपि विकसित हुई है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग 8 वीं शती के आस–पास के शिलालेखों में मिलता है। 10वीं सदी की नागरी लिपि में अ, आ, घ, म, य, ष, और स के सिर दो हिस्सों में बॅटे हुए मिलते हैं और 11 वीं सदी में सिर में सिर की एक लकीर बन जाती है और हर अक्षर का सिर उस अक्षर की चौड़ाई के बराबर हो जाता है। इस प्रकार 11वीं शती के आस–पास देवनागरी के जो रूप हमें मिलते हैं, वह वर्तमान देवनागरी रूपों से काफी समानता रखते हैं और 12वीं शती से लेकर आज तक नागरी लिपि में काफी समानता रखते हैं और 12वीं शती से लेकर वर्तमान देवनागरी रूपों से काफी सीमा तक एकरूपता चली आ रही है। आज हिंदी भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है और इसी को 'नागरी लिपि' भी कहा जाता है।

भारत में देवनागरी का प्रयोग शासकीय कार्य–कलापों में हर्षवर्धन के समय से किया जाने लगा था। दक्षिण भारत में भी महाबलीपुरम् के मंदिरों के शिलालेखों पर भी नागरी लिपि प्राप्त होती है। देवनागरी लिपि में एकरूपता लाने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्व से ही सुधार कार्य किए जाने लगे थे। सुधार संबंधी प्रथम प्रयास सन् 1904 में लोकमान्य तिलक ने 'केसरी' के माध्यम से आरंभ किया था। सन् 1935 में काका कालेलकर समिति, 1945 में नागरी प्रचारिणी सभा की समिति, 1947 में नरेन्द्र देव समिति, 1953 में राधाकृष्णान समिति ने देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयास किए। अंत में 1961 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने देवनागरी का मानकीकरण किया एवं अन्य भाषाओं में लिखने के लिए परिवर्धित देवनागरी लिपि बनाई। देवनागरी लिपि के साथ दो संदर्भ दिखाई देते हैं–

(अ) पहला संदर्भ उन भाषाओं की लेखन–व्यवस्था से है, जिनके लिए देवनागररी परम्परा से प्रयुक्त होती आयी है। यथा–संस्कृत, हिंदी, मराठी आदि।

(आ) इसका दूसरा संदर्भ सम्पर्क–लिपि का है, जिसे परिवर्धित देवनागरी कहते हैं। जो उन भारतीय भाषाओं के लिप्यंकन के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त की जा रही है, जिनकी या तो परम्परा से कोई लेखन व्यवस्था है अथवा अपनी कोई लेखन व्यवस्था है, इसके विपरीत भारत की कई जनजातियों की ऐसी भाषाएँ जिनकी लिपि है ही नहीं। परिवर्धित देवनागरी मुख्यतः उन भाषाओं के लिए संपर्क लिपि के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। परिवर्धित देवनागरी वस्तुतः देवनागरी वर्णमाला का विकसित रूप है, जिसके माध्यम से अन्य भारतीय भाषाओं को लिप्यंतरित करना संभव है। इसमें समस्या है कि परिवर्धित देवनागरी के अंतर्गत मुख्यतः संविधान की अष्टम–अनुसूची की ही भाषाओं को समाविष्ट किया गया है, जिनकी संख्या 22 थी अभी कुछ और भाषाएँ जोड़ी गयी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 223 भाषाएँ हैं, और इनमें कई ऐसी भाषाएँ हैं जिनकी अपनी कोई लिपि नहीं हैं जैसे भारत में ऑस्ट्रिक भाषा–परिवार (मुण्डा शाखा) की 14 भाषाएँ हैं, इनमें सिर्फ संथाली के पास लिपि है, जो कि ज्यादा प्रयोग में नहीं है। इसी प्रकार मणिपुरी भाषा की अपनी कोई लिपि न होने के कारण बंगला भाषा में प्रयुक्त लिपि में ही लिखी जाती रही है। परंतु इधर उसके लिए भी एक लिपि विकसित की गयी है, जिसे अब धीरे–धीरे प्रयोग में लिया जाने लगा है। जिसे 'मैतै' लिपि नाम दिया गया है। शेष भाषाएँ अभी तक वाचिक परम्परा में हैं। परिवर्धित देव नागरी में नहीं हैं। इनके लिए चिह्न विकसित किए जाने चाहिए जिससे कि मुण्डा परिवार भाषा–भाषी भी देवनागरी में साहित्य गढ़ सकें और इन्हें मानव सभ्यता के इतिहास में स्थान मिल सके। तभी देवनागरी भी राष्ट्रलिपि के रूप में दिख सकती है जब भारत की सभी भाषाओं की ध्वनियों के अंकन की शक्ति इसमें हो।

हिन्दी भाषा के लिए देवनागरी लिपि का मानकीकरण केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा किया गया है, इसमें अभी भी कुछ त्रुटियाँ रह गयी हैं–

(1) हिन्दी में विकसित व्यंजन स्वनिम– म्ह, न्ह, ल्ह, ड़, ढ़, व्यंजन ध्वनियाँ स्वतंत्र स्वनिम नहीं हैं। इनका लिपि में स्थान है, जबकी 'म', 'न', 'ल', की महाप्राण ध्वनियाँ म्ह, न्ह, ल्ह संयुक्त व्यंजन की स्थिति में हैं। ड़/ढ़ हिन्दी में अभी भी संस्वनन की स्थिति में है जबकि 'म्ह', 'न्ह', 'ल्ह' हिन्दी में धीरे–धीरे स्वनिम का दर्जा प्राप्त करती हुई दिख रही है जैसे–

(अ)	काना–(न्)	कान्हा– (न्ह्)
(ब)	कुमार – (म्)	कुम्हार – (म्ह्)
(स)	आला – (ल्)	आल्हा – (ल्ह्)

इन व्यंजनों को स्वनिम की कोटि में रख सकते हैं। अतः इनके लिए अलग प्रयोग चिह्न की व्यवस्था होनी चाहिए।

(2) संयुक्ताक्षरों की समस्या–संयुक्त व्यंजनों के साथ इ की मात्रा (ि) को लेकर निम्नांकित दो विकल्पों की बात

देवनागरी में संभव है, जैसे–
(अ) चिह्नित और चिह्नित
(ब) द्वितीय और द्वितीय
(3) अनुस्वार एवं अनुनासिकता – आजकल बहुतायत अनुनासिकता एवं अनुस्वार का भेद न कर प्रायः अनुनासिकता के स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाने लगा है; जबकि इन दोनों के बीच अर्थभेद संभव है। अतः इसको ध्यान में रखते हुए अनुनासिकता एवं अनुस्वार का यथास्थान प्रयोग करना चाहिए, जिससे अर्थ सुनिश्चित हो सके।

लिपि वह माध्यम है, जो भाषा के उच्चरित रूप को लिखित रूप में प्रस्तुत करती है। चूँकि भाषा का उच्चरित रूप उच्चारण–काल के तुरंत बाद ही दृष्टिपथ से ओझल हो जाता है, इसलिए उसके कथ्य को और उसकी उक्ति को सुरक्षित रखने का काम भी लिपि ही करती है। लिपि का काम भाषा के उच्चरित रूप को जितना अधिक अपने लिप्यंकन में सुरक्षित रख लेती है, वह लिपि उतनी ही उत्कृष्ट मानी जाती है। देवनागरी के बारे में बराबर यह बात कही जाती रही है कि वह भाषा के उच्चरित रूप को अपने लेखन–प्रतीकों के माध्यम से अधिकाधिक सुरक्षित रखती रही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा के उच्चरित रूप को सुरक्षित रखने का काम कुछ लिपियों के लेखन–प्रतीक करते हैं। सामान्यतः एक लिपि में जिन लेखन–प्रतीकों का प्रयोग होता है, उन लेखन–प्रतीकों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, पर वर्णमाला वस्तुतः किसी भाषा के शब्दों में प्रयुक्त हो रहे वर्णों को लेखा–जोखा है।

लिप्यंकन की प्रक्रिया में केवल शब्द ही नहीं आते, बल्कि शब्दों के इतर जो ध्वन्यात्मक प्रभाव भाषा में घटते हैं, उनको लिप्यंकित करने वाले चिह्न भी आते हैं; इसलिए लिपि–चिह्नों में वर्णमाला के अतिरिक्त कुछ और चिह्नों को देखें, तो हमें लगता है कि ये लिपि–चिह्न भाषा के उच्चरित रूप को पूरी तरह लिप्यंकित करने में नाकाफी–जैसे हैं या पूरे नहीं हैं।

भाषा जिस रूप में उच्चरित हो रही है, ठीक उसी रूप में लिखी जाए और हम उसी लिखित रूप को लेकर ठीक वैसा ही उच्चरित रूप बोल सकें, तो अच्छा मानना जाता है और यह भी माना जाता है कि लिपि ने भाषा के उच्चरित रूप को ठीक ढंग से लिप्यंकित (रिकॉर्ड) किया और प्रयोक्ता ने भी ठीक ढंग से भाषा का उच्चारण किया। यहाँ समस्या तब आती है जब एक ही उच्चारण के कई–कई रूप हमें मिलते हैं या एक ही स्थिति को व्यक्त करने के लिए कई संरचनाएँ (लिप्यंकित रूप) भाषा में प्रयुक्त होती हैं। यद्यपि यह दूसरा सवाल भाषा से जुड़ा हुआ अधिक लगता है, लिपि से कम पर प्रकारांतर से इसका संबंध लिपि से भी जुड़ता है। द्वितीय भाषा–अर्जक या विदेशी भाषा–अर्जक चाहता है कि वह अपने लक्ष्य की भाषा को जितनी जल्दी से जल्दी संभव हो, सीखे; यह जल्दी सीखना इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि भाषा की संरचनाओं केजो प्रतिरूप हों, वे अनेक न हों अर्थात् एक स्थिति की वाचक एक ही संरचना भाषा में लिखी जाती हो या प्रयुक्त होती हो। जहाँ एक से अधिक संरचनाएँ या लिखित रूप होते हैं, वहाँ ग्रहीता को उन सब रूपों को समझना होता है, सीखना होता है और उसके सामने समस्या होती है कि वह शीघ्र से शीघ्र लक्ष्य भाषा सीखे; अतः न चाहते हुए भी समय लगता ही है।

देवनागरी के इन वर्तनीगत विकल्पों को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं–

1. (क) **या, यी, ये आ, ई, ए तथा वा, वी, वे, विकल्प के रूप में**– शब्दान्त अथवा शब्द मध्य में आने वाले या, यी, ये; आ, ई ए तथा वा, वी, वे विकल्प के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे–
आया, आयी / आयी, आये / आए
आयेगा / आएगा / आवेगा
हुआ / हुवा ; हुई / हुयी, हुए / हुये
चहिये / चाहिए, जाइये / जाइए;
स्थितियों / स्थितियाँ / स्थितिआं / स्थितिआँ
जाये / जाए / जावे जायें / जाएँ / जावें
गाओं / गावों ; गायें / गाएँ / गाएं गावें
आये / आए / आवे ; आये / आए / आवें;
भाषायी / भाषाई
विविधतायें / विविधताएँ / विविधताएँ आदि।
इन विकल्पों में किसे मानक माना जाए या सभी को चलने दिया जाए?
..... यदि सभी को मानक माना जाए तो सिखाने की दृष्टि से क्या उनके बीच में कोई स्तर तय किये जाएँ?

2. **अनुनासिकता तथा अनुस्वार से सम्बन्धित प्रश्न**– आजकल यह प्रायः देखा जाता है कि शब्द के प्रारम्भ, मध्य व अंत में अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है। जैसे–
आंख / आँख, सांस / साँस, गांधी / गाँधी, दिनांक / दिनाँक दिनाङ्क / दिनाङ्क मां / माँ, अंगूठी / अँगूठी, स्थितियां / स्थितियाँ, लड़कियां / लड़कियाँ, अंग्रेजी / अँग्रेजी आदि इन सभी विकल्पों पर विचारकर मानक निर्धारण की या सभी को चलते रहने देने की आवश्यकता है अथवा जहाँ अर्थ भेदकता हो वहाँ–शेष में अनुस्वार का प्रयोग किया जाए?

3. **जोड़कर या अन्तराल के साथ लिखे?**– लेखन में देवनागरी में कई विकल्प दिखायी पड़ते हैं। जैसे–
इस प्रकार / इसप्रकार ; इस तरह / इसतरह ; उसी प्रकार / उसीप्रकार ; जिस प्रकार / जिसप्रकार ; जिस

तरह / जिसतरह ; उसी तरह / उसीतरह ; दिन–भर / दिनभर / दिन भर ; आज–कल / आजकल / आज कल रात–भर / रातभर / रात भर ; रातों–रात / रातोंरात; देखने लायक / देखनेलायक; देखने योग्य / देखनेयोग्य; इसलिये / इसलिए आदि। देवनागरी में प्रयुक्त इन विकल्पों पर भी विचार–विमर्श आवश्यक है, जिससे एक मानक रूप तय किया जा सके।

4. **परसर्ग से संबंधित प्रश्न**– वर्तमान में परसर्गों के लेखन में भी विविधताएँ देखने को मिलती हैं, परसर्गों को संज्ञा शब्द से अलग कर तथा सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखे जाने की परंपरा है, यदि सर्वनाम व परसर्ग के बीच निपात (तो, ही, भी) आवे तो उसे भी अलग लिखा जाना चाहिए। यदि दो परसर्ग एक साथ आवें तो पहले को जोड़कर दूसरे को अलग लिखा जाना चाहिए। जैसे–रमेश का, उसको, उस ही का, आज का, कल का, वहाँ का आदि। पूर्वकालिक कृदंत 'कर' को मिलाकर लिखे जाने की परंपरा है, लिखी जानी चाहिए भी। जैसे – दौड़कर, खाकर आदि इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण द्रष्टव्य हैं। यथा–

राम ने / रामने ; श्याम ने / श्यामने
मैं ने / मैंने
तुम ने / तुमने
उस ने / उसने
उस से / उससे
उस को / उसको
उस पर / उसपर
तुम पर / तुमपर
मुझ पर / मुझपर
राम का / रामका
लेखनी द्वारा / लेखनी द्वारा

लिप्यंकन के उक्त विकल्पों में से किसको मानक माना जाए, या फिर, सभी रूपों को विकल्प के रूप में रहने दिया जाए?

5. **सा,–सी, –से –जैसा, जैसी, जैसे से युक्त षब्दों की समस्याओं से जुड़े प्रश्न** – सा,–सी –जैसा, –जैसी, –जैसे से युक्त शब्दों के अंकन में भी दो रूप प्रचलित है। यथा–

राम–सा / राम सा ; तुम–सा / तुम सा; मुझ–सा / मुझ सा; सीता–सी / सीता सी; राम–जैसा / राम जैसा; सीता–जैसी / सीता जैसी ; अच्छे–से / अच्छे से आदि।

लेखन में ये सभी विकल्प प्राप्त होते हैं, इनमें किसे मानक माना जाए?

6. **हल् समस्या**– कुछ ऐसे तत्सम शब्द हैं, जिनके लिप्यंकन में अंतिम वर्ण में हल् चिन्ह लगाते हैं और कुछ लोग हल् चिन्ह नहीं लगाते, जैसे –

विद्वान् / विद्वान
भगवान् / भगवान
जगत् / जगत
परिषद् / परिषद
महान् / महान

समस्या यह है कि लिप्यंकन में हम इनमें से किस एक रूप को मानक मानें?

7. **वाला, –वाली, –वाले युक्त विशेशण पदों के लिप्यंकन से जुड़े प्रश्न**– इस प्रकार के विशेषण पदों के भी अंकन में विकल्प मिलते हैं; एक में वाला अपने पूर्ववर्ती पद से मिलाकर लिखा जाता है, दूसरे में अलग करके लिखा जाता है। जैसे–पढ़ने वाला / पढ़ने वाला

जानेवाला / जाने वाला
नाचनेवाली / नाचने वाली
पढ़नेवाले / पढ़ने वाले आदि।

इन दोनों रूपों में से किसे मानक माना जाए?

8. **विदेशी ध्वनियों का लिप्यंकन**– (क) अंग्रेजी शब्दों का देवनागरी लिप्यंकन किस रूप में हो?अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्धविवृत्त, पश्च 'ओ' ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप को हिन्दी में किस लिपिचिन्ह से लिप्यंकित किया जाए? इसके लिए 'आ' की मात्रा (ा) के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है, पर बहुत से लोग उसका उच्चारण उस रूप में नहीं करते। जैसे–

डॉक्टर / डाक्टर
प्रॉक्टर / प्राक्टर
बॉल / बाल

ऐसे विशेष आगत शब्दों के लेखन में किस रूप को स्वीकार जाए, इस पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है।

(ख) अरबी–फारसी के अधिकांश आगत शब्द नुक्ते के साथ होते हैं, पर हम उनका उच्चारण उस रूप में प्रायः नहीं करते। जैसे –

दर्जी / दर्ज़ी
फुर्सत / फ़ुर्सत
बर्फ / बर्फ़
अर्जी / अर्ज़ी आदि।

यहाँ प्रश्न यह है कि ऐसे आगत शब्दों का लिप्यंकन स्रोतभाषा के उच्चारण के अनुसार देवनागरी में किया जाए या नहीं? इस प्रकार उपर्युक्त सभी बिन्दुओं पर विचार विमर्श आवश्यक है। जो लेखन संबंधी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगा।

(आचार्य, भाषा प्रौद्योगिकी विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा)

वर्तमान दौर में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में ई–शासन : चुनौतियाँ और संभावनाएँ

प्रो. तंकमणि अम्मा

भारतीय संविधान के कायम होने के सत्तर साल बाद भी 'अपने देश का शासन अपनी भाषा में' वाली अवधारणा पूर्ण रूप से अमल में नहीं आ सकी तो इसके लिए उत्तरदायी देश का शासन तथा जनता दोनों ही हैं। लगता है, शासन की इच्छाशक्ति और जनता की माँग दोनों ही कमज़ोर हैं। राजभाषा नीति के पूरे पालन की ओर शासन – न प्रांतीय शासन और न संघ शासन– पूरा ज़ोर देते हैं तथा न ही जनता की ओर से अपनी भाषा में शासन की प्रबल माँग उभरकर आती है। अभी तक न कोई जन–आंदोलन 'अपनी भाषा में शासन' का मुद्दा उठाकर नहीं चला है। यों शासक तथा शासित दोनों के उपेक्षा भाव के कारण भारतीय भाषाएं प्रशासन की भाषा के रूप में पूर्णतया प्रतिष्ठित नहीं हो पायी हैं। संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघशासन को सुदृढ़ एवं प्रजातांत्रिक बनाने के लिए संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को तथा प्रांतीय शासन की भाषा के रूप में प्रांतीय भाषाओं को निर्धारित कर एक आदर्श रूप ही प्रस्तुत कर लिया था। आगामी वर्षों में विभिन्न राजभाषा अधिनियमों, नियमों, आयोगों, समितियों आदि द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को गतिशील करने का प्रयास हुआ था। इस दिशा में काफ़ी प्रगति भी आयी थी।

भारतीय प्रजातांत्रिक शासकों और शासितों के मन में अब भी जो विदेशी और विदेशी भाषा का वर्चस्व तथा देशी चीज़ों के प्रति हेय भावना रुढ़मूल है , वही एक हद तक भारतीय भाषाओं को प्रांतों की राजभाषा तथा हिंदी को संघ की राजभाषा के पद पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठापित करने की दिशा में रोड़ा अटका देती है। यद्यपि इस तथ्य से भारतीय अवगत हैं कि चीन, रूस, जापान, जर्मनी जैसे देश अपनी भाषाओं में शिक्षा तथा अपनी भाषाओं में प्रशासन के बल पर ही सूचना–प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति प्राप्त कर गये हैं तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा भी पा गये हैं तथापि देशी भाषा में अध्ययन तथा शासन के प्रति अभी हमारे देश में जागरुकता नहीं बरती गयी है।

बीसवीं शती के अंतिम दौर तथा इक्कीसवीं शती के आरंभिक दशकों में वैश्विक स्तर पर सूचना–प्रौद्योगिकी का जो अभूतपूर्व विकास हुआ, भारत भी उसका साझेदार बना तो, समाज और जीवन के विविध क्षेत्रों में नई क्रांति ही मच गयी। कम्प्यूटर में काम करने की बहुविध सुविधाएं उपलब्ध हुई। शनैः शनैः जीवन के अन्यान्य क्षेत्रों की भांति प्रशासन के क्षेत्र पर भी सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव पड़ा तथा ई–शासन का सूत्रपात हुआ। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जनता को सरकारी सेवाएँ प्रदान करना ही ई–शासन है। इस बात से अवगत होने पर कि कम्प्यूटर मात्र मशीन है, केवल अंग्रेजी भाषा में ही नहीं अन्यान्य भाषाओं में भी उस से काम चलाया जा सकता है तो भारतीय भाषाओं में काम चलाने के कार्य का श्रीगणेश हुआ। जनता की भाषा में शासन, प्रशासनिक प्रक्रिया को सुगम, कुशल, सुविधाजनक एवं उत्तरदायी बनाने में सक्षम है। ई–शासन से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आ जाती है तथा त्वरित गति भी आ जाती है। जनता की भाषा में कामकाज होना है तो जनता को बात समझने में आसानी होती है।

संप्रति, भाारत के विभिन्न प्रांतों में प्रांतीय भाषाओं में ई–शासन चलाने का कार्य नियमित ढंग से और त्वरित गति से चल रहा है। दक्षिण के पाँचों प्रांतों – केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र तथा तेलंगाना – में क्रमशः मलयालम, तमिल, कन्नड़ तथा तेलुगु में ई–शासन की प्रक्रिया का कार्यान्वयन होता है। केरल राज्य के विभिन्न मंत्रालयों का तथा पंचायतीराज का अधिकांश कार्य मलयालम भाषा में होने लगा है। यह तो सही है कि इस दिशा में काफ़ी दूर तक आगे बढ़ना है।

हिंदी तथा अन्यान्य भारतीय भाषाओं में ई–शासन को सुचारू रूप से चलाने के मार्ग में जो चुनौतियाँ हैं उनका सामना करने का प्रयास ज़ारी है। 'साइबर सुरक्षा' का मुद्दा तो केवल भारतीय भाषाओं का ही नहीं है, वह तो सार्वभौतिक है। उससे उबर जाने का प्रयास होना है। ग्राम समाज तक ई–शासन की सुविधा तभी पहुँच जाएगी जब ग्रामीण जनता को कम्प्यूटर, मोबाइल जैसे उपकरण प्राप्त हो तथा उस पर काम करने का शिक्षण–प्रशिक्षण भी प्राप्त हो। यही नहीं, ग्रामीणक्षेत्रों तथा अन्यत्र इंटरनेट, क्षेत्रीय नेटवर्क आदि को सशक्त करने की आवश्यकता भी है। जनसामान्य तक ई–साक्षरता और ई–शिक्षा पहुँचाना भी वर्तमान युग की माँग है।

कोरोना कहर की तालाबंदी के दौरान ई–शासन की माँग काफ़ी बढ़ गयी है। कोरोना महामारी ने मानव को घर–घर में बंद कर दिया। मानव की जिजीविषा इतनी बलवती है कि उसने उन चुनौतियों का सामना करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार की संभावनाओं का खूब लाभ

उठाया और बहुत सारा काम ऑन–लाइन, डिजिटल मंच आदि पर करने का कार्य शुरु किया। इन सबका फायदा उठाकर वर्तमान काल ई–शासन के क्षेत्र में प्रगति के पथ को नाप रहा है।

नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का तथा मातृभाषा के अध्ययन को अनिवार्य करने की पहल शुरु होगी तो भारतीय भाषाओं में शिक्षित होकर आनेवाली नई पीढ़ी, सूचना प्रौद्योगिकी की बहुआयामी संभावनाओं का लाभ उठाकर भारतीय भाषाओं में ई–शासन को सुगम और सुलभ बनाने में अहम् योगदान देगी – यही आशा है।

जय हिन्द – जय हिन्द !!

(वरिष्ठ लेखिका, तिरूवंतपुरम, केरल)

हिंदी

"तुम वाणी की उन्नायक हो,
तुम हो मनमोहक–सी भाषा।
तुम हो सजीव तुम निर्मल हो,
तुम हो इस मन की अभिलाषा।
तुम जननी हो पंत–निराला की,
तुम हो अंतर्मन की जिज्ञासा।
तुम हो तरल–अमल कुवलय वेणी,
तुम हो वाणी की यश धारा।
तुम हो सदयवान सब सेहती हो,
तुम हो नवल वेदी ज्वाला।
तुम हो दिनकर तुम हो ललाम,
तुम हो मादक मृदु–सी हाला।
तुम हो प्रखर प्रज्वलित प्रभात,
तुम हो ज्योतिष्मती अखंड भाषा।
तुम हो सजीव गरिमामय हो,
तुम हो हिंदी भारत की भाषा।"

–देवेश कुमार पाण्डेय
बी.ए.(द्वितीय वर्ष)
इलाहाबाद विश्वयविद्यालय

'मैं ही मृत्यु और जीवन'

जिधर भी चाहा देखना मैंने,
हर तरफ मुझे मैं ही दिखी।
कुछ–कुछ समझ आने लगा,
प्रकृति के कण–कण में जो इबारत लिखी।
मैं ही तो हूँ रची–बसी,
सूर्य,चंद्र और तारों में।
मैं ही खुश्बू बन बहती हूँ,
फूलों,कलियों,बहारों में।
पहाड़ों की चोटी पर,विराजमान मैं,
मैं ही नदिया का पानी हूँ।
मैं इस समस्त प्राणी–जगत की,
इक अनमोल कहानी हूँ।
हर प्रेमी का प्रेम हूँ मैं,
मैं ही उसका वैराग्य हूँ।
सारे दुखों की वजह भी मैं,
मैं ही सबका सौभाग्य हूँ।
द्रव्य–रचना का सूक्ष्मतम कण,
मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हूँ।
ऊर्जा और द्रव्य को आकर्षित करती,
मैं ही तो ग्रैविटान हूँ।
अतिसूक्ष्म लैप्टान और क्वार्क मैं,
तो विशालकाय सुपरक्लस्टर भी।
ब्लैक होल का रहस्य हूँ मैं,
अनसुलझी क्वासर,पल्सर भी।
एब्सोल्यूट नथिंग जहाँ एक्सिस्ट करे,
ऐसी जगह है कहीं नहीं।
तो मैं न रहूँ कहीं और किसी समय,
ऐसा भी कभी सम्भव नहीं।
मेरा अस्तित्व रहा है,और रहेगा हमेशा,
समय के हर पल,हर क्षण में।
मैं हूँ विद्यमान और रहूँगी हमेशा,
ऊर्जा और द्रव्य के कण–कण में।
धर्म–कर्म और कर्तव्य हूँ मैं,
मैं ही तन–मन और अंतर्मन!
ईश्वर,अल्लाह,गॉड सभी मैं,
मैं ही मृत्यु और जीवन!!

–पूजा बिंद
बी.एस.सी. (तृतीय वर्ष)
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

राजभाषा की गतिविधियाँ

सहयोग
राजभाषा अनुभाग एवं सेंटर फॉर मी
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
प्रो. पंकज कुमार
प्रो० संगीता श्रीवास्तव

केन्द्रीय सांस्कृतिक समिति
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद
नेशनल बुक

केन्द्रीय सांस्कृतिक समिति
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
पुस्तक लोकार्पण एवं प्रमाण-पत्र वितरण समारोह
नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत सरकार
राजभाषा अनुभाग एवं सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

QUOT RAMI TOT ARBORES
यावत्यः शाखास्तावन्तो वृक्षाः

इलाहाबाद विश्वविद्यालय
QUOT RAMI TOT ARBORES
यावत्यः शाखास्तावन्तो वृक्षाः

QUOT RAMI TOT ARBORES
यावत्यः शाखास्तावन्तो वृक्षाः

इलाहाबाद विश्वविद्यालय
पुस्तक
प्रमाण-पत्र वितरण
भारत सरकार
फॉर मीडिया स्टडीज़,
इ०वि०वि०

राजभाषा अनुभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
e-mail: rajbhasha.au@gmail.com